राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का १९वां दिवस [संख्या १२

मंगलवार ३ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, उद्योग, राजस्व, खनिज, राजनैतिक विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग, योजना एवं विकास, समाज कल्याण, देवस्थान, पुनर्वास, वित्त—मंत्रालय]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या १

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द कोठारी।

(अनुपस्थित)

ग्राम जाखल, जिला झुंझुनूं में चराई-दर

२ श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Revenue Minister be pleased to state:—

(1) Is it correct that there is no grazing ground for cattle in village Jakhal, District Jhunjhunu?

(2) Is it also correct that for the last 30 years these villagers had been grazing sheep in the grazing grounds in the villages of Gevardu and Sahdipura etc. in Sikar District and Nain-ka-Goda, in District Jhunjhunu without paying any grazing charges during the rainy season;

(3) If so, is it correct that in 1957 the shepherds from Jakhal were charged @-/4/-per sheep and the local shepherds were charged @-/1/-per sheep and in 1958 the shepherds from Jakhal were charged@-/8/-per sheep, while local shepherds were charged @-/2/-per sheep?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (1) No.

(2) No record is available that these villagers had been grazing their sheep for the last 30 years in these villages free of charge during the rainy season.

(3) In areas under the Forest Department, the following grazing

Page No 2

(श्री दामोदरलाल व्यास)

fees are charged since the year of their resumption:—

	For local grazer.	For outsider grazer.
Sheep and Goat.	1 anna.	4 annas for 2 months
		8 annas for full season.

श्री पी० के० चौधरी : My question was whether they have got no grazing land ?

श्री दामोदरलाल व्यास : There is grazing ground measuring 300 bighas.

श्री पी० के० चौधरी : Why this discrimination in the rates charged for the local people and for the people coming from other villages ?

श्री दामोदरलाल व्यास: The House is aware that so far as Forest Department is concerned, there are different grazing charges in different places according to the custom prevailing there. A committee has been appointed by the Government to rationalise these rates and action will be taken as soon as the rates are rationalised.

श्री पी० के० चौधरी : My question is not about different grazing charges in different places but different charges at the same place from different type of people.

श्री दामोदरलाल व्यास : Local people are being given this concession as they were paying the same fees to the jagirdars.

श्री पी० के० चौधरी : Will the Hon. Minister abolish this discrimination; now ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that a Committee has been appointed and immediately on receipt of their recommendations, action will be taken.

श्री पी० के० चौधरी : When was the Committee appointed ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is a separate question.

श्री पी० के० चौधरी : When this committee was appointed and when it is expected to submit its report, this is not a separate question. It is valid supplementary.

श्री दामोदरलाल व्यास : By sep rate question I mean that it is n available with me and he should a separate question.

श्री अध्यक्ष : Next.

सीकर में ऊन फैक्टरी

३. **श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा)**· Will the Minister-in-charge, Industrie be pleased to state:—

(1) Is it correct that the Raj-sthan Sailors and Soldiers Board is setting up a Wool Factory at Sikar ?

(2) If so, what is the authorised,

(श्री पी. के. चौधरी)

subscribed and paid up capital of the factory ?

(3) Does the State Government propose to purchase any shares of the company ? If so, to what extent ?

(4) Who are the members of the Board of Directors, and how many of them are ex-sailors and soldiers ?

उप मंत्री-उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (1) Yes.

(2) The Board proposes to run it with a capital of 5 lacs.

(3) There is no such proposal before the Industries Department.

(4) The Administrative Committee has approved a Managing Committee of the following:—

1. Commissioner, Bikaner Division, Convenor.

2. Commissioner, Ajmer Division.

3. Director of Industries.

4. Lt. Col. Sultan Singh.

5. Lt. Col. Dr. Gurbux Singh.

6. Deputy Director, Sheep and Wool.

7. Lt. Col. Hanwant Singh. Secretary.

श्री पी० के० चौधरी : How many of these people are ex-soldiers and ex-sailors ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : All those who are leutinantcolonels. तीन लेफ्टिनेन्ट कर्नल हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : इस कमेटी द्वारा जो सरकार से जमीन मांगी है रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट जमीन नहीं दे रहा है, इसलिये इन्डस्ट्री नहीं लग रही है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट से मालूम हो सकता है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

तहसील ब्यावर के ग्रामों की चरागाह भूमि

४. **श्रीहजारीलाल बकोलिया** (केकड़ी): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील ब्यावर के ग्राम लीड़ी, पाबुथान, रुधलाई व लामूना के पशुओं के लिए कितनी चरागाह भूमि की व्यवस्था है ?

(२) क्या उपरोक्त गांवों के किसानों ने सरकार से अनुरोध किया है कि चरागाह भूमि कम होने की वजह से उन्हें पशु चराने में अत्यंत तकलीफ उठानी पड़ती है ?

(३) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कदम उठाया ?

मंत्री, राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास):(१) चरागाह की भूमि नहीं निर्धारित की गई है। पाबूथान कोई अलग गांव नहीं है, मौज़ा लीडी ही का मज़रा है। लीडी, रुधलाई व लामना के पशु सीमावर्ती ग्रामों में ही चरते हैं। पड़त भूमि में पशु चराये जाते हैं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित रकबे में भी पशु चराये जा सकते हैं :

नामगांव	तादाद रकबा
लीडी	२,५१४ बीघा
लामना	६१२ ,,
रुधलाई	४०० ,,

(२) कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हज़ारीलाल बकोलिया : पाबुथान की जो भूमि है वह कबतक अलॉट कर दी जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले यह गांव अजमेर राज्य का था। अजमेर राज्य के लैन्ड रेवेन्यु एक्ट में इस प्रकार चरागाह आदि छोड़ने का प्रावधान नहीं था। लैन्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा ६२ के अन्तर्गत ग्रेजिंग ग्राउन्ड का डिमार्केशन नहीं हुआ था। अब सैटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट ग्रेजिंग ग्राउन्ड का डिमार्केशन करेगा। उनको यह हिदायत है कि जहां जहां ग्रेजिंग ग्राउन्ड नहीं हैं वहां उनको डिमार्केट किया जाय।

ग्राम नोरड़ा (टोडा भीम) में गलत नहरी रेट वसूल किया जाना

५. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि तहसील टोडा-भीम के ग्राम मोरड़ा को बन्ध घाटा भंडारी से संवत् १९९९ में पानी दिया गया था तथा संवत् २००० की चक बन्दी में यहां की कुछ ज़मीन को नहरी मान कर लगान कायम किया गया था ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन को केवल एक बार ही पानी दिया गया था तथा लगान अब तक नहरी रेट पर वसूल किया जा रहा है ?

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां, पानी दिया गया। संवत् २००० में चकबन्दी हुई। उसमें रकबा ६२ बीघा ४ बिस्वा का नहरी सरकारी अव्वल और रकबा ६३१ बीघा ३ बिस्वा का नहरी सरकारी दोयम मुताबिक रेट चकबन्दी लगान कायम किया गया।

(ख) जिस कदर बन्ध में पानी हर वर्ष भरता है उसी के अनुसार अधिक या कम ग्राम मोरड़ा तथा अन्य ग्रामों में सिंचाई की जाती है। सम्वत् २०१२ में रकबा नहरी का लगान मुताबिक रेट चकबन्दी वसूल किया जा रहा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब पानी नहीं मिलता है तो उसके बाद में लगान क्यों लिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिनको पानी नहीं मिलता है वे अपना लगान कम करा सकते हैं, टिनेन्सी एक्ट में प्रावधान है। मैंने यह मन्जूर नहीं किया है कि पानी नहीं मिलता है। मैंने कहा है पानी मिलता है जितना पानी बन्ध में होता है। समान अनुपात से उसका वितरण होता है। इर्रिगेशन चार्जेज जो हैं वे पिलाई के ऊपर कम हो जाते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वहां के किसानों ने केवल एक बार पानी दिया गया

Page No 5

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इस प्रकार की दर्ख्वास्त दी है क्या ? और पानी नहीं दिया जाता है, उस हालत में भी रेटस् कम नहीं की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जो फरमाया उससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरे पास सूचना है २०१२ में पानी मिला, २०१३ और २०१४ में पानी मिला, इसके पहले की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : संवत् १६६६ में पानी नहीं मिला, फिर भी रेटस् चार्ज किये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिनको नहीं मिलता वे अपनी दर्ख्वास्त दें, उसके अनुसार इर्रिगेशन चार्जेज़ कम कराये जा सकते हैं; लैन्ड रेवेन्यु एक्ट में प्रोविजन है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या आप इसके बारे में जांच करायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच की कोई आवश्यकता नहीं। प्रोसीजर जो ले डाउन कर रखा है हरएक आदमी को कार्यवाही करनी चाहिये।

उद्योगों को ऋण

६. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister in-charge of Industries be pleased to state :—

(1) What is the total amount of loan received by various industries in the State from the Industrial Finance Corporation ? The names of the firms and the amounts of loan received by them may be given along with the rates of interest to be charged ?

(2) What is the total amount of loan the corporation has disbursed since its inception ?

उप मंत्री, उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (1) The total amount of loan received up-to-date by various industries in the State from the Rajasthan Financial Corporation......

श्री पी० के० चौधरी : I wanted Industrial Finance Corporation.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : This is Rajasthan Finance Corporation...

श्री पी० के० चौधरी : This is a different thing, Sir. The Industrial Finance Corporation is a different thing.

श्री अध्यक्ष : There is nothing to indicate that you are referring to that body.

श्री पी० के० चौधरी : It is known all over India.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Sir, this matter was agitated by the Hon. Member in the last session also and it was definately said that we can not gather any information from the Industrial Finance Corporation and it is not within our power to do so. If the Hon. Member is interested to know as to how much loan was adva-

Page No 6

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

nced by the Rajasthan Financial Corporation, we can give that information, but we cannot give any information regarding the Industrial Finance Corporation.

श्री पी० के० चौधरी : Has the Hon. Minister tried to procure the information from the Industrial Finance Corporation ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I definately said that we cannot do so and it is no use...

श्री पी० के० चौधरी : Is there any legal bar ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There is a legal bar even in Rajasthan Financial Corporation. They do not give the information as to whom and to what industry or firm the loans have been granted. This bar is under Section 40 of the Rajasthan Financial Corporation Act. Similar provisions are there in the Industrial Finance Corporation also.

श्री पी० के० चौधरी : Is the Hon. Minister aware that other State Governments have asked for this information and they have received it from the Industrial Finance Corporation ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Atleast I have not got that information.

श्री पी० के० चौधरी : Will you kindly try to collect this information ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I said, it is no use collecting that information.

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद ।

तहसील रूपनगढ़, ग्राम पींगलोद की गोचर भूमि में से जमीन का अलॉटमेन्ट

७. **श्रीजगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सही है कि लगभग दो वर्ष पूर्व तहसील रूपनगढ़ के ग्राम पींगलोद के खसरा नं. ६७१ की करीब ३५० बीघा जमीन गोचर भूमि के रूप में छोड़ी गई थी ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस छोड़ी हुई जमीन में से कुछ व्यक्तियों को जमीन एलाट की गई है ? यदि हां, तो क्यों व किन किन व्यक्तियों को ?

मंत्री, राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह जमीन पहले जोती नहीं जाती थी, गायों की चराई के काम आती थी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने यह नहीं पूछा । आपने यह पूछा कि लगभग दो वर्ष पूर्व तहसील रुपनगढ़ के ग्राम पींगलौद के खसरा नम्बर ६७१ की करीब ३५० बीघा जमीन गोचर भूमि के रुप में छोड़ी गई थी और मैंने अर्ज किया कि जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

राजनैतिक पीड़ितों को सरकार द्वारा सहायता

८. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान के राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देने का प्रश्न सरकार के समक्ष सर्व प्रथम कब आया था ?

(२) तब से लेकर अब तक उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

(३) क्या कुछ समय पूर्व नियमों में संशोधन करने के लिये कोई समिति बनाई गई थी ? यदि हां, तो उसके कौन कौन सदस्य थे और उसकी कितनी बैठकें हुई ?

(४) उक्त समिति के नियमों में कोई संशोधन किये हैं ? यदि हां, तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा जिन जिन व्यक्तियों को अब तक सहायता मिली है उनकी सूची भी सदन की मेज पर रखी जावे।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास-मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देने का प्रश्न सर्व प्रथम सन् १६५० में आया था।

(२) राजस्थान राजनैतिक पीड़ित सहायता नियम १६५६ में बनाये गये व दिनांक २६ मई, सन् १६५६ के राजपत्र में प्रकाशित किये गये।

(३) उपर्युक्त नियमों को संशोधित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई थी जिसमें श्री हरिभाऊ उपाध्याय वित्त मन्त्री, श्री रामकिशोर व्यास गृह मन्त्री, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य व स्वायत्त शासन मन्त्री थे। उक्त समिति की चार बैठकें हुई।

(४) समिति की सिफारिशों पर निर्णय लिया जाकर अन्तिम रुप दिया जा रहा है। शीघ्र ही इनको राजपत्र में प्रकाशित किया जावेगा। जिन व्यक्तियों को अब तक सहायता मिली है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखें)

श्रीजुगलकिशोर चतुर्वेदी : इन नियमों के अनुसार राजनैतिक पीड़ितों को अधिकतम सहायता कितनी देने का निश्चय किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया कि कमेटी की रिकमन्डेशन होकर कार्यवाही की जा रही है। राजपत्र में उन्हें प्रकाशित किया जा रहा है। प्रकाशित हो जावें तो आप कृपया उनका मुलाहिज़ा फरमालें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : एक बार इस सम्बन्ध के नियम ५६ में प्रकाशित हो चुकने की बात कही गई है और सहायता दी भी गई है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके अनुसार अधिकतम सहायता कितनी दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पचास रुपया अधिकतम था इन नियमों में।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह सूची जो प्राप्त हुई है इसमें सातवें नम्बर में श्री कैलाश बिहारी माथुर, निवासी अलवर को

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

१००)रु० की सहायता दी गई है। उसमें लिखा है कि १००) रुपये मासिक उसके १२ वर्ष वाले सबसे बड़े लड़के के कमाने योग्य होने तक । अगर कैलाशबिहारी जब तक जीवित रहें तो उन्हें जीवन निर्वाह के लिये २५) रु० मासिक....

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको यह सहायता २१। १२। ५४ को दी गई है। नियम बाद में बने हैं ये। नियमों के बनने के बहुत पहले दी गई है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तो क्या यह नियमों के अन्तर्गत नहीं आती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उस वक्त नियम नहीं थे। डिसक्रैशनेरिली जो ठीक समझा उस वक्त देनेवालों ने, वह दिया गया था।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : बाद में नियमों के अनुसार इसको रेग्युलर नहीं किया गया क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कृपा करके आप पूरा जबाब सुनें तो ठीक हो।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : २५)–५०)रु० जो सहायता के लिये रकम रखी है उसमें यह भिन्नता किस आधार पर रखी गई ? उनकी आवश्यकता को देखते हुए या वैसे ही अपनी मर्जी से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५६ के रुल्स के लिये ५०) रु० अधिकतम थे। अब लेटेस्ट जब रुल्स पब्लिश होंगे तो उनसे आपको सब पता लग जावेगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं यह पूछ रहा हूं कि किसी को २०), किसी को ३०), किसी को ५०)रु० तो यह जो अन्तर रखा गया है वह किस आधार पर रखा गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग मैरिट्स पर यह रखा गया है। पोलिटिकली कितने सफर हुए, उनका पहले स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग क्या था, कितने सदस्य उनके आश्रित थे, कितनी उनकी आवश्यकता हो सकती है, कितने बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का क्या प्रबन्ध है इन सब बातों को देखकर निश्चित किया जाता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूं कि इसमें जैसलमेर के श्री सागरमलजी गोपा और श्री रमेश स्वामी सबसे बड़े त्यागी हो सकते हैं। पर उनके आश्रितों को बीस पच्चीस रुपये मासिक दिया गया है जब कि दूसरों को पचास रुपया, जमीन और एक मुश्त पांच पांच हज़ार भी दिया गया है।

श्री होतीलाल (भरतपुर) : राजनैतिक पीड़ितों में माननीय सदस्य का विचार भी कर रहे हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसका जबाब तो नहीं दूंगा।

आपने जो सवाल किया उसका मैंने जबाब दे दिया। अलग अलग मैरिट्स पर विचार किया जाता है। उसके नियम जो बने हैं वे बिल्कुल स्पष्ट हैं। फिर बिना इन सब पर विचार किये तो दिया ही कैसे जा सकता है ? आपको फिर भी किसी केस पर ऐतराज हो तो आप बतावें, उसको दुबारा देखा जा सकता है। डिस्क्रैशन भी इन बातों को देखकर यूज किया गया है।

Page No 9

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मुझे ऐतराज है। आप लोगों ने त्याग किया तो आपको मिनिस्टरी मिली है, उन गरीबों को नहीं मिली, यह क्या बात है ?

(हंसी)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वह डिस्क्रैशन किन आधारों पर डिपेन्ड करता था-त्याग, तप और उनकी आवश्यकताओं पर या किन पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अभी सब आधार अर्ज कर दिये हैं। बार बार तो रिपीट नहीं कर सकता। पर सूचना के लिये कह सकता हूं कि सब बातों पर गौर किया जाता है, उनके डिपेन्डेन्ट्स पर, उनके खर्चे पर, उनके स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग पर, उनकी जरुरतों पर, कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, इन तमाम बातों पर गौर करके तय करते हैं। यह तो आप भी ख्याल कर सकते हैं कि इसके बिना कैसे हो सकता है ? किसी के घर में ऑलरेडी कमानेवाला है, किसी के नहीं हो सकता है तो अलग अलग केस में अलग अलग बातों पर विचार करके तय किया जाता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सन् पचास से यह प्रश्न चला आ रहा है और अभी तक इसे अन्तिम रुप नहीं दिया जा सका इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अन्तिम रुप दिया जा चुका है और गज़ट में छपने को तैयार है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कितने बरसों में, कब छप रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि इस प्रकार के नियम और उनमें संशोधन आदि विधान सभा में वाद विवाद के लिये लिये जाया करें प्रकाशित होने से पहले ? क्या सरकार इसकी व्यवस्था करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे तो गजट में छपते हैं।

श्री भैरोंसिंह : छपने से पहले सदन की उन पर राय ली जावे, क्या यह आवश्यक नहीं समझती सरकार ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, पोलिटिकल पेन्शनर्स के लिये ये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इनके फैक्ट्स को वैरीफाई कौन कलेक्टर करता है या क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। इन रुल्स में वे सब बातें हैं। कोन इन्क्वायरी ऑफिसर होगा; कौन क्या होगा ? Every thing is clear in that.

डॉ० चन्द्रकला : निश्चित तारीख बता सकते हैं कि किस तारीख को पब्लिश हो जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक बार तो पब्लिश हो ही गये थे। पर बाद में हमें मालूम हुआ कि वास्तव में कुछ राज़नैतिक पीड़ित जो थे वे इन्क्लूड नहीं हुए इसलिये दुबारा जांच कराई गई और रुल्स को अमेन्ड कराया गया। वे अब गजट में छप जावेंगे।

Page No 10

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जो वास्तव में राजनैतिक पीड़ित रहे हैं, जिन्होंने वास्तव में काफी अर्से तक सेवा की है, त्याग और तपस्या की है फिर भी आपके नियमों के अनुसार वे इस राजनैतिक पीड़ित श्रेणी में नहीं आये हैं....

श्री अध्यक्ष : इसीलिये तो उन्होंने दुबारा कमेटी बिठाई है उन रुल्स को रिवाइज़ करने के लिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : फिर भी नियम में नहीं आते हैं तो मजबूरी है। फिर भी अगर नहीं आते हैं तो कोई भी उनको मदद नहीं की जा सकती....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर अमेन्डमेन्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६

श्री मनोहर कोठारी

(अनुपस्थित)

महाराजा कॉलेज, जयपुर में एम. एससी. (प्रीवियस) में विद्यार्थियों के प्रवेश में अनियमितता

१०. **श्रीजगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि इस वर्ष महाराजा कॉलेज, जयपुर में एम. एससी (प्रीवियस) में कुछ ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया जो कि बी. एससी. में पूरक परीक्षा में ही सफल हुए हैं तथा कुछ ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया जो द्वितीय श्रेणी में सफल हुए थे ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास-शिक्षा मन्त्री की अनुपस्थिति में) : जी हां, एक विद्यार्थी को।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : किस कारण से इससे पहले वालों की एप्लीकेशन्स रिजेक्ट की गईं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एडमिसन रुल ४ में उनको डिस्क्रैशन है, उसके अनुसार किया। इसके बाद पांच सीटें और कॉलेज़ में बढ़ा दी गई थीं पर इसके लिये एप्लीकेशन्स नहीं आई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही नहीं है कि एक विशेष आदमी से सम्बन्धित होने के कारण इस लड़के को लेना था, इसलिये उसे लिया गया। दूसरे लड़कों को अन्य जगहों पर एडमिसन मिल गया इसलिये वे दूसरी जगह चले गये। पर चूंकि यह विशेष आदमी से सम्बन्धित था इसलिये उसे लिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : बात यह है कि जो जगहें थीं कॉलेज में उन पर नहीं लिया गया। एक लड़का जो लास्ट इयर फेल हो गया था वह नहीं आया, उसकी जगह पर इसको लिया गया और इसके लिये रुल नम्बर ४ में प्रिन्सिपल, कॉलेज को डिस्क्रिशन एक्सरसाइज़ करने का अधिकार है।

प्रश्न संख्या ११

श्री अध्यक्ष : श्री माणिकचन्द कोठारी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री किशनाराम।

Page No 11

रतनगढ़ सबडिविजन, जिला चुरू में तहसीलवार खातेदार

१२. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रतनगढ़ सब डिस्ट्रिक्ट, ज़िला चुरू में धारा १५, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत तहसीलवार अब तक कितने खातेदार बनाये गये ? इनकी तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) रतनगढ़ सब डिस्ट्रिक्ट, ज़िला चुरू में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १६ के तहत अब तक कितनी दर्ख्वास्तें दर्ज की गई और इनके फैसले में देर होने का क्या कारण है ?

(ग) क्या यह सही है कि इस सब डिस्टिक्ट में गलत गश्त गिरदावरी के कारण किसानों में आपस में मुकद्दमेबाजी हो रही है, लेकिन झूंठी गिरदावरी दर्ज करनेवालों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) ३,६२७ दर्ख्वास्तें दर्ज की गई हैं। चूंकि ऐसी दर्ख्वास्तें हजारों की संख्या में होती हैं और उनके फैसले के अधिकार केवल सब-डिविजनल ऑफिसर को ही होते हैं। अतः उसमें देर होना स्वाभाविक ही है। किन्तु अब चूंकि धारा १६ में संशोधन (अमेन्डमेन्ट) हो चुका है अतः भविष्य में देरी की सम्भावना नहीं रहेगी।

(ग) जी नहीं। यदि झूठी गिरदावरी किये जाने का कोई मामला देखने में आता है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री किशनाराम : अब तक कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अब तक बीसों के विरुद्ध की गई है और रोज़ की जाती है। ऐसे केस आते रहते हैं। जहां ध्यान में आते हैं कार्यवाही की जाती है, किसी को सस्पेन्ड, किसी को कुछ, किसी को कुछ किया जाता है।

श्री किशनाराम : चुरू सब–डिस्ट्रिक्ट में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने रतनगढ़ के लिये पूछा। उसके लिये मैंने अर्ज किया कि 'जी नहीं'।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

नेशनल एक्सटेन्शन सर्विसेज एवं कॉम्युनिटी डवेलपमेन्ट ब्लॉक्स का खोला जाना

१३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उणियारा)(श्री लक्ष्मीचन्द सांचोर द्वारा पूछा गया) : क्या प्लानिंग एवं डवेलपमेंट मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १६५६,५७,५८ में नेशनल एक्सटेन्शन सर्विसेज़ और कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट ब्लॉक्स डिस्ट्रिक्ट वाइज किस किस तहसील में किन किन आधारों पर खोले गये ?

(२) सन् १६५६ में सरकार कहां कहां नेशनल एक्सटेन्शन सर्विसेज और कॉम्यु-

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

निटी डवेलपमेंन्ट ब्लॉक्स खोलने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास—योजना एवं विकास मंत्री कीअनुपस्थिति में) :

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन विकास खण्डों के खोलने के आधार भी निम्नलिखित हैं :

(क) जहां पर कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की अधिक आशा हो।

(ख) जहां आसपास के भागों में पहले से ही विकास खण्ड चालू हो।

(ग) जहां पिछड़ी हुई जातियों के लोग रहते हों।

(घ) जिन ज़िलों में अब तक खोले गये विकास खण्डों के अन्तर्गत बहुत कम ग्रामीण आबादी आई हो।

इसके अलावा ज़िला विकास समिति की सिफारिश का भी ध्यान रखा जाता है।

(२) इस वर्ष क्रमशः अप्रेल व अक्टूबर में आठ विकास खण्ड खोलने की योजना है। कहां कहां खोले जावेंगे इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इसके लिए क्या डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी से रिकमन्डेशन आ गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कुछ ज़िलों की आ गई है और कुछ की नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : 'कुछ' शब्द को तो आप जरा साफ कर दीजिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : 'कुछ' का मतलब सम (Some) है।

श्री मूलचन्द डागा : अब 'Some' के लिए बता दीजिए कि कौन कौन से है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसकी सूचना मैं अभी नहीं दे सकता कि किसकी आ गई है और किसकी नहीं आई है। क्योंकि मेरे पास सूची नहीं है। वैसे ज़िलों की सिफारिश पर भी ध्यान रखा जाता है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : ज़िलों में भी वह तारीख तक आ जायेगी तो उनमें खोले जायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, कुछ ज़िलों की आ गई है और कुछ की बाकी है।

एक माननीय सदस्य : देवली में खोलने की योजना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

डॉ० चन्द्रकला : ज़िलों की सिफारिशें क्यों नहीं मानी जाती हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हमें ८ विकास खण्ड खोलने हैं और २५ ज़िले हैं। अब २५ ही जिलों की सिफारिशें आयेंगी तो सलेक्शन तो गवर्नमेन्ट को ही करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री किसनाराम।

Page No 13

नवम्बर १६५८ की बरसात से राजस्थान के कुछ जिलों के किसानों को नुकसान

१४. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि चुरू, नागोर झुंझुनूं, बीकानेर, गंगानगर, सीकर जिलों में नवम्बर, ५८ के अन्त में जो बरसात हुई उससे किसानों को खेतों में पड़े हुए अनाज—चारा वगैरह का बहुत नुकसान हुआ है ?

(ख) क्या सरकार इस नुकसान की तहसीलवार जांच करवाकर तहसीलवार आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

(ग) क्या सरकार इस नुकसान के बदले में किसानों को कुछ राहत प्रदान करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) यह सही नहीं है। चुरू, नागोर, झुंझुनूं व बीकानेर में कोई विशेष वर्षा नहीं हुई है, जिससे नुकसान होता।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) इसकी आवश्यकता ही नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): बरसात भी हुई है, वहां ओले भी पड़े हैं और इसके सम्बन्ध में दरख्वास्तें भी दी गई हैं सम्बन्धित क्लेक्टरों को। आपने कहा है कि नवम्बर में कोई विशेष हानि नहीं हुई है पर सीकर में तो बरसात भी हुई है और ओले भी पड़े हैं.......

श्री दामोदरलाल व्यास : बरसात हुई है और ओले भी पड़ सकते हैं लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ कि जिससे राहत की जरूरत हो। मैं इसके लिए तो इन्कार नहीं करता कि बारिश नहीं हुई। बारिश भी हुई होगी, ओले भी पड़े होंगे मगर इतना नुकसान नहीं हुआ जिससे राहत पहुंचाई जाये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसके सम्बन्ध में क्या कोई जांच करवाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच के बिना तो जवाब ही नहीं दिया जा सकता। नुकसान चूंकि गश्त गिरदावरी में इतना दर्ज नहीं है और न किसानों ने गश्त गिरदावरी दर्ज करवाई है, इससे स्पष्ट है कि इतना नुकसान ही नहीं हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या बरसात हुई उसकी गश्त गिरदावरी आपने पहले करवाई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या किसी बड़े अधिकारी से जांच नहीं करवाई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पटवारी करता है उसके साथ में सरपंच और पंच भी होते हैं और नम्बरदार भी रहता है। फिर रूल्स में प्रॉविज़न है कि अगर किसी को गश्त गिरदावरी में ऐतराज़ है तो उसको टाइम के अन्दर ठीक करा सकता है। यह कुल कार्यवाही नियमों के माफिक हुई है और कोई भी नुकसान का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : जो

(श्री तेजाराम गहलोत)

पंच, सरपंच और नम्बरदार पटवारी के साथ रहते हैं क्या उनके एतराज पर पटवारी नुकसान दर्ज नहीं करेगा अगर वह उससे डिसएग्री हैं, तो ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो रूल्स हैं उनमें प्रोविज़न है कि अगर किसी को गश्त गिरदावरी पर एतराज है तो उसको टाइम के अन्दर ठीक करा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : फिर सरकार ने यह कैसे कहा है कि गश्त गिरदावरी के बाद में ओले नहीं पड़े हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिस्ट्रिक्ट से जो सूचना आई है, उसके आधार पर ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कलेक्टर ने इस प्रकार की सूचना दी है कि गश्त गिरदावरी के पहले ओले पड़ चुके थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गश्त गिरदावरी हुई, ओले भी पड़े और जितना नुकसान हुआ उन सब की जांच के बाद यह देखा गया है कि इतना नुकसान नहीं हुआ कि राहत पहुंचाई जाती ।

श्री भैरोंसिंह : गश्त गिरदावरी होने के बाद में ओले पड़े हैं, जब कि खेतों से खलियान वगैरह को ले आये उसके बाद में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप किन गांवों के बारे में कह रहे हैं ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सीकर ज़िले के ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप किस गांव के बारे में पूछ रहे हैं, वहां पांच-सात सौ गांव है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : दांतिया, चोरड़ा, और पलताना ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इन गांवों की और दूसरे गांवों की सूचना प्राप्त करके आपको बता दूंगा ।

श्री गिरधारीलाल : बीकानेर ज़िले के किसानों की ओर से कोई शिकायत आई है कि उनके गांवों में गिरदावरी गलत हुई है ?

(कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

ग्राम लावा और लाम्बा हरिसिंह में सेकेन्डरी स्कूल

१५. रावराजा श्री सरदारसिंह (श्री लक्ष्मीचन्द द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम लावा और लाम्बा हरिसिंह में हायरसेकन्डरी स्कूल खोले गये हैं ? अगर हां, तो कब से ?

(२) यदि हां, तो उन स्कूलों की छात्रों की संख्या प्रत्येक कक्षा की कितनी कितनी है ?

(३) प्रत्येक स्कूल में कितना कितना, किस ग्रेड का स्टाफ है और छात्रों के बैठने की क्या व्यवस्था है ?

(४) क्या शिक्षकों के वहां रहने की भी कोई व्यवस्था है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) जी हां। ग्राम लाम्बा हरिसिंह में जुलाई सन् १६५६ से और ग्राम लावा में अगस्त सन् १६५८ से।

(२) सूची १ संलग्न है।

(३) सूची नं० २ संलग्न है।

कक्षा १ से ५ तक छात्र दरी और पट्टियों पर बैठते हैं और कक्षा ६ से ६ तक के छात्रों के लिए स्टूल व डेस्कों की व्यवस्था है।

(४) शिक्षकगण गांवों में किराये के मकानों में रहते हैं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

जयपुर शहर में बोन फैक्टरी

१६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में या उसके आसपास एक बोन मिल चालू करने के लिए श्री लेखराम बलवन्तराय को सरकार ने लोन दिया है या लोन देने की दर्ख्वास्त विचाराधीन है?

(ख) यदि हां, तो इस मिल के कौन कौन पार्टनर्स हैं तथा वे कहां कहां के हैं और लोन के लिए क्या जमानत दे रहे हैं तथा कितना लोन मांगा है?

उप-मंत्री उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या बोन फैक्ट्री के लिए कोई सहायता नहीं दी गई है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा, 'जी नहीं'।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

समाज कल्याण विभाग द्वारा बैकवर्ड और शिड्यूल्ड कास्ट के छात्रों को स्कालरशिप

१७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (श्री लक्ष्मीचन्द द्वारा पूछा गया) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) समाज कल्याण विभाग से बैकवर्ड और शिड्यूल्ड कास्ट के छात्रों को सन् ५६-५७-५८ में डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कितनी-कितनी रकम स्कालरशिप के रूप में दी गई है?

(ख) उपरोक्त धन राशि देने से पहिले बैकवर्ड और शिड्यूल्ड कास्ट के छात्रों की आर्थिक स्थिति की किस प्रकार जांच कराई गई?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) सूची संलग्न है।

(ख) उपरोक्त धन राशि देने से पहिले बैकवर्ड शिड्यूल्ड कास्ट के छात्रों की आर्थिक स्थिति की जांच उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों में अंकित सूचना के आधार पर की गई जिनको वे अपने गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, गजेटेड ऑफिसर, सरपंच, और प्रधान अध्यापकों द्वारा प्रमाणित करा कर इस विभाग में भेजते हैं।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

Page No 16

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

एक्सटेन्शन ऑफिसर्स एवं इन्स्पेकटर्स (कोऑपरेटिव) की ड्यूटी एवं हार्ड ड्यूटी अलॉउन्स

१८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर, सोशल एक्सटेन्शन ऑफिसर, असिस्टेन्ट एक्सटेन्शन ऑफिसर, इन्स्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं ?

(२) इनमें से किन-किन को २५ रुपया मासिक हार्ड ड्यूटी अलाउन्स मिलता है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, विकास मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(२) केवल समाज शिक्षा एवं कृषि प्रसार अधिकारी को २५) रु० प्रति माह अतिरिक्त वेतन (स्पेशल पे) मिलता है, कृषि प्रसार अधिकारी की स्पेशल पे को उसको वेतन में शामिल करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : क्या कारण है कि केवल समाज शिक्षा एवं कृषि प्रसार अधिकारी को पचास रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त वेतन दिया जाता है जब कि सब ऑफिसरों के ग्रेड और ड्यूटीज़ वगैरह सब एक हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पंचायत प्रसार अधिकारी और कोऑपरेटिव प्रसार अधिकारी के अलावा समाज शिक्षा एवं कृषि प्रसार अधिकारी को २५ रुपया प्रतिमाह अतिरिक्त वेतन मिलता है । इसी तरह से सहकारी पशु पालन अधिकारी को भी अतिरिक्त वेतन नहीं देते । क्योंकि इनको टूरिंग वगैरह की हार्ड ड्यूटीज़ वगैरह होती है इसलिए इन्हें हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दे दिया जाता है । जैसा अर्ज किया है कि स्पेशल पे को वेतन में ही शामिल कर लियां है असिस्टेन्ट एक्सटेन्शन ऑफिसर के नाम का प्रसार अधिकारी की स्पेशल पे को भी खत्म करने का प्रश्न विचाराधीन है, उस पर जल्दी ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

डॉ० चन्द्रकला : इसका मतलब यह है कि जल्दी ही इन चारों अधिकारियों को एक तरह का हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दे दिया जायेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनकी स्पेशल पे को खत्म करने का प्रश्न विचाराधीन है, इसलिए उस पर जल्दी ही निर्णय ले लिया जायेगा । याने जिनको मिल रहा है उनको कम करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

डॉ० चन्द्रकला : लोगों को मिल रहे हैं उनको कम करने का सवाल नहीं बल्कि चारों का ही समाप्त करने का विचार है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके लिए मैंने अर्ज किया कि तनख्वाह को स्पेशल पे में मर्ज करके उनकी ग्रेड में लगा दिया जायेगा । बाकी का प्रश्न विचाराधीन है कि बन्द कर दिया जाये ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : बन्द कर दिया जाये या मिला दिया जाये ?

Page No 17

श्री दामोदरलाल व्यास : स्पेशल पे के नाम से बन्द हो जायेगा परन्तु मिलेगा या कम करेंगे यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर

१६. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या शिक्षा विभाग की ओर से केवल पुस्तकालय तथा वाचनालयों जैसी साहित्यक संस्थाओं को सहायता देने सम्बन्धी कोई नियम बनाये गये हैं ?

(२) यदि हां, तो उनकी प्रतिलिपी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(३) उक्त नियमों के अनुसार १६५६-५७, १६५७-५८ व ५८-५६ में श्री हिन्दी साहित्य समिति (भरतपुर) को क्या सहायता दी गई थी तथा इन तीन वर्षों में समिति का वार्षिक बजट क्या था ?

(४) क्या उपर्युक्त तीनों वर्षों में सम्बन्धित समिति को दी जानेवाली सरकारी सहायता में निरन्तर कमी की गई ?

(५) यदि हां, तो क्यों ?

(६) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस संस्था को तत्कालीन भरतपुर राज्य, संयुक्त मत्स्य राज्य तथा राजस्थान सरकार की ओर से सदैव सहायता प्राप्त होती रही है ?

(७) क्या सरकार उक्त समिति की सहायता में की हुई कमी को दूर करना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक दूर करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी नहीं, कोई अलग नियम बने हुये नहीं है। अन्य शिक्षण संस्थाओं को दी जानेवाली सहायता के नियमों के अन्तर्गत ही सहायता दी जाती है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) १६५६-५७ में ३००० रु०

(४) १६५७-५८ में १२४२ रु०

१६५८-५६ में दी जानेवाली राशि का अभी निर्णय नहीं हुआ है। इस संस्था का निम्न लिखित वार्षिक खर्चा था :

	कुल खर्चा	मान्य खर्चा
५६-५७	४१८५	२६३८
५७-५८	२६७४	१२४२
५८-५६	अभी प्राप्त नहीं हुआ।	

(४) कोई कमी नहीं की गई। केवल ५६-५७ में गणित की भूल से अधिक रकम मंजूर हो गई थी जिसकी वापसी वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) जी हां।

(७) इस संस्था को पिछले वर्ष के मान्य खर्चे पर ७५ प्रतिशत सहायता दी जाती है इसलिये कमी को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को अब तक कितनी बार लिखा जा चुका है और कतनी बार उसका उत्तर प्राप्त हुआहै

श्री दामोदरलाल व्यास : किस बात के लिये ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इस सम्बन्ध में।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा जवाब शायद अपने सुना नहीं। मैंने अर्ज किया कि कोई कमी नहीं की गई, गणित की जोड़ बाकी की गलती से बजाय २ हजार के ३ हजार की मंजूरी दे दी गई इसलिये इज़ाफा रकम की वापसी की कार्यवाही की जा रही है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तो क्या २००० रु० ठीक थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां ठीक थे लेकिन गलती से३००० दे दिये गये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अगले साल फिर १२०० रुपये ही क्यों दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मान्य खर्चे का सर्टेन पर्सेन्टेज ही दिया जाता है ५६-५७ में कुल खर्चा ४१८५ रुपये था जिनमें से मान्य खर्चा २६३८ रुपये था और ५७-५८ में कुल खर्चा २६७४ रुपये था मान्य खर्चा १२४२ रुपये हैं ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उनका खर्चा तो अधिक हुआ है लेकिन आपने इतना ही मान्य किया।

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना किया गया खर्चा अनऑथोराइज़्ड माना जाता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने इसके लिये कोई नियम नहीं बनाये। पुस्तकालयों को अलग करते जा रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियम साफ है यदि कोई खर्चा करना हो तो गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पुस्तकालयों और वाचनालयों के लिये अलग नियम नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितने एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स हैं उनके लिये जो नियम हैं वे उन पर लागू होते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : राजस्थान में जितनी साहित्य संस्थाएं हैं उनको सहायता देने के लिए क्या अलग नियम हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये अलग प्रश्न पूछिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : इस प्रकार की हिन्दी साहित्य संस्थाओं को किस आधार पर देते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ये पुस्तकालय और वाचनालय भी शिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत आते हैं और उनके नियम इन पर भी लागू होते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : जो वाचनालय हिन्दी साहित्य संस्थाओं द्वारा खोले जांय उनके लिये भी यही नियम लागू होते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हिन्दी साहित्य सम्मेलन खोले या और कोई खोले हम मान लेंगे अगर वाचनालय खुला है।

Page No 19

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सवाल जैसा था वैसा उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। सवाल था कि शिक्षण संस्थाओं से अलग साहित्यिक संस्थाओं को सहायता देने के कोई नियम बनाये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपका सवाल पढ़ दूं : क्या शिक्षा विभाग की ओर से केवल पुस्तकालय तथा वाचनालयों जैसी साहित्यिक संस्थाओं को सहायता देने संबंधी कोई नियम बनाये गये हैं ? इसके उत्तर में मैंने अर्ज किया कि जी नहीं, कोई अलग नियम नहीं हैं, शिक्षण संस्थाओं के जो नियम है वे ही काम में आते हैं। It is Clear.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अलग नियम नहीं हैं तो साहित्यिक संस्थाओं को राहत कहां से मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष : साहित्य अकादमी के पास जाना चाहियें।

श्री दयाकृष्ण विजय : उन्होंने कोई काम नहीं किया है इस तरह का अब तक।

डिग्गी स्थित श्रीजी के मंदिर के बोर्ड ऑफ ट्रस्ट दुवारा आक्शन

२८. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या मंत्री धर्मार्थ विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि डिग्गी ग्राम, तहसील मालपुरा में श्री जी का मन्दिर है तथा उसका बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बना हुआ है ?

(ख) अगर हां, तो उसके कौन कौन सदस्य हैं और कब से बोर्ड स्थापित है ?

(ग) क्या यह सही है कि उस बोर्ड ने श्री जी के भंडार से कुछ सोना चांदी बेचा है ? अगर हां, तो क्या पब्लिकली ऑक्शन किया है और उसकी आखिरी सबसे ऊंची बोली किसकी थी ?

(घ) जिस वक्त ऑक्शन किया उस समय कौन कौन मेम्बर मौजूद थे ?

मंत्री धर्मार्थ विभाग (श्री दामोदर लाल व्यास) : (१) जी हां, मन्दिर के प्रबन्ध के लिये एक कमेटी बनी हुई है।

(२) निम्न सदस्य हैं और सन् १६५६ में कमेटी के निर्माण हेतु सरकार की आज्ञा हुई थी :

१. सब डिविजनल ऑफिसर	चेयरमैन
२. श्री घीसीलाल	सदस्य
३. श्री केदारनाथ	,,
४. श्री देवीलाल	,,
५. श्री कन्हैयालाल	,,
६. श्री बिरधीचंद	,,
७. श्री दशरथलाल	,,
८. श्री ब्रह्मानन्द	,,
९. श्री प्रयागदत्त	,,
१०. श्री रामकृष्ण	,,
११. श्री राधाकृष्ण	,,
१२. श्री भंवरलाल	,,
१३. श्री चंद्रबिहारी लाल	,,

(ग) कमेटी के निर्णय अनुसार मंदिर से संबंधित चांदी बेची गई थी और पब्लिकली

Page No 20

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ऑक्शन से। आखिरी सबसे ऊंची बोली श्री युसुफ नारिया की थी। ऑक्शन के समय निम्न सदस्य मौजूद थे :

१. श्री वृजकिशोर, एस. डी. ओ. अध्यक्ष
२. श्री रामकृष्ण
३. श्री दशरथलाल
४. श्री केदारनाथ
५. श्री घीसालाल
६. श्री देवीलाल
७. श्री विरधीचन्द
८. श्री प्रयागदत्त
९. श्री कन्हैयालाल
१०. श्री चन्द्रबिहारी

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : यह चांदी किस भाव से बेची गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १२९ रु० प्रति सौ तोला।

डा० चन्द्रकला : उस समय बाजार में क्या भाव था चांदी का ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १६०) रुपये प्रति सौ तोला का भाव था। जो छत्र वगैरह की चांदी बेची गई थी वह खालिस चांदी नहीं थी, उसमें तांबा मिला हुआ था और जो अच्छी चांदी थी, वह नहीं बेची गई। किसी चीज में आठ आना, किसी में दस आना और किसी में ६ आना फी तोला मिलावट थी।

श्री लक्ष्मीचन्द : (साचौर) यह चांदी बेचने की आवश्यकता क्यों हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मंदिर की मरम्मत के लिये रुपयों की जरूरत थी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इसके लिये कौनसी तारीख नियुक्त की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ३.८.५८

श्री मूलचन्द डागा : किस समय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दिन के १० बजे।

डा० चन्द्रकला : जो सदस्य वहां पर मौजूद थे क्या उन्होंने यह कहा था कि पहले बोली लगा ली जाय पर उनकी प्रार्थना पर पहले बोली नहीं लगाई गई और दूसरे को दे दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि पत्रों में जो विज्ञापन दिया गया उसमें २ तारीख को ऑक्शन होगा, इस इस बात का उल्लेख था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में यह बात नहीं है लेकिन २४.७.५८ को अखबारों में प्रकाशित हुआ था और ३.८.५८ को प्रातः १० बजे ऑक्सन होने वाला था।

श्री मूलचन्द डागा : कितने आदमियों ने बोली लगाई ?

डा० चन्द्रकला : मैंने यह पूछा था कि बोली लगाने वाले कौन लोग थे मेरा

(डॉ चन्द्रकला)

मतलब यह था कि क्या उनमें से म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन, कपड़े के व्यापारी आदि भी थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बोली बोलने वाले २७ आदमी थे। किसने कितनी बोली, बोली यह देखना चाहें तो लिस्ट मौजूद है, देख सकते हैं।

जोधपुर में महाजनी तोल एवं मैट्रिक सिस्टम सम्बन्धी गड़बड़

२१. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जोधपुर में १०० तोले का सेर कब चालू हुआ व कब से बन्द हुआ ?

(२) जोधपुर में तारीख १३.१०.५८ के पहिले व इसके बाद में यहां के व्यापारी गण कितने कितने तोले के सेर से व्यापार में लेन देन करते थे व करते हैं ?

(३) जब कि भारत के बहुत से प्रान्तों में तारीख १.१०.५८ से मैट्रिक सिस्टम के नाप व तोल से व्यापार शुरू हो गया है तो राजस्थान में सरकार मैट्रिक सिस्टम के नाप तोल को कौन सी तारीख से शुरू कर रही है ?

(४) जब कि राजस्थान में मैट्रिक सिस्टम का नाप व तोल जल्दी ही चालू होने वाला है तो फिर जोधपुर में तारीख १३.१०.५८ से महाजनी तोल से व्यापार करने का सरकार द्वारा क्यों आदेश दिया गया, व मैट्रिक सिस्टम का ही आदेश क्यों नहीं दिया गया ?

(५) क्या इससे व्यापारियों को दो दफे बाट बदलने में काफी धन की हानि नहीं होगी ?

(६) क्या यह सही है कि यहां के दो व्यापारियों के पास महाजनी तोल यानी ८० तोले के सेरों के बाट के सेट बहुत अधिक तादाद में बच गये थे सो उन्होंने इस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलकर अपना डेड स्टॉक निकालने के लिये जनता के साथ यह भारी षड्यन्त्र किया है ?

उपमंत्री उद्योग विभाग (श्री रिखबचंद धारीवाल) : (१) जोधपुर में १०० तोले का सेर २०.३.३७ से चालू व १.६.५६ से बन्द हुआ।

(२) ८० तोले के सेर से।

(३) राजस्थान में भी तारीख १.१०.५८ से दशमलव प्रणाली लागू कर दी गई है।

(४) ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया कि महाजनी तोल से व्यापार किया जाय और मैट्रिक सिस्टम से न किया जाय। किन्तु दो साल तक दोनों सिस्टम से व्यापार किया जा सकता है। इसलिये १३.१०.५८ के बाद भी महाजनी तोल से व्यापार करना कानूनन वर्जित नहीं है।

(५) जब कि सितम्बर सन् १९५६ से केवल ८० तोले का सेर ही प्रचलित है तो दो दफे बाट बदलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(६) जी नहीं।

Page No 22

ग्राम पनियारवास, तहसील श्रीमाधोपुर, में सिवाय चक की भूमि के लगान की वसूली

२२. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पनियार-वास, तहसील श्री माधोपुर में सिवाय चक की भूमि का वहां के पटवारी श्री मुरलीधर ने ७॥) रु० फी बीघा के हिसाब से सं० २०१३ व २०१४ का लगान सन् १६५८ में काश्तकारों से वसूल किया तथा १।।।) रु० फी बीघा की रसीद काश्तकारों को दी ?

(ख) क्या यह सही है कि काश्तकारों ने स्थानीय तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर नीम का थाना व कलेक्टर सीकर से कई बार इसकी शिकायत की परन्तु अभी तक इस सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त अधिका-रियों ने जानबूझ कर इनकी शिकायत पर कार्यवाही नहीं की ? यदि नहीं, तो किस किस अधिकारी के पास कौन २ सी तारीख को ये शिकायतें आई तथा उस पर क्या क्या एक्शन लिया गया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) इस प्रकार की शिकायतें आई हैं ।

(ख) शिकायतें की गई और उन पर कार्यवाही हुई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जांच के बाद पटवारी मुअत्तिल कर दिया गया है । शिकायतों की प्राप्ति के विवरण की सूची सदन की मेज़ पर रखदी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि २३. ७. ५८ को तहसीलदार ने जांच करके उक्त पटवारी के खिलाफ रिपोर्ट एस. डी. ओ. के पास भेज दी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लिस्ट में जो चीज दर्ज है उसके लिये सही या गलत का कोई सवाल नहीं है, लिस्ट मैंने पेश की है ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह था कि २३. ७. ५८ से एस. डी. ओ. के पास पड़ी रही क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : २३. ७. ५८ को रिपोर्ट एस. डी. ओ को तहसीलदार ने भेज दी और उन्होंने १२ फरवरी, १६५६ को कलेक्टर को भेजदी । पटवारी को मुअत्तिल कर दिया गया और महकमा की कार्यवाही जारी करदी ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता था कि ७ महीनों तक वे कागजात एस. डी. ओ. के कोर्ट में क्यों पड़े रहे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है । तहसीलदार को रिपोर्ट दे दी इन्सपेक्टर ने और उसके बाद तहसी-लदार ने कब दी और एस. डी. ओ. ने कब दी, यह जानकारी चाहें तो जांच करवा सकता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप इस सम्बन्ध में जानकारी करेंगे कि ७ महीने तक कागज़ात क्यों पड़े रहे, तुरन्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया ?

Page No 23

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, यह मैं जरूर जानकारी करूंगा कि क्यों एक्शन नहीं लिया गया।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : आपके विभाग में ऐसा कोई रेग्युलर नियम नहीं है कि स्वतः एक्शन लिया जाय और साप्ताहिक या माहवारी कम्प्लायेंस रिपोर्ट भेजी जाय, जिससे कि स्वतः अधिकारियों द्वारा एक्शन लिया जाय ? या हम लोग यहां पर पूछते हैं तभी एक्शन लिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिपार्टमेंट में बहुत से केसेज़ होते हैं उन पर एक्शन लिया जाता है, कार्यवाही तो चालू रहती है। आप यहां पूछते हैं उस पर तो सूचना आपको दी जाती है कि यह हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

नेशनल एक्सटेन्शन व कॉम्युनिटी डवेलपमेंट ब्लॉक. नोखा,

२३. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस ब्लॉक नोखा, व कॉम्युनिटी डवेलपमेंट ब्लॉक नोखा कब खुले ?

(२) नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस ब्लॉक नोखा में कुल कितना बजट रखा गया था ? उसमें से कितनी धन राशि किन किन कामों पर किस किस स्थान पर खर्च की गई ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखें।

(३) नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक नोखा के कुल मंजूर शुदा बजट में से कितना रुपया लेप्स हुआ ?

(४) कुल खर्च की रकम में से अधिकारियों के दौरे व तनख्वाह पर कितनी रकम खर्च की गई ?

(५) कम्युनिटी डवेलपमेंट ब्लॉक नोखा में सन् १६५७–५८ में अब तक कितने रुपये सार्वजनिक कार्यों में और कितने अधिकारियों के सेलेरी व दौरे के टी. ए. व डी. ए. पर खर्च हुए ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : (१) दिनांक २–१०–५५ व १–१०–५७।

(२) ४,४१,६३०) रु०। इस रकम में से कितनी कितनी धन-राशि किन किन कार्यों व किन किन स्थानों पर खर्च की गई, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिए)

(३) स्वीकृत बजट में से जो रकम खर्च नहीं हुई वह इस खण्ड के सी. डी. खण्ड में परिवर्तन होने पर बजट में शामिल कर ली गई थी, अतः रकम लेप्स होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) अधिकारियों के दौरे व तनख्वाह पर क्रमशः ७,५३६)रु० व ४७,१७५)रु० की रकम खर्च हुई।

(५) इस खण्ड के सी. डी. खण्ड में परिवर्तन होने से अब तक सार्वजनिक कार्यों व अधिकारियों के वेतन व दौरे पर क्रमशः १,५१,३८८) व ४४,८७३) और ११,५५७) की रकम खर्च हुई।

श्री गिरधारीलाल : अधिकारियों के टी. ए. व डी. ए. पर इतना अधिक खर्च किये जाने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ज्यादा नहीं है, जितने दौरे किये हैं उतना ही खर्च हुआ है।

श्री गिरधारीलाल : इधर ५४,००० रुपये की सेलेरी और दौरे का खर्चा है उधर तीन साल में निर्माण सम्बन्धी कार्यों में कुल ६५ हज़ार रुपया लगा है। ज्यादा फर्क नहीं रहा, १० का ही फर्क रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने ४४ हज़ार बताया है और १,५१००० रुपये निर्माण कार्यों के लिये बताया है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

जयपुर शहर के निकट कृषि के हेतु भूमि का अलॉटमेंट

२४. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के १० मील के एरिये के अन्दर श्री बलवंतराय व श्री लेखराम को कृषि कार्य के लिये भूमि मिली हुई है ? यदि हां, तो कितनी और कब से ?

(ख) क्या यह सही है कि अब इस भूमि में खेती न की जा कर एक बोन मिल चालू की जा रही है ?

(ग) क्या यह सही है कि इस सम्बंध में अभी सरकार से कोई आज्ञा नहीं ली गई है और न ऐसी कोई दर्ख्वास्त ही पेश हुई है ?

(घ) क्या सरकार बिना इजाजत के भूमि को दूसरे कार्यों में उपयोग करने की कार्यवाही को रोकेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का जवाब.... ..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) हमने पहले ही विचार कर लिया था कि इसका जवाब नहीं दिया जायगा।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका आयन्दा टर्न पर जवाब दूंगा....

(हंसी)

आपको मुफस्सिल जवाब देना है।

श्री भैरोंसिंह : इसके साथ बोन का काम जुड़ा हुआ है, यह भी ध्यान में रहे।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल : इस प्रश्न का जवाब दिया जाय।

फलौदी गोलरिण में नमक के प्लाटों का वितरण

२५. **श्री मुरलीधर व्यास** (श्री गिरधारी लाल द्वारा पूछा गया) : क्या उद्योग व वाणिज्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ३१–१२–५२ के बाद फलौदी गोलरिण से किन किन लोगों को प्लाट दिये गये ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

(२) गोलरिग प्लाट नम्बर ५५ इस समय किसके पास है व उसे कब दिया गया है ?

(३) गुलाब कंवर पत्नी सम्पतलाल बरड़िया ओसवाल को गोलरिग से कब तथा कितने नम्बर का प्लॉट दिया गया है ?

उप मंत्री, उद्योग व वाणिज्य विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है इसलिये इसे नेक्स्ट टर्न पर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसे नेक्स्ट टर्न पर लिया जाय।

डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर शहर में थड़ियों के हटाने का मसला

२६. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर शहर में कुल कितनी थड़ियां हैं ? इन थड़ियों को अपने वर्तमान स्थान से हटाने की सरकार की क्या योजना है ?

(२) क्या इन थड़ियों को हटा कर छोटे छोटे मार्केट के रूप में, आतिश तथा वर्तमान सिटी कैम्प के स्थान में स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ?

(३) क्या सरकार महसूस करती है कि जितना समय निकलता जाता है उतनी इन थड़ियों के हटने में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जयपुर शहर में पहले कुल १२५० रजिस्टर्ड थड़ियां थीं जिन में से ३५७ थड़ी वालों को पक्की दुकानें बना कर हटाई गई। बाकी बची ८६३ थड़ी वालों को पक्की दुकानें बना कर देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। १६३ पक्की दूकानें बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इन में से ५३ दुकानों के निर्माण का कार्य बापू बाजार, लिंक रोड व अजमेरी गेट बस स्टेन्ड पर चल रहा है जिसके अप्रेल १६५६ तक पूर्ण हो जाने की आशा है। अजमेरी गेट बस स्टेन्ड का पूरा एरिया न मिलने के कारण १०० में से ४७ दुकानों के निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया जा सका। बाकी बची ६३ दुकानों का निर्माण कार्य इसलिये शुरू नहीं किया गया है कि साइट की एक्वीज़िशन प्रोसिडिंग्स बिट्वीन प्रोसेशनल गेट एन्ड अजमेरी गेट के पास अब तक चल रही है। ज्यों ही आर्बिट्रेटर फैसला देगा, त्योंही ६३ दुकानों के निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया जावेगा। बाकी ७०० दुकानों में से ५८६ दुकानों के लिये स्थान चुन लिया गया है। उनके नक्शे व एस्टीमेट्स पी. डब्ल्यु. डी. [विभाग] में बन रहे हैं। बाकी ११४ दुकानों के लिए साइट तलाश की जा रही है।

(२) आतिश तथा सिटी कैम्प में छोटे २ मार्केट बनाने की कोई योजना नहीं है।

(३) जी हां, सरकार इन बची हुई थड़ियों को हटा कर पक्की दूकानों में परिणित करने की हर प्रकार को कोशिश कर रही है।

Page No 26

डॉ० चन्द्रकला : यह कोशिश कब तक पूरी हो जायगी और थड़ियां सड़क से हटा कर दुकानों में कब तक बदली जायेंगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने मुफस्सिल जवाब इसीलिये दिया है कि माननीया सदस्या और नहीं पूछेंगी ।

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रश्न पहले भी पूछ चुकी हूँ और उस समय भी यही उत्तर दिया गया था कि सरकार कोशिश कर रही है। रजिस्टर्ड थड़ियों का कह कर दूसरा प्रश्न पूछने के लिये बाध्य किया है कि क्या अनरजिस्टर्ड थड़ियां भी हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अनरजिस्टर्ड अनऑक्युपाइड थड़ियां हैं, जिनको हटाने का म्युनिसिपैलिटी एक्शन ले रही है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

तहसील फलासिया में अवाप्त भूमि के लगान की वसूली

२७. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग राजस्थान द्वारा श्री पूना पुत्र सोमा पाऊर (मीणा) आदिवासी, निवासी सोम, तहसील फलासिया, जिला उदयपुर की आराजी नं० ५, ६, ७, ८, ६, १०, ११, १२, १३, १४, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८ की कुल ७० बीघा भूमि कथोकियान को बसाने के लिये ली गई है ? यदि हां, तो कब और किस कानून के अन्तर्गत ?

(ख) श्री पूना को इसका क्या मुआवज़ा दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि इस विभाग द्वारा जमीन लेने के बाद भी श्री पूना से लगान वसूल किया गया ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) लगान राजस्व विभाग द्वारा वसूल किया जाता है । इस विभाग द्वारा श्री पूना से कोई लगान वसूल नही किया गया ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि पन्ना मीणा की जमीन सरकार ने एक्वायर नहीं की है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं की ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

छोटे जागीरदारों के मुआवजे का तहसील हैड क्वार्टर्स से भुगतान

२८. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जागीरदारों को मुआवज़ा डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी से मिलता है ?

(२) क्या यह सही है कि इस तरह से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर जा कर मुआवज़ा लाने में जागीरदारों को बहुत ही परेशानी होती है ?

(३) क्या सरकार छोटे जागीरदारों को

(श्री तेजाराम गहलोत)

जिनका मुआवज़ा केवल बन्दोबस्त के रेकॉर्ड के आधार पर ही तय किया जाता है ? तहसील हैड क्वार्टर नियत समय में मुआवज़ा देने की व्यवस्था करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) जी हां।

(२) कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिये।

(३) जी हां, यह व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न संख्या २६।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास !

(अनुपस्थित)

श्री गोवर्धनसिंह।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के टी. ए. व डी. ए. की दरों में वृद्धि

३०. श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना सु०) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के टी. ए. और डी. ए. की दरों में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्या और क्यों ?

(ख) क्या सरकार मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए डी. ए. की वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमंत्री वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के दैनिक भत्ते की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सिर्फ टी. ए. में इन्सिडेन्टल चार्जेज को सीमित किया गया है। पहले इन्सिडेन्टल चार्जेज तीसरे दर्जे के रेल किराये का आधा दिया जाता था अब प्रत्येक २४ घंटे की रेल यात्रा पर इन्सिडेन्टल चार्जेज़ एक दिन के दैनिक भत्ते तक सीमित रहेगा। ऐसी कमी समस्त कर्मचारियों में की गई है।

(ख) जी नहीं। सरकार ने अभी थोड़े दिन हुए दो बार महंगाई भत्ते में वृद्धि की है जिससे काफी आर्थिक भार बढ़ गया है। इसको ध्यान में रखते हुए डेली अलाउन्स आदि भत्तों में वृद्धि की व्यवस्था करना कठिन होगा।

प्रश्न संख्या ३१।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

ग्राम पींगलोद के पटवारखाने में लोगों को रखा जाना

३२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील रूपनगढ़ के ग्राम पींगलोद के पटवारी ने किन किन व्यक्तियों को जुलाई, अगस्त, सितम्बर ५८ में पटवारखाने में कितने कितने समय के लिये रोक कर रखा ?

(२) उक्त व्यक्तियों से कितने कितने रुपये पटवारी व सहणों ने छीन लिये ?

(३) उक्त व्यक्तियों को किन कारणों से रोका गया था ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) किसी व्यक्ति को नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उटता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ३३ व प्रश्न सं० ३४।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११

श्री अध्यक्ष : श्री माणिकचन्द कोठारी।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न सं० ११ का उत्तर दिलवा दीजिये।

खादी उत्पादन एवं विक्रय के लिये सरकारी ऋण

११. **श्री माणिकचन्द कोठारी** (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा पूछा गया) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा राजस्थान में किन किन संस्थाओं को कितनी कितनी रकम खादी उत्पादन एवं विक्रय के लिये ऋण रूप में दी हुई है ?

(२) इन संस्थाओं के हिसाब की ऑडिट विधिवत् होती है या नहीं तथा क्या इसकी पूरी जानकारी राज्य सरकार के पास उपलब्ध होती है या नहीं ?

(३) ऋण रूप में दी गई रकम की किश्त चढ़ने पर सरकार के पास रकम वापस जमा होती है या नहीं ?

(४) जिन जिन संस्थाओं को ऐसा ऋण दिया हुआ है उसके व्यवस्थापक मंडल में राजकीय प्रतिनिधि हैं या नहीं ? अगर हैं तो किस किस संस्था में और कौन कौन हैं ?

(५) क्या सरकार इस बात की बराबर देख भाल रखती है कि ऋण की रकम सुरक्षित है ?

(६) राजकीय ऋण की सुरक्षा के लिये क्या सरकार इन संस्थाओं की पूंजी की जाच शीघ्र कराने को तत्पर है ? यदि नहीं,तो क्यों ?

उपमंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) राजस्थान खादी बोर्ड की जो रकम ऋण स्वरूप जिन संस्थाओं को दी गई है, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

खादी के लिये ऋण खादी ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई द्वारा भी सीधा दिया जाता रहा है जिसके अंक हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं।

(२) बोर्ड ने इस वर्ष संस्थाओं के हिसाब निरीक्षण के लिये अपने आन्तरिक निरीक्षण करवाने की व्यवस्था की है। विधिवत् ऑडिट चार्टेड अँकाउन्टेन्ट द्वारा होता है। जानकारी प्राप्त होती है।

(३) अधिकांश जमा होती है।

(४) अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं है।

(५) यह कार्यवाही राज्य बोर्ड द्वारा की जाती है।

Page No 29

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(६) जी हां, जांच करने के लिये तैयार है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी सरकार के पास आई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : किस साल की ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : किस वर्ष के लिये पूछना चाहते हैं ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : हर वर्ष की ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑडिट रिपोर्ट इन संस्थानों की होती है, उनकी कॉपी आती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, जरूर आती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑडिट रिपोर्ट में जिन अनियमितताओं का संकेत किया गया है, उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : फिर रिपीट कर दीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन रिपोर्ट्स में पैसे के दुरुपयोग के सम्बन्ध में या अनियमितताओं के सम्बन्ध में जो बातें लिखी गई हैं, उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कोई कदम उठाया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऑडिट रिपोर्ट में जो ऑब्जेक्शन्स होते हैं, अगर कोई इर्रेग्युलेरिटीज़ होती हैं, या कोई और बात होती है, तो उनके सम्बन्ध में बोर्ड कदम उठाता है, सरकार से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। खादी बोर्ड मौजूद है उनके अकॉउन्ट्स का ऑडिट चार्टेड अकाउन्टेन्ट द्वारा होता है, वे रिपोर्ट पेश करते हैं, उसमें अगर ऐसा हो कि कोई गलत काम किया है या पैसे का गलत तरीके से उपयोग किया गया है, तो उस पर बोर्ड निर्णय करता है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आज तक ऐसा कोई कदम उठाया सिवाय पत्र यात्रा के ।

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बराबर ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या इन रिपोर्ट्स में कोई सरकार के ध्यान में ऐसी अनियमितता आई, जिसकी ओर बोर्ड का ध्यान आकर्षित करना सरकार को जरूरी मालूम पड़ा ?

श्री रिखबचन्दधारीवाल : यह बहुत लम्बी बात हो जाती है। यह नहीं बताया जा सकता कि सरकार के ध्यान में कौन कौन सी बातें आई। आप कोई खास बात के लिये पूछें तो उसका जवाब दिया जा सकता है, जानकारी करने के बाद ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खादी संस्थान को जो रकम दी जाती है, उसका सही उपयोग होता है या नहीं, इसके लिए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एक जांच कमेटी मुकर्रर करने का क्या सरकार विचार रखती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी जांच कराई जा सकती हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या जांच कमेटी मुकर्रर करने का सरकार विचार रखती है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर कोई ऐसी बात सरकार के पास आये कि दरअसल पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसी शिकायत आने के बाद में जांच की जा सकती है।

डॉ० चंद्रकला : ऐसी शिकायत तब ही आयेगी जब आप जांच करेंगे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बिला वजह जांच करेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : बिला वजह क्यों, सरकार का रुपया है।

श्री अध्यक्ष : सरकार संतुष्ट है कि सब ठीक है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सरकार की धनराशि नहीं होती है। ऑल इण्डिया कॉरपोरेशन होता है, वह ऋण देता है। उसके बाद आन्तरिक जांच करने की व्यवस्था की गई है। खादी बोर्ड को ही मालूम होगा कि यह व्यवस्था ठीक है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२.४ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रामप्रसाद लड्ढा ने विधान सभा की बैठकों से दिनांक १६-२-१६५६ से १०-३-१६५६ तक अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

१२.५ म० प०

राजस्थान वित्त (कृषि आय-कर) विधेयक, १६५६ (पुरः स्थापन)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान फाइनेन्स एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स बिल, १६५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

राजस्थान वेट्स एण्ड मेजर्स (एन्फोर्समेंट) संशोधन विधेयक, १६५६

श्री अध्यक्ष : राजस्थान वेट्स एण्ड मेज़र्स (एन्फोर्समेंट) संशोधन विधेयक, १६५६ ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमंत्री, वित्त विभाग) अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वेट्स एन्ड मेज़र्स (एन्फोर्समेंट) संशोधन विधेयक, १६५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

१२.६ म० प०

आय व्ययक १६५६-६० पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : अब बजट पर सामान्य वाद-विवाद होगा । कई माननीय सदस्य इस वाद विवाद में हिस्सा लेना चाहेंगे । इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर समय निर्धारित कर दिया जाय तो ज्यादा माननीय सदस्य बोल सकेंगे ।

("यह बिलकुल ठीक है, सहमत हैं" की ध्वनि)

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, आज से ही हो ।

श्री अध्यक्ष : २० मिनिट का समय निर्धारित करता हूँ ।

श्री नारायणसिंह

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : This is wrong. The opposition should start first.

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह ।

श्री भानसिंह (बयाना) : Is the opposition not trying to initiate the Debate, Sir ?

श्री अध्यक्ष : It seems so.

(श्री दयाकृष्ण विजय के भाषण देने के लिए खड़े होने पर)

श्री दयाकृष्ण विजय

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य का १६५६-६० का जो आय व्ययक विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, मैं उस पर अपने कुछ विचार प्रगट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इस आय व्ययक बजट के लिये यह बताया गया है कि यह बजट एक लाभ का बजट है, लाभ का बजट हमारे सामने रखा है । जो लाभ का बजट बना कर हमारे सामने रखा है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह लाभ का बजट नहीं है बल्कि यह एक तरह से घाटे का बजट है । यह किस तरह से घाटे का बजट है, इसके बारे में निवेदन करते हुए यह बताना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर जो नये कर इन्होंने लगाये हैं, ५८ लाख के,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इस राशि को भी राजस्व आय के अन्दर जोड़ा है। इस प्रकार से इस आय-व्ययक में ३६२७.०८ लाख रुपये की आय आंकी है और इसी प्रकार खर्चे का ३६१४.२२ लाख को अनुमान लगाया है। इस प्रकार से इन्होंने जो बचत दिखाई है, उसके सम्बन्ध में विचार करते हुए अगर अनुमानित आय में से ५८ लाख रुपये की नये कर की आय घटा दी जाय तो ४३.७४ लाख का घाटे का बजट रहता है। घाटे का बजट क्यों नहीं रखा गया है, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को ऊपर से आदेश मिला है, उसमें यह बताया गया है कि अब घाटे का बजट नहीं रखना चाहिये। इसलिए विधान सभा के समक्ष एक बचत का बजट रखते हुए यह कहा गया कि यह बचत का बजट है और इसमें १३ लाख की बचत रखी है, इसमें १२.८६ लाख की बचत बताई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात ठीक नहीं है और यह एक घाटे का बजट है। जो नये कर लगाये जावेंगे वे अत्यन्त ही अन्यायपूर्ण होंगे और हम जनता के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे।

मैं इस बजट का विश्लेषण करते हुए यह निवेदन करूंगा कि इस बजट के अन्तर्गत सबसे पहले यह बताया गया है कि लोकतन्त्रीय व समाजवादी समाज व्यवस्था का जो मनोवांछित लक्ष्य व आदर्श हमने अंगीकार किया है, उसकी दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। इसमें जो शब्द रखे हैं, वे शब्द हैं 'लोकतन्त्रीय समाजवादी समाज व्यवस्था'। मेरा अपना जहां तक दृष्टिकोण है, मैं समझता हूं कि समाजवादी व्यवस्था और लोकतंत्र, इन दोनों को एक साथ लेकर हम नहीं चल सकते। जहां कहीं समाजवादी व्यवस्था फली-फूली है वहां लोकतंत्र नहीं रहा। जब हम संसार के अन्य देशों की ओर ध्यान देते हैं जहां समाजवादी व्यवस्था चल रही है तो हम देखते हैं कि उन देशों में जो व्यवस्था चल रही है, वह एक पार्टी का डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है और वहां पर लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हुआ है, लोगों को मजदूर बनाकर रख दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम राष्ट्रीय नीति का अनुसरण कर रहे हैं, जो पं० जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, उस समाजवादी व्यवस्था का अनुकरण हमने किया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमें किसी प्रकार की नीति का अनुकरण करने से पहले विचार करना चाहिए। हम समाजवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वह लोकतंत्रीय व्यवस्था का हनन करने के लिए न हो, इस बात पर विचार करना चाहिए। जिस प्रकार को नीतियां यहां अपनाई गई हैं, सहकारी नीति और गवर्नमेंट की व्यापारिक नीति, उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि जिस तरह किसानों के अधिकारों को सहकारी नीति के आधार पर, सहकारी खेती के आधार पर खत्म किया जा रहा है, उसी प्रकार व्यापारियों के व्यक्तिगत अधिकारों को राज्य व्यापार की नीति से खत्म किया जा रहा है और सारी चीजें एकतंत्रीय शासन की ओर, एक पार्टी के शासन की ओर, तानाशाही की ओर चली जा रही है, देशवासियों को मजदूर बना देने की नीति की ओर हम चले जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो दो बातें रखी हैं—लोकतंत्र और समाजवाद की, ये दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं और इस प्रकार देश के अन्दर तानाशाही को जन्म देना चाहते

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हैं। यह हो सकता है कि समाजवाद आ जाय। लेकिन समाजवाद के अन्दर सारी पूंजी, सारा व्यापार और जितने व्यक्तिगत अधिकार हैं वे स्टेट में निहित हो जाते हैं। इस प्रकार से समाजवादी व्यवस्था के अन्दर लोगों का हित कर सकेंगे, यह सम्भव नजर नहीं आता है। इसी प्रकार व्यापार की बात कही गई है कि ८ लाख रुपया व्यापार में लगा रहे हैं–पूंजीगत व्यय में से। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान का (जो प्रान्त है, उसका) जो बजट पेश किया है उसमें वास्तव में ४५.१४ लाख का घाटा है। लेकिन आपने घाटे को पूरा करने के लिए ५,२,००,००० के नये कर लगाये हैं और नये कर लगा कर प्रान्त की योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार व्यापार को अपने हाथ में लेकर कुछ लाख रुपया लगाना चाहती है, लेकिन अब एक प्रश्न खड़ा होता है, उसका माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे। अगर कुछ व्यापारियों ने खाद्यान्नों का होर्डिंग कर लिया था जिससे अनाज के भाव बढ़ गये थे, तो जैसा बताया भी है कि मार्च १६५८ के अन्दर कुछ इस प्रकार की बात हुई और कुछ फसल खराब हुई और खरीफ की फसल देर से बोई गई, इसके साथ ही राजस्थान क्षेत्र से अन्य राज्यों को भी खाद्यान्न निर्यात हुआ, इन कारणों से अनाज के भाव ऊंचे चढ़ गये।

मै निवेदन करना चाहता हूं कि भाव ज्यादा बढ़े, उसके कई कारण हैं। केवल यह कारण नहीं है कि फसल खराब हुई, बल्कि राजस्थान सरकार की जो गलत व्यापारिक नीति है वही एक कारण है। जब फसल आई तो निर्यात जारी रहा। जिस प्रकार व्यापारियों के लिए यह कहा जाता है कि उन्होंने होर्डिंग कर लिया, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि व्यापारी इस प्रकार मूर्ख नहीं हैं कि होर्डिंग करके रखें जब कि गेहूं के भाव ३५) रु० और ४०) रु० हों। अनाज तो बाहर निकल गया। जब किसानों की फसल बाजार में आने लगी तो सरकार के रेस्ट्रिक्शन्स के कारण उनको अनाज सस्ते भाव में देना पड़ा और उसके बाद रेस्ट्रिक्शन्स खोल दिये तो उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे २ भाव चढ़ते गये और उससे व्यापारियों को लाभ हुआ और किसानों को नुकसान हुआ। लेकिन सरकार की नीति यह है जैसा कि इससे स्पष्ट है कि व्यापारियों को खत्म करना है और किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिये। लेकिन इसका उपाय यह नहीं है कि राज्य सरकार अपने हाथ में यह व्यापार ले ले। इसका सही उपाय तो यही हो सकता है कि यह थोक व्यापार आप उन सोसाइटीज़ को दे दीजिये जो फॉर्मर्स कोऑपरेटिव ट्रेडिंग सोसाइटीज़ हों। बड़े फॉर्मर्स और छोटे फॉर्मर्स को मिलाकर ये सोसाइटीज़ बना सकते हैं जगह जगह और वे ही इसका व्यापार करें जिससे कि जो भी भाव घटेंगे और बढ़ेंगे तो उनको ही लाभ और हानि होगी और वे अपना लाभ और हानि देख कर ही बेचेंगे। आप थोक व्यापार चला कर एक तरफ तो व्यापारियों को बाज़ार भाव देना चाहते हैं और दूसरी तरफ जनता पर इतना बोझ, टैक्सेज़ लाद देना चाहते हैं कि उनके सामान्य जीवन भी दूभर हो जांय, और उनके सामान्य जीवन की वस्तुओं पर जो टैक्सेज़ लगा दिये हैं जिससे कि उनकी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कमर टूटी हुई है और उनकी कमर को तोड़ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकरण की नीति को विचार में रखते हुए लगाना चाहते हैं लेकिन जितनी अपनी चादर है उतने ही तो पांव फैलाने चाहिये। जैसे पहले पेज पर दिया है कि 'किसी भी प्रकार की क्रियात्मक कार्यवाही करने से पूर्व यह आवश्यक है कि हमारी आर्थिक अपेक्षाओं के आधार पर तथा उन सिद्धान्तों के अनुसार जो हमारे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हों, आयोजन किया जाय।" हमारी जितनी चादर की आर्थिक लम्बाई है उतने ही पैर फैलें तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आज हमारी राज्य सरकार थोक व्यापार को करने की परिस्थिति में नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा थोक व्यापार करने से जहां व्यापारी परेशान होंगे वहां किसानों का भी हित नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि जिलेवार बड़े और छोटे फॉर्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाये, ताकि वे अपनी सोसाइटीज़ के जरिये फसल को बेच सकें और उससे उनको अच्छा पैसा मिल सके। लेकिन जो राष्ट्रीय नीति थोक व्यापार की अपनाई जा रही है वह गलत है। इसके साथ ही साथ इसमें यह बताया गया है कि विगत दो वर्षों में करीब एक करोड़ का राज्य सरकार को खाद्यान्न में घाटा रहा है। बीज मंगाने के लिए प्रयास सरकार ने किये लेकिन आपकी रिपोर्ट द्वारा ही यह बताया गया है कि सरकार को १ करोड़ का घाटा रहा। जब बीज को मंगा कर देने में ही राजस्थान सरकार को घाटा रहा तो खाद्यान्न का किस प्रकार से थोक व्यापार अपने हाथ में लेना चाहती है। बीज किसानों को बांटने के लिए लिया, लेकिन उसका हाल यह हुआ कि वह आया जरूर लेकिन समय पर नहीं आया, काश्तकारों ने खरीदा नहीं क्योंकि वह खराब क्वालिटी का था। इसलिए उसके व्यापारियों को पर्मिट दिये गये और उन्होंने उसको बाहर भेज दिया। इससे काश्तकारों को जो फायदा होना चाहिये था वह उनको नहीं हुआ और व्यापारियों को ही इससे फायदा हुआ। इससे सरकार को १ करोड़ का नुकसान रहा है और सरकार थोक व्यापार अनाज का करने जा रही है। यह थोक व्यापार की नीति, मैं यह कहूंगा कि राजस्थान के हित में नहीं है और यह भी कहूंगा कि थोक व्यापार की जो राष्ट्रीय नीति है उसको छोड़ देना चाहिये और इसको फॉर्मर्स की कोऑपरेटिव ट्रेडिंग सोसाइटीज़ को दे देना चाहिये।

इसके बाद मैं भवन निर्माण कार्य, जो अजमेर में चल रहे हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। राव समिति की सिफारिश के अनुसार कुछ कार्यालय अजमेर में रखे गये। उनके लिए २५ लाख रुपयों की भवन बनाने के लिए रकम इस बजट में रखी गई है। मैं इसके इतिहास की ओर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत ही सीमित कर दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न था कि राजस्थान का हाइकोर्ट और राजधानी कहां रहे। राव समिति ने सब स्थानों का दौरा किया, हर स्थान के लोगों ने जगह बताई, इतनी बिल्डिंग्स अमुक २ कार्यालय के लिए दी जा सकती है। लेकिन कुछ कार्यालयों को स्थानान्तरित कर दिये जाने के लिए अजमेर को उपयुक्त समझा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन और रेवेन्यू बोर्ड वहां रख दिये जांय और बिल्डिंग्स वहां भी बताई

Page No 35

(श्री दयाकृष्ण विजय)

गई थीं लेकिन फिर उनके कार्यालयों के भवन निर्माण के लिए २५ लाख रुपया रखा गया है और यह रकम उनके भवन के निर्माण के लिए लगा देना चाहते हैं। यह बहुत उलझा हुआ प्रश्न था लेकिन जब वहां कार्यालयों के लिए भवन नहीं थे तो कोटा में जगह खाली पड़ी है, वहां उनको बदल दिया जाय, इससे नये भवन निर्माण में सरकार को व्यय भी नहीं करना पड़ेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य से कहूंगा कि कोटा में खाली पड़े मकानों की अभी नहीं, बाद में मुझे लिस्ट दे दें तो और भी आवश्यकतायें हैं, हम उनका उपयोग उनके लिए कर लेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय: आपको बताया भी गया था कि इतने कार्यालयों के लिए जगह उपलब्ध हैं। कोटा में कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि असेम्बली को रखा जाय और राजधानी को भी वहां रखा जाय। यह आपकी कांग्रेस पार्टी ने ही सुझाव रखा था, मेरी अपनी पार्टी का सुझाव नहीं था। मैं इससे सहमत भी नहीं था कि राजधानी वहां रखी जाय। लेकिन किसी प्रकार के कार्यालय रखे जाते। लेकिन अजमेर के लोगों को संतुष्ट करने के लिये, वहां से राजधानी हटी थी इसलिए वहां रख दिये जांय। लेकिन भवन निर्माण के लिए २५ लाख रु० ऊपर से दिये जांय, यह उचित नहीं है।

इसके पश्चात् मैं बुनियादी शिक्षा के विषय पर कहना चाहता हूँ। आपने अपने भाषण में यह शंका भी प्रकट की है कि बुनियादी शिक्षा की उपयोगिता के विषय में कुछ क्षेत्रों में संशय प्रकट किया जाता है। मैं मानता हूं कि बुनियादी शिक्षा हमारे नौजवानों को काम दिलाने की एक शिक्षा है। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बेसिक स्कूलों में अध्यापकों की स्वयं की यह शिकायत है कि उनको पढ़ाने के लिए एवं पढ़ने के लिए साहित्य नहीं मिलता। केवल चरखा चलाने, कातने से ही काम नहीं चलता। दूसरी भी शिक्षा हो सकती है। हमारे प्रदेश को लेकर उस विषय में उनको साहित्य नहीं मिलता। जब आपने बेसिक स्कूल्स खोले ही हैं तो कम से कम उनको जो बेसिक स्कूल के लिए साहित्य आवश्यक है, वह तो उपलब्ध करना ही चाहिये। मैं आपको कोटा के लिए बता सकता हूँ कि बेसिक स्कूल में उनके पास साहित्य नहीं है, थोड़ा बहुत काम वहां सिखाया जाता है लेकिन दूसरे जो काम हैं जिनको कि अपने हाथ में लेना चाहते हैं लेकिन उनको सिखाने के लिए उनके पास साहित्य उपलब्ध नहीं है। जब तक उनके पास पर्याप्त साधन न हो तब तक किस प्रकार काम हो सकता है? इसलिए जहां जहां आपके बेसिक स्कूल्स हैं कम से कम उन शिक्षणालयों में सारे साधन मोहैया करें, बेसिक शिक्षा के जो साधन और सामग्रियां हैं वे उनको उपलब्ध होनी चाहिये। इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके पश्चात् मैं आपका इस बात की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कुछ मिडिल स्कूल्स को हायर सेकेन्डरी स्कूल्स में परिवर्तित किया गया, लड़कियों के लिए इन्टर कॉलेज खोले गये, लेकिन संस्कृत के उत्थान की ओर वित्त मंत्री महोदय ने अपने

(श्री दयाकृष्ण विजय)

भाषण में कोई भी बात नहीं बतायी। आठवीं कक्षा तक इसकी शिक्षा चलती है लेकिन वह भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह चल रही है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, पं० जवाहरलाल नेहरू का एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो मुझे पढ़ने को मिला था, उन्होंने संस्कृत को अपनी प्राचीन संस्कृति का मूल माना है और उन्होंने कहा है कि इस भाषा को सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिये। मुझे बजट देख कर यह दुःख होता है कि इसकी पढ़ाई के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। कम से कम दसवीं कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य किया जाय, इसके लिये जो भी कुछ खर्चा हो वह दिया जाना चाहिये। संस्कृत का पढ़ना केवल हिन्दी भाषा के लिये ही आवश्यक नहीं है, देश के पुनर्निर्माण और अपनी मूल संस्कति के आधार पर पुनर्निर्माण के लिये भी संस्कृत का पढ़ाया जाना आवश्यक है, हमारे नवयुवक संस्कृत के ज्ञान से पूर्णतया भिज्ञ हों। इसमें हालांकि कोई धनराशि इसके लिये नहीं रखी गई है, फिर भी किसी अन्य निधि में से इसके लिये धन दिया जायगा, यह मैं आशा करता हूँ।

अब मैं चिकित्सा की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके लिये काफी खर्चा किया गया है लेकिन इसमें जो एक बात है वह मेरे ध्यान में आयी है देहाती क्षेत्र में जो डॉक्टर्स रखे जायेंगे उनको ७५ रुपया और दिया जायगा। वैसे भी देहातों में अस्पतालों का पूरा अभाव है, वहां पर इस प्रकार का प्रलोभन देकर डॉक्टरों को भेजने से मैं समझता हूं कि उसके बजाय एम० बी० बी० एस० जो पास कर लेते हैं उनके लिए यहां स्टेट की सर्विस करना कम्पलसरी कर देना चाहिये। उनके साथ यह शर्त हो जानी चाहिये कि इतने साल तक तो स्टेट को सर्विस देनी होगी। ७५ रुपये देकर भी यदि गांवों के अन्दर डॉक्टर लोग जाते हैं तो मेरा इसके लिये यह निवेदन है कि यह रुपया उनको न दिया जाकर उनके लिये गांवों में भवन बनाने, अस्पताल के लिये भवन आदि बनाने के बारे में रुपया खर्च किया जाता तो ज्यादा उचित रहता। गांवों में डॉक्टर लोग केवल इसलिये जाना नहीं चाहते कि उनको वहां रहने के लिये सुविधा नहीं होती। रहने के लिये मकान नहीं मिलता इसलिये इस भत्ते के रूप में दिये जाने के बजाय उस रुपये को निवास स्थान आदि की व्यवस्था के लिये खर्च किया जाय तो ज्यादा उपयोगी होगा।

अब मैं कृषि ऋण समिति के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस समय राज्य के अन्दर ६,५०४ कृषि ऋण समितियां चल रही हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं, मुझे कोटा डिविज़न के तहसील भड़ोक की एक कृषि ऋण सहकारी समिति को देखने को मिली; वहां पर कृषकों को महंगा ऋण दिया जाता है। वहां पर प्राइवेट बोहरों से जो ऋण मिलता है वह पांच सेर प्रति बाड़ी के हिसाब से है लेकिन सरकार जो देती है वह साड़े सात प्रति बाढ़ी लेकर देती है। तो जब हम यह चाहते हैं कि कृषकों को बोहरों के पंजों से मुक्त करें तो वैसी हालत में यह आवश्यक है कि हमें बोहरों से कम ब्याज पर कृषकों को ऋण देना चाहिये। जो बोहरे लोग हैं, जो रकम देते हैं, वे पांच सेर बाड़ी पर देते हैं। लोगों को यह अपेक्षा थी कि हमारी जो ऋणदात्री समि-

(श्री दयाकृष्ण विजय)

तियां होंगी वह कम ब्याज पर ऋण देंगी। मुझे याद है कि हमारे इलाके में एक जगह पर हमारी सरकार द्वारा एक समिति एक तरफ ऋण देती थी और उसी के सामने एक बोहरा दुकान लगाकर बैठा था। वह तो पांच सेर बाढ़ी के हिसाब से देते थे और कृषि ऋण सहकारी समिति थी वह साढ़े सात सेर प्रति बाढ़ी के हिसाब से देती थी। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि यह अन्तर नहीं होना चाहिये। जब कि हम काश्तकारों के फायदे के लिये कर रहे हैं तो उसका फायदा उनको मिलना चाहिये।

अब मैं अन्त में एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मद्य निषेध के लिये २५ हज़ार रुपये की रकम रखी गई है और वह कार्य समाज कल्याण बोर्ड को दिया गया है। जहां तक मद्य निषेध के लिये प्रचार का ताल्लुक है वह इतना काफी होगया है कि उसके प्रचार की इतनी आवश्यकता नहीं है। यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि एक्ट के बन जाने के बाद भी इस सम्बन्ध में प्रचार होना चाहिये, मैं यह जरूरी समझता हूं कि इसके प्रचार के सम्बन्ध में रुपया न रखा जाकर इसके लिये इस प्रकार का एक्ट रख दिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। २५ हजार रुपये रखे गये हैं, वास्तव में उतना खर्च नहीं है।

सड़कों की जो दुर्दशा राजस्थान में है वह अन्य किसी प्रान्त में नहीं होगी। मुझे कोटा ज़िले का बहुत ज्यादा अनुभव है। इसके अलावा अब की बार राजस्थान की और जगहों पर भी जाने का मौका मिला। राजस्थान की जो सड़कों की दुर्दशा है। वैसे मोटर वालों से काफ़ी रोड टैक्स लिया जाता है लेकिन जो लिया जाता है वह उस स्थान पर खर्च किया जाता है तो भी सड़कों की दशा सुधर सकती है। हो सकता है जो रोड टैक्स के नाम से टैक्स आपको मिलता है आप विकास कार्यों में खर्च कर देते होंगे, किन्तु आज यहां जो सड़कों की दुर्दशा है वह किसी अन्य प्रान्त में नहीं है। हमारे पड़ौसी प्रान्त मध्यभारत को ही देख लीजिये वहां की सड़कों की हालत बहुत अच्छी है। जब हम राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते हैं तो यह अपने आप पता चल जाता है कि अब राजस्थान की सीमा चालू हो गई है। मोटरों में बैठे हुए सड़कों में खड्डे होने का अनुभव होने लग जाता है। आज होता यह भी है कि इधर तो सड़कें बनती जाती हैं और दूसरी तरफ उसमें गडढे पड़ जाते हैं। हमारे इलाके में छीपा बडोद की ओर एक सड़क बनी थी। वह तीन महिने बाद ही उसकी शिकायत आने लग गई कि यह टूट गई। जितने भी सड़कें बनाने वाले ठेकेदार हैं वे क्या करते हैं कि मिट्टी डाल कर उस पर रोलर फिरा देते हैं। चूंकि पी० डब्ल्यु० डी० से उनका कमीशन बन्धा हुआ रहता है अतः उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती। इस प्रकार से सरकार द्वारा जो सड़कों का निर्माण कराया जाता है उसमें पैसा एक प्रकार से व्यर्थ में जा रहा है। जहां पहले साल में सड़कें बनाते हैं दूसरे साल में वे सड़कें समाप्त हो जाती हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम पी० डब्ल्यु० डी० पर बहुत कड़ी निगरानी रखी जाय। सन् ५८–५६ में सड़कों के निर्माण के लिये दो सौ लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं लेकिन

Page No 38

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इसका सदुपयोग हो इसके लिये आवश्यक है कि पी० डब्ल्यु० डी० पर कड़ी निगरानी रखी जाय। मोटर वाले भी यह अच्छी तरह बता सकते हैं कि सड़क ठीक बनी है या नहीं। सड़क बनाने वाले जो ठेकेदार होते हैं वे मिट्टी डाल कर रोलर चला देते हैं, लैवलिंग हुआ नहीं कि मिट्टी डाल दी जाती है। तो ऐसी हालत में जो दुर्दशा राजस्थान में सड़कों की है वैसी अन्य किसी प्रदेश में नहीं है।

अल्प बचत योजना के बारे में भी कुछ निवेदन करना आवश्यक समझता हूँ। जबर्दस्ती इसके लिये लोगों से रुपया लिया जाता है। कोई बन्दूक का लाइसेन्स लेने आवे तो उसको कहा जाता है कि इतने रुपये अल्प बचत योजना में लगावें तभी आपको लाइसेन्स मिल सकता है, किसी को किसी चीज़ का पर्मिट लेना हो तो साठ रुपये, सौ रुपये या दो सो रुपये तक अल्प बचत योजना के नाम पर ले लिये जाते हैं। इसमें तहसील के पटवारी से लेकर कलेक्टर तक शामिल हैं। इससे बेचारे काश्तकार बड़े परेशान हैं। उनको कुछ न कुछ रकम देनी पड़ती है तभी उनका दूसरा काम निकल सकता है।

खेती के विषय में बोलते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार रबी-अभियान की चर्चा सदन में रही वैसी हालत खरीफ- अभियान की नहीं होनी चाहिये। हमें खरीफ अभियान के लिये बीज का स्टॉक है इसको रखना होगा ताकि लोगों को अच्छा बीज समय पर मिल सके। रबी अभियान में जिस प्रकार बड़े बड़े काश्तकारों को बीज मिला और वह बाजार में बेचा गया, यह नहीं होना चाहिये। इतना ही निवेदन करते हुए यह कहना चाहूँगा कि बजट हमारे सामने आया है और उसमें जो टैक्स आदि लगाये गये हैं, यात्री कर आदि उससे जो ५८ लाख की आमदनी बताई गई है वह न्यायसंगत नहीं है। अन्त में मैं यह कह सकता हूँ कि यह बजट को सरप्लस बताया गया है वह सरप्लस न होकर एक तरह से घाटे का है। मेरी समझ में ४५ लाख रुपये का घाटा है इसलिये यह किसी प्रकार से भी संतोषजनक नहीं है।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, इस साल वित्त मन्त्री महोदय ने जो छोटी सी बचत की सूचना दी है और आज ही जो केन्द्रीय बजट पेश हुआ है उसमें बड़े भारी घाटे की सूचना है। इसके अलावा दूसरे दूसरे राज्यों में भी बजट घाटे का बनाया गया है। वैसी परिस्थिति में यह छोटी सी बचत भी बड़ी उत्साहवर्धक प्रतीत होती है। वित्त मन्त्री महोदय ने कहा है "जनता में आन्तरिक-प्रेरणा उत्पन्न की जाय" और आगे कहा है "हमारे देश की अधिकांश आबादी गांवों में बसती है और परम्पराबद्ध मनोवृत्ति आदिकालीन अवस्थाओं या सीमित साधनों वाले हमारे इन देशवासियों को केवल इस बात की अपेक्षा है कि उनके अन्तःकरण की ज्योति जगा दी जाय।" अन्तःकरण की ज्योति की ओर इशारा किया गया है। इसके अलावा उन्होंने "रूढ़िवाद की बेड़ियां उतार फेंकने की प्रसुप्त लालसा विद्यमान है और यदि उन्हें उचित मार्ग दिखाया जाय तथा आवश्यक सहायता दी जाय तो ये सार्वजनिक हित के किसी भी कार्यक्रम में निस्संदेह पर्याप्त योगदान कर सकते हैं,"

(श्री नारायणसिंह)

यह इशारा किया है। ये वास्तव में प्रेरणात्मक वाक्य हैं और मैं तो समझता हूं कि एक प्रकार से हमारी जो कार्य-प्रणाली आज बैठी हुई है और जो कि हमारी योजनाओं की त्वरित गति है, आवश्यक है, उससे पिछड़ी हुई ही नजर आती हैं, उसको भी चुनौती देने वाले वाक्य हैं और कार्यकर्ताओं को भी चुनौती देने वाले हैं।

आज वाकई हमारा जन मानस जिसकी तरफ मैंने पहले राज्यपालीय अभिभाषण पर हुई बहस के अवसर पर अपने भाषण में, इंगित किया था, विक्षुब्ध अवस्था में ज्योत्स्ना की जरूरतमन्द है। यद्यपि वह तत्पर और जागरुक अवश्य हैं, अशिक्षित नीचे का जन मानस एक प्रकार से खोया सा है। जो साम्राज्यवादी पहले थी उसमें नौकरशाही का सहारा था। ढांचा करीब २ आज भी उसी तरह का है।

फिर आज जो टार्गेट नियोजन पद्धति है वह भी एक प्रकार से उनको खुद को रेस्पोन्सिव और रेस्पोन्सिबल बनाने में घातक है। उनकी आदतें बिगड़ती हैं और यह तो निर्विवाद है कि जब थोथे टार्गेट का मामला किसी न किसी प्रकार से जनता के सामने आता है तो एक प्रकार से एक मायूसी उनमें उत्पन्न हो जाती है।

इस जन मानस के साथ हो साथ हमें विचारशील जन मानस की भूमिका भी देखनी है। हमारा विचारशील जन मानस भी विक्षुब्ध और किंकर्त्तव्य विमूढ़ अवस्था में मालूम होता है। एक तरफ जनतन्त्र, कल्याणकारी जनतन्त्र, समाजवादी समाज रचना और योजना पद्धति ये चारों एक एक प्रकार से विरोधी तत्व हैं, इनको उनके दिमाग अभी हजम नहीं कर पाये हैं और ये तब तक हजम नहीं हो सकते जब तक कुछ समन्वय का उदय इन सब बातों में न हो तो एक ऐसी विक्षुब्ध अवस्था में सारी विचार-धारा उनकी चल पड़ती है। ऐसी दिशा में वह चलने को मजबूर हो जाती है कि जिसमें सारी नीति और सारी कार्य दिशा लहराती सी नज़र आती है। तो ऐसी भूमिका में हमें यह सोचना है कि अगर हमें जनतन्त्र कायम रखते हुए एक समाजवादी ढांचा हमारे यहां निर्माण करना है और एक नियोजन पद्धति से करना है तो इसमें हम यह न भूलें और इस ओर मैंने अपने पहले भाषण में भी इशारा किया था कि व्यक्ति और व्यक्तित्व विकास मूलक समाज रचना हमारी होनी चाहिये। आवश्यक यह है कि सारा नियोजन नीचे से शुरू हो। एक रेस्पोन्सिव और रेस्पोन्सिबल लीडरशिप बना सकें। इस आदर्श को लेकर हमें नियोजन शुरू करना है। ऊपर से थोपी हुई टार्गेट पद्धति से नियोजन को खतरा बहुत है और इसके लिये मैं काफी कह चुका हूं। इसकी कई अर्थशास्त्रियों ने भी शिकायत की है। फिर हमारा डेटा भी बड़ा अपूर्ण है और उनके हिसाब से हम सही दृष्टिकोण नहीं बना सकते। आज हम अपने दिलों पर हाथ लगा कर पूछें तो शायद इन टार्गेट्स की सत्यता के लिये हमें भी हमारे दिलों में आशंका हो जावेगी।

तो आज ऐसी स्थिति में हमारी अर्थ व्यवस्था चल रही है और जब हमें एक नियोजन की तत्परता, एक नियोजन के लिये जल्दी लगी हुई है, ऐसे समय में जबकि हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विचार करना

(श्री नारायणसिंह)

है और दूसरी योजना के कुछ वर्ष निकल भी चुके हैं, हमें हमारे भावी नियोजन की तरफ विशेष प्रकार से दृष्टिपात करना होगा और एक दृष्टिकोण बनाना होगा। मैं इस विषय में राज्यपाल महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुए कह चुका हूँ कि हमारा नियोजन माइक्रो (micro) प्लानिंग हो, अणु नियोजन हो और उसकी संक्षेपतः यह स्थिति हो कि सबसे पहले एक एक व्यक्ति की जरूरत का सर्वेक्षण हो और बाद में उसके आधार पर वहां के विकास का चित्र बनाया जावे और फिर उसको समूह से संयुक्त किया जावे और इस प्रकार के समूह संयुक्त व्यक्तिवाद से ही हमारा जनतन्त्र बना रह सकेगा। जो हमारे कल्याणकारी जनतन्त्र का आधार है वह व्यक्ति है और व्यक्ति से समूह बनता है। पर जो हमारी नियोजन पद्धति है वह एक समूहमूलक है और उसका आधार एकतन्त्रशाही रहा है। तो हमारा नियोजन इस तरह का हमें बनाना पड़ेगा जिससे हमारा जनतन्त्र पर कोई आघात न पहुँचे। अभी अभी एक माननीय सदस्य ने विचार प्रकट किया था, अणु नियोजन के लिये। इस पर विस्तार में कहने का अभी समय नहीं है। फिर भी कुछ इस विषय में इतना कहूँगा कि हरएक गांव में एक स्वावलम्ब का चित्र बनेगा, हरएक गांव में पंचायत होगी, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट होंगे, ऐसे गांवों को मिला कर ४० हज़ार की आबादी का एक वर्ग बनेगा। कुछ डेवेलपमेंट कार्य एक ब्लॉक लेवल के रूप में होंगे। आज भी ब्लॉक हैं पर बराबर इस प्रकार से वे नहीं बने हैं और उनको आज सारे राष्ट्र में सुव्यवस्थित करने का प्रश्न है। तो ऐसे स्थानों पर एक अनिवार्य रूप से चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, उच्चतर माध्यमिक शालाएं, सीड स्टोर ट्रैक्टर और ट्रैक्टर सर्विस स्टेशन कोऑपरेटिव सोसाइटियां, बैंक, कोऑपरेटिव विक्रय केन्द्र आदि आवश्यक वस्तुएं तो उस केन्द्र स्थान पर होगीं ही। यहां यह आवश्यक है कि इस प्रकार से कृषि, उद्योग, शिक्षा और चिकित्सा इन चार अंगों का पूर्ण विकास, बिलकुल नियोजित रूप से और बिलकुल ठीक नीचे से चला हुआ हो सकेगा।

जहां छोटे उद्योगों की बात आती है उस तरफ हमारा ध्यान जाता है। इनको चलाने को हम तत्पर होते हैं। हमारी सरकारी नीति भी बनाती है पर वास्तव में जो बड़े उद्योग हैं उनसे कम्पिटीशन में वे कैसे बिठाये जाएं, इस समस्या का हल हम नहीं कर पाये हैं आज तक। वास्तव में आवश्यक यह है कि उनके प्रोडक्शन का स्टेन्डर्ड डाइजेशन हो और इसके अनुसार छोटे बड़े उद्योगों का उत्पादन निर्धारित हो। इसके बिना सही स्थिति हम छोटे उद्योगों की नहीं बना सकते। माननीय वित्त मन्त्री ने विचार प्रकट किया है कि राहत दी जावेगी छोटे उद्योगों को। पर राहत स्पष्ट रूप से स्टेन्डर्डडाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के रूप में ही हो सकती है। उपरोक्त भंवाई विकास वर्गों की प्रकार के वर्ग शहर में भी बन सकते हैं और उसी प्रकार नियोजन को प्रारम्भ कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि नियोजन होगा तो मुझे निश्चित आशा है कि अपव्यय, धीरे प्रगति जिसकी ओर वित्त मन्त्री ने भी इशारा किया है, शोर्ट फाल्स, भ्रष्टाचरण आदि की शिकायतें भी कम हो सकेंगी। इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जो विकास का नियोजन होगा वह व्यवस्थित होगा और इस तरह से हर स्थान

(श्री नारायणसिंह)

का संतुलित विकास हम कर सकेंगे ।

जो बड़े बड़े नियोजन हैं उनको आप ऊपर के लिये छोड़ सकते हैं। इन सबको मूलाधार करते हुए वहां प्रूनिंग (Pruning) हो सकती हैं। इस प्रकार से हमारा नियोजन नीचे से चलेगा। बलवन्तराव मेहता की रिपोर्ट के अनुसार हमारा विकेन्द्र पद्धति के क्रियान्वयन का निश्चय जरूर काफी दूर तक हमें ले जायेगा। और इस विषय में पृष्ठ ३२ और ३३ पर अपने भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने इशारा किया भी है कि किस प्रकार से हम इस नियोजन को व्यापक रूप दे सकते हैं और जन-साधारण के पास पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से कार्य कर्त्ता और उनके शिविर और उनके ट्रेनिंग सेंटर्स इत्यादि आयोजित होंगे। खैर, उनकी कार्य विधि किस प्रकार से तैयार की जाये, उनमें क्या लेकुना हो सकता है इस बात में तो काफी समय व्यतीत हो जायेगा लेकिन अब मैं इस बात पर आता हूँ कि योजना की सफलता के लिए सब कार्य प्रणालियों की बारीकी में जाना आवश्यक है जो आज एक प्रकार से अन्‌लुब्रीकेटेड मशीनरी की तरह अटकती चलती है। यदि उस अन्‌लुब्रीकेटेड मशीन को लुब्रीकेट हम नहीं कर सकते तो निश्चय ही हम अपनी योजना आगे बढ़ने में बहुत ही दिक्कत महसूस करेंगे, जैसा कि आज हम अपनी १॥ पंचवर्षीय योजना काल में अनुभव कर चुके हैं। इसके साथ ही मैं सदन का ध्यान प्रधानतः बजट प्रणाली, जांच प्रणाली, मंजरियों की व्यवस्था और प्रशासन प्रणाली की ओर आकर्षित करूंगा जो योजना प्रगति की कुंजियां हैं।

१२.४१ म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति पदासीन)

आज हमारे यहां जो बजट प्रणाली हमें मिली है वह ऐसे युग की है कि जिस समय राज्य का स्वरूप सुरक्षा राज्य था। आज एक प्रकार से जहां हम कल्याणकारी राज्य की तरफ सोचते हैं वहां हम बजट को उसी प्रकार से नहीं सोच सकते। हमारे लिये यह आवश्यक है कि जनता राष्ट्रीय जरूरतों को खुद समझ सके और बजट के तत्वों को समझ सके कि वह किस प्रकार से राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं जनता में यह भी तत्परता और यह भी उत्साह कायम हो कि वह बचाकर योजनाओं के लिए कुछ दे सके। बचाने की भी उनकी एक प्रकार की व्यवस्था रहे, समाज में और उसके लिए संरक्षण रहे। इस ओर केवल मैं नेशनल सेविंग्स स्कीम की तरफ इंगित करूंगा। नेशनल सेविंग्स स्कीम में जिस प्रकार की प्रगति है हमारी जो गरीब जनता है वह कितना छोटे से छोटा बचा सकती है, इसकी ओर हम अन्दाज़ा लगा सकेंगे। ऑल इंडिया, फिगर्स यदि हम लें तो टार्गेट १०० करोड़ का था जो कि अप्रेल से नवम्बर ५८ तक ३७ करोड़ तक ही पूरा हुआ। अब आशा की जाती है कि ८० से ८२ करोड़ तक वह पूरा हो सकेगा। इस तरह टार्गेट में कमी रह गई। इस दिशा में हमारे राजस्थान का जो चित्र मिलता है बेसिक स्टेटिस्टिक्स एक छोटी किताब है उससे १९५५–५६ में १०४.२३ लाख हमारी स्मॉल सेविंग से वसूली हुई और १९५६--५७ में १०३.४४ लाख, तो यहां पर बहुत कम फर्क रहा है। यह उत्साहजनक बात जरूर है कि लोगों की

(श्री नारायणसिंह)

स्मॉल सेविंग की तरफ रुचि है और इसकी तरफ जो उनकी क्षमता है वह भी मालूम पड़ती है। लेकिन फिर भी व्यापक दृष्टिकोण में भारतीय भूमिका में यदि देखते हैं तो हमें जो चेतावनी और जो बात हमारे केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय ने कही है उससे अन्दाजा लगाना चाहिए। उनके वाक्य स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में उत्साहजनक बात नहीं कहते। अब बजट का जो वास्तविक लक्ष्य है जो जन कल्याणकारी राज्य में बजट का लक्ष्य होना चाहिए वह यह है कि न केवल बजट आंकड़े रखने के लिए ही अथवा गवर्नमेन्ट का स्ट्रक्चर कायम रखने के लिए ही बने बल्कि वह धन और कमाई के साधनों का सुयोग्य बंटवारा एवं अवसर देने वाला हो। इस दृष्टि से बजट के अन्दर टक्सेशन किस प्रकार के होने चाहिए इस विषय में ध्यान आवश्यक है। बजट के बनाने के विषय में भी लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने भी कई मार्ग दिशाएं बताई हैं और उन्होंने बताया है कि विभागों के कार्यभार निर्धारित किये जायें, कार्यभारों के प्रोग्राम का विभाजन हो और तब स्कीम और योजनाओं के तखमीने लगाये जायें। यह भी साथ में कहा कि प्लान और नॉन प्लान का खर्च अलग अलग किया जाये। इस विषय में हमारे माननीय वित्तमंत्री-महोदय ने भी इशारा किया है। इंगलैंड में जो बजट का डिस्कशन होता है उसकी भी एक दिशा है। वहां पर बजट बहस के लिए हाउस की सेप्रेट कमेटी बनती है और फिर वह कमेटीज़ उस पर विचार करती हैं। आज ऐसे युग में इस समूचे रुप से बजट के ऊपर जनरल बहस करके हम पूर्त्ति नहीं कर सकते और उतनी विचारशील बहस नहीं की जा सकती। हमारे यहां पर अगर सेप्रेट कमेटी की प्रणाली अपनाई जाये तो बजट के ऊपर पूरी दृष्टि डाली जा सकती है।

अब मैं एक्युरेट बजेटिंग की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारी पब्लिक अकॉउन्ट्स कमेटी की सन् १९५७–५८ की चौथी रिपोर्ट में बिलकुल साफ बताया है और सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट से भी मालूम होता है कि रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में १०,२०,४० और ८० पर्सेंट तक के फर्क आये हैं। तो ऐसे फर्क वास्तव में बिलकुल स्पष्ट बताते हैं कि हमारा बजट बनाते समय जो अंकन किया जाता है, जो एस्टीमेट्स बनाये जाते हैं वे मुकम्मिल और बराबर नहीं होते हैं। इस विषय में मैंने गत वर्ष भी इशारा किया था और इस विषय में पब्लिक अकॉउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट की राय बिलकुल स्पष्ट है। बजट के अलावा जो मैंने दूसरी बात की तरफ इशारा किया था वह है जांच एवं भुगतान प्रणाली के बारे में। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज जो हमारी प्रणाली है उसको बहुत ही सूक्ष्म बनाने की आवश्यकता है। वहां पर जो विभागीय किसी स्तर पर जिम्मेदार ऑफिसर हैं उन को ऐसी शक्ति दी जानी चाहिए कि वह सीधे पेमेन्ट सरल तरीके से कर सकें। अगर उनके ऊपर किसी तरह की कोई लगाम रखनी है तो पर-चेजेज़ सब कमेटीज़ बनाई जा सकती हैं। उसके बाद में भुगतान बिलकुल तुरंत होना चाहिए ताकि टेन्डर वालों की जो कीमत आवे वह बहुत ज्यादा न हो। इसी प्रकार और भी सिस्टम ऑफ ऑडिट में कई प्रकार के परि-वर्तन होने चाहिए। इसी तरह से सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और सिस्टम ऑफ टैक्निकल सैंक्शन में भी तब्दीली होने की

(श्री नारायणसिंह)

आवश्यकता है। आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमें शीघ्रातिशीघ्र हमारी योजनाओं को कार्यान्वित करवाने की आवश्यकता है। उस समय एक ऐसे विधि प्रणाली में हमारी प्रशासन व्यवस्था को उलझाये हुए नहीं रख सकते जो विधियें एक प्रकार से साम्राज्यशाही और सामन्तशाही की बनाई हुई थी। इन विधियों की जंजीरों से जकड़ी हुई प्रशासन व्यवस्था आज नियोजन के साथ जिस तरह बहनी चाहिए, नहीं बहती। मैं थोड़ा सा टैक्सेशन के बारे में भी कहना आवश्यक समझूंगा। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने सिस्टम ऑफ टैक्सेशन के बारे में कोई बहुत ही स्पष्ट भाषा तो प्रयोग नहीं की फिर भी उन्होंने करीब ५८ लाख रुपये के टैक्स का संकेत किया है। मैं इस टैक्सेशन की पद्धति के बारे में और जो बजट के बारे में मूल आधार रखे गये हैं उनकी ओर भी इशारा करूंगा और उसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि आज जो भारतीय परिस्थिति में प्रत्यक्ष टैक्स एक ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं कि जिनकी उपादेयता बिलकुल नहीं के बराबर हो गई है और उसका उदाहरण एक्सपेन्डीचर टैक्स, वेल्थ टैक्स आदि की वसूलियात से मिलता है और जो अप्रत्यक्ष टैक्स लगे हैं उनके बारे में भी जो बजट में पढ़ा तो उसको भी नजर अन्दाज नहीं करना चाहिए। जब हम योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक तरफ हमारा खर्चा बढ़ता है और टैक्स भी बढ़ते जाते हैं तो इसके बारे में हमारे भूतपूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री सी० डी देशमुख ने बताया है वह चेतावनीवत् ध्यान में रखने की बात है :

"In India where the results of taxation are seen by the people in the fruits of planning, it should be easier to carry the people with the Government and make grumbling seen worth while only at the margin"

यह टैक्सेशन बसेज़ अनियन्त्रित गवर्नमेन्ट एक्सपेन्डीचर के लिए आगाही है। तो मैं अप्रत्यक्ष टैक्स के बारे में कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में काफी विचार करने की आवश्यकता है। वेस्ट बंगाल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने पांच इन्कम ग्रुप्स बनाये हैं उनमें जो अप्रत्यक्ष कर का असर पड़ता है वह उन्होंने निर्धारित किया इनडाइरेक्ट टैक्स में। उसके मुताबिक ७०० से लेकर ऊपर की आय पर असर ३.४१, और उससे नीचे के ग्रुप्स में पर्सेन्टेज से ७०० तक की आय के राइज़ होते हैं इस प्रकार :—३.८९, ३५१ तक की आय के लिए ४.२९, २०१ से ३५० तक की आय के लिए होते हैं। ४.७८, १०१ से २०० तक की आय पर और ५.१२, १ से १०० तक की आय में राइज़ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इनडाइरेक्ट टैक्स हैं उसका सारा भार अधिकृत छोटी आय वालों पर पड़ता है और एक अर्थ विशेषज्ञ की यह भी राय है कि जिस फेमिली में ज्यादा डिपेन्डेन्ट्स हैं उस पर ही ऐसे कर का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारे सारे सेल्स टैक्स के स्ट्रक्चर को फिर से जांचने की आवश्यकता है।

अब मैं एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां जो लैंड रेवेन्यू है उसको वैज्ञानिक ढंग से एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स से रीप्लेस करना चाहिये तभी आप राजस्व टैक्सेशन में एक प्रकार की क्रान्ति ला सकेंगे, यह बात अनेक बार सदन के सम्मुख दुहरा चुका हूँ।

(श्री नारायणसिंह)

इसके साथ साथ मैं कुछ उन बातों पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं जो वित्त मंत्री जी के भाषण में आती हैं जैसे अन्न के व्यापार में १ करोड़ की क्षति। आज की परिस्थिति में जब हम करोड़ों रुपयों का कर्जा विदेशों से ले रहे हैं और हर प्रकार से फॉरिन एक्सचेन्ज की परिस्थिति विषम है इस परिस्थिति में इस प्रकार के मामलों के लिए बिलकुल तैयार नहीं होना, इस प्रकार की हानियां विशेष प्रकार से न देखी जाना भारी कसूर की बात है। इसके लिये पूरी इन्क्वायरी होनी चाहिये। आज यदि कम्युनिस्ट राज्य होता तो इस प्रकार की हानियों के लिये फांसियां लग सकती थीं....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : You are suggesting these...

श्री नारायणसिंह : I don't suggest this, but I mean to say that...

श्री सभापति : There should be no direct discussion please.

(समय—समाप्ति सूचक घंटी)

श्री नारायणसिंह : मुझे और भी कुछ बातें कहनी हैं।

श्री सभापति : यह तय हो चुका है कि २० मिनिट से अधिक नहीं दिये जायेंगे।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले वित्त मंत्री महोदय को कांग्रेच्युलेट करता हूँ इसलिये कि कान्सिक्युटिवली थर्ड ईयर के लिये उन्होंने अपना बजट पेश किया है...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : This is the ltest achievement.

श्री पी. के. चौधरी : दूसरी बात यह है कि इस बजट को सरप्लस बजट बताया है, लेकिन एग्ज़िस्टिंग रेट ऑफ टैक्सेशन की लेवल में यह सरप्लस बजट नहीं होता है। एडीशनल ५८ लाख रुपये के टैक्सेशन का प्रावधान किया गया है जिससे जाकर वह लगभग १२ लाख रुपये का सरप्लस बजट बनता है। अब ये जो एडीशनल टैक्सेशन है उनमें ८ लाख रुपयों के नये रेट बढ़ाकर याने इर्रिगेशन रेट बढ़ाकर ८ लाख रुपयों का प्रावधान किया है लेकिन मुझे इस सम्बंध में शक है कि इर्रिगेशन रेट को बढ़ा कर ८ लाख रुपये वसूल कर लिये जायेंगे या नहीं। दूसरी बात यह बताई गई है कि एंटरमेन्ट लैवी से १२ लाख रुपये ज्यादा वसूल करेंगे। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि सन् ५७-५८ का बजट जब वित मंत्री जी ने इस सदन में पेश किया था उस समय यह बतलाया गया था कि लगभग २० लाख रुपये इससे वसूल करेंगे लेकिन एक्च्युल में इतना वसूल नहीं हुआ है।

अब सवाल रहता है अदर टैक्सेज़ के कारण इन्क्रीज़ का। इसमें ८ लाख रुपये बताये है। यह स्टेट का टैक्स नहीं है लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने जो टैक्स बढ़ाया है उसका शेअर है। डिजल ऑयल पर ४० नये पैसे से ८० नये पैसे कर दिया गया है और जो मोटर टायर्स वगैरा पर एडवोल्युरम बढ़ाया है उसका भी कुछ शेअर हमको मिलेगा। यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का टैक्स है और उसका शेअर हमको मिलेगा और सेन्टर का जो अंदाजा है एडीशनल ८ लाख रुपये मिलने का उसको मैं मानता हूं, लेकिन इर्रिगेशन

(श्री पी०के० चौधरी)

के ८, लाख और बैटरमेन्ट लेवी के १२, लाख रु. रखे हैं उनको मंजूर नहीं करता। इनको वसूल कर पायेंगे या नहीं, इसमें शक है क्योंकि पिछले सालों में वसूल नहीं कर पाये। दूसरे ३०, लाख रुपयों के ज्यादा टैक्स लगाये हैं। जैसे फ्रेट्स एंड फेअर्स के ऊपर १५ पर्सेन्ट ज्यादा लगाया गया है, इससे ३०, लाख रुपये मिलेंगे। अब इनमें से कितने रुपये मिलेंगे और कितने नहीं मिलेंगे यह मैं नहीं कह सकता। एक बात की तरफ सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ५८--५९ का बजट जब पेश किया गया था उस समय १९, लाख रुपये के लगभग का सरप्लस बताया था लेकिन रिवाइज्ड ५८--५९ के बजट में घाटा रहा है, ५७, लाख का घाटा है। हमारे इस बजट में रेवेन्यु रिसीट ३९. २७, लाख है और एक्सपेन्डिचर ३९ . ४०, लाख का बताया है इससे १२, लाख का घाटा होता है लेकिन केपिटल एक्सपेन्डिचर का बजट २५ . २२, लाख का है। इस सारे का टोटल एक्सपेन्डिचर लगभग ६४, करोड़ का होता है जब कि ५८--५९ के शुरुआत में जब बजट पेश किया था तब रेवेन्यू रिसीट्स ३३ करोड, ७४, लाख और केपिटल एक्सपेन्डि-चर १७, करोड कुल ५०, करोड का बजट था लेकिन कुल रेवेन्यु एक्सपेन्डिचर और केपिटल एक्सपेन्डिचर मिलाकर १०, करोड रुपये ज्यादा खर्च हुए थे। आज भी ६४, करोड का टोटल बजेटिंग है लेकिन मैं इसके लिये मानता हूं कि ६४, करोड़ से नहीं चलेगा और इसका खर्चा भी पिछले साल की तरह कम से कम १० करोड़ ज्यादा होगा। एक्च्यु-अल रेवेन्यु और केपिटल एक्सपेन्डिचर ७४ करोड या ८० करोड़ के लगभग पहुंचेगे।

अब सभापति महोदय, मैं, जो बजट पेश किया गया है उसका जो बजेटिंग है उस सम्बंध में कुछ कहना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी का जो बजट भाषण है उसकी शुरूआत और अंत रेटोरिक से किया है, यह मैं साबित करना चाहता हूं। वह इस तरह से कि एग्रीक-ल्चरल इन्कम टैक्स के बारे में बताया है कि ५९—६० में ५, लाख रुपये के करीब वसूल करेंगे। मैं यह बताना चाहता हूँ कि पिछले साल के बजट में घोषित यह था कि एग्रीक-ल्चरल इन्कम टैक्स के रुपये में ११ लाख रुपये वसूल करेंगे और आज के रेवेन्यु ऐस्टिमेट्स में उसे घटा कर ५ लाख कर दिया है यानि ५० पर्सेन्ट से अधिक कम कर दिया है। एक्च्युअली कितना वसूल होगा, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन ५७—५८ का बजेटिंग ९ लाख का था और उसकी वसूली का जो अमॉउन्ट है वह आज २ लाख ५०, हजार का है। यह जो बजट एस्टिमेट है उसमें एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का कलेक्शन ज्यादा नहीं होता है। ५७—५८ में १५, लाख का एस्टिमेट लगाया था लेकिन ४, लाख के लगभग ही वसूल हुए थे। एक बात की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स एक ऐसे सेक्टर से वसूल किया जाता है जो मनीड पीपल होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जागीर रिजेम्पशन के बाद एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स खत्म हो गया है और आज जो ५, लाख बताया है उससे घट कर २ लाख रह जाता है। जो एक्च्युअल फिगर्स आयेंगे तो आप देखेंगे कि ५, लाख रुपये वसूल नहीं होंगे बल्कि २, लाख ही होंगे। एक मित्र ने कहा था कि लैंड रेवेन्यु को एबोलेश करके एग्रीक-

(श्री पी. के चौधरी)

ल्चरल इन्कम टैक्स लगाना चाहिये क्योंकि यह ज्यादा साइन्टिफिक है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सीलिंग लागू करने के बाद एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिये। अगर आप रेवेन्यु बढ़ाना चाहते हैं तो लैंड रेवेन्यु बढ़ाना चाहिये और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को एब्रोलिश करना चाहिये, आपके सोर्सेज़ ऑफ इन्कम बहुत कम रहेंगे।

१. म० प०

दूसरी बात जो रिसीट साइड में है, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रेल्वे टैक्सेज में जो कलेक्शन बताया है, उन्होंने बताया है कि ७३, ७३,००० रुपये सेन्टर के शेअर के हिसाब से मिलेंगे। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल के रेल्वे बजट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रेल्वे बजट जब रेल्वे मिनिस्टर ने पेश किया था, तो उसमें यह देखा गया कि उनका जो बजट एस्टीमेट था, उससे उनका कलेक्शन काफी कम हुआ है और वह कलेक्शन अगली साल जाकर और कम होगा। रेल्वे बजट में जो १९५८--५९ का बजेटिंग था, वह ४०७ करोड़ का था, उसमें से कलेक्शन ३९४ करोड़ का हुआ यानि १३ करोड़ रुपया कम कलेक्ट हुआ। इसी तरह से १९५७-५८ के बजट में ३८४ करोड़ रुपये का एस्टीमेट था और एक्चूअल कलेक्शन था ३७९ करोड़ का। इसका मतलब यह हुआ कि पांच करोड़ रुपया कम आया था। इस बार रेल्वे मिनिस्टर ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने इस बात को मंजूर किया है कि कलेक्शन और कम होगा क्योंकि रेल्वे से जाने वाला बहुतसा माल अब बसों से जाता है....

एक माननीय सदस्य : ट्रक से।

श्री पी. के. चौधरी : बहुत माल ट्रकों से जाता है। इसलिए अगली साल के लिए उन्होंने जो ४२२ करोड़ रुपये का एस्टीमेट बताया है, जो १९५९-६० के लिए बताया है, वह उनको नहीं मिलने वाला है। अगर ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो ४०० करोड़ रुपये के आसपास मिलेगा। इसलिए जो सेन्टर शेअर आपने ७३, ७३,००० का लगाया है, मैं नहीं मानता कि ७३, ७३,००० मिलेगा। आपको अगर मिलेगा तो ६० लाख रेल्वे टैक्स शेअर से मिलेगा। इसलिए इसमें १३ लाख का ओवर एस्टीमेशन किया है।

तीसरी बात....

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : Won't say anything about forests?

श्री पी. के. चौधरी : तीसरी बात यह है कि फॉरेस्ट के हैड में आपने बताया है कि आपको ७४, ५०,००० लाख की इन्कम होगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ और आपका ध्यान १९५८--५९ की और १९५७-५८ की एक्चुअल इन्कम की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। १९५८--५९ में ७४, ५०,००० का एस्टीमेट था, जो रिवाइज्ड एस्टीमेट में ७१,०८,००० रुपये की इन्कम थी और एक्चूअल इन्कम उससे भी कम होगी। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि १९५७--५८ के अकॉउन्ट्स दिये हैं वे ७०,३४,३१४ के दिये हैं। तीसरी बात यह है कि फॉरेस्ट के जो ड्यूज़ है, वे १३००,००० के ड्यूज़ बाकी है। इन फॉरेस्ट

(श्री पी. के. चौधरी)

के ड्यूज से हिसाब यहां बैठा दिया है। ७४,५०,००० का हिसाब पिछली साल भी बैठा दिया था। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इतना रुपया नहीं मिलेगा। आपको करीब ७०,००,००० रुपया मिलेगा। इस तरह यहां भी ४,००,००० का ओवर एस्टीमेशन किया है।

चौथी बात मैं वाटर रेट्स के लिए कहना चाहता हूँ कि वाटररेटस में ३३,७८,००० का एस्टीमेट बताया है। मैं आपका ध्यान पिछली साल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं १६५८--५६ की ओर। उस समय आपका एस्टीमेट ४८,१५,००० रुपये का था। रिवाइज्ड एस्टीमेट था वह १६,७५,००० रुपये का था इस प्रकार ५० प्रतिशत, ४० प्रतिशत वाटर रेट्स में कलेक्शन होता है। आज से दो चार दिन पहले सदन में यह बताया गया था कि १ करोड़ रुपये की वाटर रेट्स बाकी हैं। यह फिगर्स हमारे स्टेटिक्स डिपार्टमेंट ने दिये हैं। उनसे यह मालूम होता है कि एरियर्स हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। म्यूनिसिपल-कमेटी का २०,००,००० रुपये का एरियर्स लोगों पर है....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : That is not water rates.

श्री पी. के. चौधरी : वाटर चार्जेज़। ये जो वाटर चार्जेज हैं, इनको आप वसूल करेंगे, यह गलत है। इसमें आप २० लाख से ज्यादा वसूल नहीं कर सकते। इस प्रकार इसमें भी ओवर एस्टीमेशन १३ लाख का किया है।

इसी तरह मिसलेनियस अकॉउन्ट्स हैं, उसमें एक अकॉउन्ट दिया है, कन्ट्रीब्यूशन फ्रोम दी सेन्ट्रल गवर्नमेंट फॉर डिस्प्लेस्ड पर्सनस। मैं आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि २०,००,००० रुपये का लिए कहा है कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। सभापति महोदय, यह २०, लाख रुपये १६४६ से पड़ा है। १६४६ के अन्दर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को कैम्प चलाने के लिए रुपया एड्वान्स किया गया था। इस २०, लाख रुपये के न तो वाउचर्स हैं, न कोई हिसाब है। इस रुपये के लिए पब्लिक अकॉउन्ट्स कमेटी ने कई दफा प्रश्न उठाया। पिछली दफा भी उठाया गया था तो यह कहा गया कि ६०, हजार रुपया बाकी है, बाकी ऑडिट में चला गया। जब इस केश को परश्यू किया गया तो यह मालूम हुआ कि २५,६४,००० रुपये ऑफिसर्स को कैम्प चलाने के लिए दिया, बीकानेर में, जयपुर में, भरतपुर में। यह रुपया तम्बू लगाने के लिए दिया गया था, इसका न तो कोई हिसाब है, न वाउचर्स हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि कलेक्टर को लिखा गया, जहां कि पैसा खर्च हुआ है कि क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट रीएम्बर्स नहीं करती है क्योंकि ठीक तरह से अकॉउन्ट्स नहीं दिये हैं। बजट में मेन्शन कर दिया है कि ऑडिट ऑब्जेक्शन है, इस वजह से सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिला है, लेकिन अब मिल जायगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह पैसा अभी तक नहीं मिला है। अब कलेक्टर को कहा गया है कि अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी पर वाउचर्स सर्टिफाई कर दो। कलेक्टर्स ने २०, लाख रुपये के वाउचर्स सर्टिफाई करने के लिए इन्कार कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने २०, लाख की इन्कम बताई है, वह नहीं मिलेगी। इसका थोड़ा सा इशारा सप्लीमेंट्री

(श्री पी. के. चौधरी)

बजट में मिलेगा। उसमें ५७ मिसुलेनियस का एक आइटम था। सप्लीमेंन्ट्री ग्रान्ट हमने छः दिन पहले पास की हैं। उसमें ५७ मिसुलेनियस आइटम न० ६ है। बीकानेर के कैम्प के लिए जो रुपया एडवान्स दिया था, उसके अन्दर एडवान्सेज के हैड को चेंज करके सर्विस के हैड में लेकर ३, लाख रुपया राइट ऑफ करना चाहते हैं। सदन से पहले १, लाख ६०, हजार की मंजूरी ले ली है, राइट ऑफ करने के लिए ! इस तरह से हर साल २, लाख, ३, लाख के प्रपोज़लस इस तरह से उस तरह से नजर अन्दाज करके पास कराये जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि २०, लाख रुपये के लिए जो ऑडिट आब्जेक्शन है, वह नहीं खत्म हो सकता क्योंकि न आप वाउचर्स सबमिट कर सकते है, न हिसाब दे सकते हैं। इसलिए इसमें जो बताया है, वह गलत है।

तो रेवेन्यु रिसीट्स की साइड में मैंने आइटम बताये, इसका लग भग ४५ लाख का जोड़ होता है। इन आइटम्स के लिए मैं कहना चाहता हू कि रेवेन्यु रिसीट्स में जो इन्कम बताई है, उसमें ४१, लाख का ओवर एस्टीमेशन है, इतना पैसा कम मिलेगा।

अब मैं एक्सपेन्डीचर साइड में जाता हुं। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, उसमें हमने एक चीज देखी है कि यह फॉल्टी बजट है लेकिन उनकी विश फुल थिंकिंग है। विशफुल थिंकिंग का आपने बजट पेश किया है। आपने १९५७–५८ में क्या किया, जब आपने इन्टरीम बजट पेश किया, उसमें बता दिया कि फलां जगह ३०, लाख रुपये का एक्स्ट्रा कलेक्शन है, १०, लाख का एक्स्ट्रा कलेक्शन है ऑन वाटर चर्जेज, १८, लाख का एक्स्ट्रा कलेक्शन हैं फ्राम सेल आफ लैंड और बेटरमेंट लेवी से २०, लाख रुपये का कलेक्शन का। इस तरह का एक जादू का डंडा फिरा दिया लेकिन कुछ कलेक्शन नहीं हुआ। हमारे वित्त मंत्री जी की विशफुल थिंकिंग है, उनकी कल्पना दौतड़ी है लेकिन वास्तविकता से उसका सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने एक्सपेन्डीचर साइड में फिगर्स दिये हैं, वे गलत हैं। उन्होंने लोअर एक्सपेन्डीचर बताया है, लेकिन एक्चूअली ज्यादा होगा। मैं एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा जो बड़ी पिक्यूलिअर है, टिपीकल है। मैं आपका ध्यान लैंड रेवेन्यु की तरफ आकर्षित करता हूं, सभापति महोदय, लैंड रेवेन्यु में बताया है कि इस साल रेवेन्यु कलेक्शन पर १५, लाख का एक्सपेन्डीचर होगा। पिछली साल उन्होंने १९५८–५९ में ४, लाख का कलेक्शन चार्जेज़ बताया था, रिवइज्ड एस्टीमेट में ६, लाख बताया। इसी तरह १९५७–५८ में १४, लाख कलेक्शन चार्जेज बताये। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हू कि जो १५, लाख का एक्सपेन्डीचर बताया है, उसके लिए यह कहा गया है कि नम्बरदारों को तनख्वाह इसमें से दी जायगी। करीब २०, लाख रुपये लैंड रेवेन्यु कलेक्शन में खर्च होते हैं, इसलिए १५, लाख का खर्च कम बताया है।

इसी तरह से सर्वे एन्ड सैटिलमेंट ऑपरेशन डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सर्वे एन्ड सेटलमेंट ऑपरेशन में ३७, लाख का खर्चा बताया है जब कि पिछली साल ४३, लाख का खर्च रखा गया था और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में ३६,

(श्री पी. के. चौधरी)

लाख था। ५९–६० में २९, लाख और सम थाउजेंड्स, करीब ३०, लाख का बताया है। पर मेरा कहना है कि सर्वे चन्ड सैटिलमेंट आॅपरेशन्स आज खत्म नहीं हो सकते। यह बताया है कि हम स्टाफ में रिडक्शन करेंगे और स्टाफ में कमी करने से ३०, लाख हमारा खर्च हो जायगा, पर मैं कहता हूं कि ३०, लाख में खर्चा वर्चा कुछ नहीं होने वाला है। एग्रीकल्चर में क्रिप्स चल रहा है, इसके लिये नया सैटिलमेंट करना पड़ेगा और इस तरह सैटलमेंट स्टाफ रिड्यूस होने वाला नहीं है। ५८–५९ में ३७, लाख का खर्चा सैटलमेंट स्टाफ पर हुआ है, वही मैं इस साल के लिये भी सही मानता हूं। ३०, लाख का खर्चा इस साल बताया है उसको मैं गलत और लोअर मानता हूं। यह ७, लाख रुपये का कम खर्च का अन्दाज़ लगाया गया है।

सभापति महोदय, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एड्मिनिस्ट्रेशन में पिछले साल ६०, लाख का खर्चा बजट में बताया था और रिवाइज्ड खर्चा ६३, लाख का हुआ। ५७–५८ में ८७, लाख का खर्चा था। इस साल यह कारण बताया है कि तहसीलें हैं उनको हम कम कर रहे हैं और इस तरह सेविंग हो जायगा। इस तरह ७, लाख का खर्चा कम कर के ८१, लाख का खर्चा बताया है। पर माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि तहसीलों को कम करना वित्त मंत्री का काम नहीं है और न यह रेवेन्यु मिनिस्टर कर पायेंगे। जब डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन का काम ६ साल से चल रहा है, वह अभी तक पूरा नहीं कर पाये हैं; जब पोलिटिकल प्रेशर आयेगा तो न तो यह रीऑर्गेनाइज होगा और न ७, लाख रूपये की खर्चें में कमी ही आ पायेगी। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि न तो तहसील रीऑर्गेनाइजेशन होगा और न डिस्ट्रिक्ट्स का रीऑर्गेनाइजेशन ही। यह तो विशफुल थिंकिंग है, जो ७, लाख का खर्चा रिड्यूस कर के बताया है। ८७, लाख को ही मैं सही खर्चा मानता हूं।

अब स्कीम्स फाॅर फर्टीलाइजर्स को लीजिये। पिछले साल ३, लाख का एस्टीमेट रखा था, फिर रिवाइज्ड एस्टीमेट २०, लाख का किया। इस साल फर्टीलाइजर्स का ८, लाख का बताया है पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो ८, लाख से यह नहीं होगा, वही २०, लाख का खर्चा इसमें होगा जो पिछले साल हुआ है; इससे कम होने वाला नहीं है।

इसी तरह बताना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय ने चन्द आइटम्स में वास्तविकता से परे केवल कल्पना के आधार पर एस्टीमेट लगाया है। ३२, लाखरूपये से कम एक्सपेन्डीचर बताया है; आज उनका बजट है उसमें एडीशनल इन्कम ४०, लाख की कम है और एक्सपेन्डीचर में ३२, लाख का बताया है तो इस तरह ७२, लाख का डिफरेंस पड़ता है। १२, लाख काटते हैं एडिशनल टैक्सेज़ के तो मैं मानता हूं कि ६०, लाख के लगभग घाटा रहेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसके अलावा सभापति महोदय, टैक्सेशन की बात कहना चाहता हूं और जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने शायद

Page No 50

(श्री पी० के० चौधरी)

सेंटर के इशारे पर प्रान्त का रोड ट्रान्सपोर्ट है, उसको क्रिपल करने के लिये, यह स्टेप उटाया है। रेलवे आज एब्सोलीट है for short distance trade एब्सोलीट है गुड्स ट्रेफिक है वह भी रोड से जाता है, एक तो वजह यह है कि ट्रक्स क्विकर सर्विस देती है, फिलफरेज नहीं होता, बुकिंग क्लर्क्स को रिश्वत नहीं देनी पड़ती। रेलवे मिनिस्टर ने हाई ट्रेफिक के बारे में कहा है कि ग्रास, पल्सेज, कॉटन सीड्स, सुगर केन्स ट्रक्स से जाते हैं। पैसेन्जर्स भी ट्रेन से जाना पसंद नहीं करते। फिर रेलवे ने पैसेंजर्स का फेअर है उसके ऊपर १५ प्रतिशत का टैक्स लगाया, पर उसमें छोड़ दिया है कि ५० मील तक सफर करने वाले पैसेन्जर पर यह टैक्स नहीं लगेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

पर हमारे माननीय वित्त मंत्री इतने मेहरबान हैं कि उन्होंने ५० मील के डिस्टेन्स तक सफर करने वाले पैसेंजर्स को भी इस मोटर विहिकल्स टेक्स से मुक्त नहीं किया है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनिट और, सभापति महोदय, रेलवे ट्रान्सपोर्ट के साथ कम्पीटिशन करके नहीं जी सकती। आज जो एग्जिस्टिंग विहिकल्स हैं; बस हैं वे फ्रेट पर पेसेंजर, पर माइल, पर टन पर माइल ज्यादा लेती है इसके बावजूद भी रेलवे से गुड्स भेजना, आना जाना लोग पसंद नहीं करते। हम रेलवे को जिंदा रखना चाहते है तो at the cost of the convenience of the common man.

यह जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया है उसकी मैं सख्त निंदा करता हूं। हमारे सामने यह सवाल नहीं फ्रेट रेट्स हर टैक्स बढ़ायें, पेसेंजर्स ट्रेफिक या फ्रेट रेट पर टैक्स बढ़ायें। आज सरप्लस इन्कम है, नेशनल इन्कम है वह ६० पर्सेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से है और ४० पर्सेंट अर्बन सेक्टर से है। पिछली दो प्लान के दर्मियान में देखा गया है कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान और सेकिन्ड फाइव ईयार प्लान से इन्क्रीज्ड हुआ है उसका ६० पार्सेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से है, रूरल सेक्टर से है और ४० पर्सेन्ट अर्बन सेक्टर से है। तो रूरल इन्कम का सरप्लस है उसको कलेक्ट करना है न कि सेंटर के रेलवे मिनिस्टर के इशारे पर टैक्स बढ़ाते हैं और किसी प्रान्त ने ; यू. पी. ने नहीं बढ़ाया है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनिट और सभापति महोदय....

श्री सभापति : You have already taken five minutes in this way.

श्री पी. के. चौधरी : मैं बस अब खतम कह देता हूं।

जो स्कॉलरशिप के लिये इन्तज़ाम, किया उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। I want to say a few good words for the वित्त मंत्री

दूसरी बात टीचर्स का ग्रेड बढ़ा दिया है, बी. ए. मिडिल ग्रेड में काम करते थे, उनकी तनख्वाह बढ़ाई है, इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

कॉटेज इन्डस्ट्री के लिये १७, लाख का, गई साल बजट था और इस साल भी १७,

(श्री पी० के० चौधरी)

लाख का बजट रखा है। हमारे माननीय वित्त मंत्री सर्वोदयवादी होते हुए, कॉटेज इन्डस्ट्री के लिये बहुत कम बजट रखा है, वे सर्वोदय में गये, कॉटेज इन्डस्ट्री के लिये उन्हें और अधिक बजट में रखना चाहिये था।

श्री सभापति : Hon. Member, please resume your seat.

श्री पी. के. चौधरी : एक मिनट। I am sitting down.

(हंसी)

श्री सभापति : Please resume your seat.

श्री पी. के. चौधरी : Only one minute, Sir.

हमारे राजस्थान की आय का ५० पर्सेन्ट क्लर्कों और अधिकारियों की तनख्वाह पर खर्च हो जाता है। १५ से १८ करोड़ रूपया एड्मिनिस्ट्रेशन पर खर्च आता है, जब कि मद्रास में २५ पर्सेन्ट रेवेन्यु एक्सपेंडचर चलता है। इन्होंने इकोनोमिक कमेटी बनाई थी, हमारे वित्त मंत्री ने कहा इकोनोमिक कमेटी से हम कट नहीं कर पाये।

हमने सवाल किया था कि इकोनोमिक कमेटी ने क्या किया तो नहीं बताया मैं तो कहता हूं इकोनोमिक कमेटी ने घास काटा है....

(अनवरत हंसी)

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने जो बातें रखी हैं सारी की सारी बातें वास्तविकता के साथ सम्बन्ध नहीं रखतीं, वित्त मंत्री महोदय, आंख मींच कर कल्पना करते हैं और दूसरी बात

(समय समाप्ति सूचक घंटी–निरन्तर)

श्री सभापति : No 'doosribaat' please.

श्री बरकतुल्लाहखां।

श्री बरकतुल्लाखां (जोधपुर) : चेयरमैन साहब, मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य बजट की गहराई में गये, इसकी कमजोरियें पेश कीं, मैं उन कमजोरियों को रिपीट नहीं करना चाहता। मैं तो जनरल पॉलिसी की तरफ आना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जनता से यह वादा किया था कि जागीरदारी और जमींदारी और बिश्वेदारी को खत्म कर देंगे, वह खत्म कर दी है। वह एक कदम था जो हमने लिया। सबसे पहला कदम लिया था सन् ५३ में कि जागीरदारी खत्म की गई। पिछले साल जमींदारी और बिश्वेदारी खत्म की गई। इसके साथ साथ सन् ५३ में सीलिंग कमेटी भी बनी थी। उसकी रिपोर्ट आई; हाउस में डिस्कस हुई। तो अन्दाज यह हो रहा था कि फ्युडल स्टेट खत्म हो रही है और सोशलिस्ट स्टेट में हमने कदम रखा है। लेकिन जब सीलिंग करते हैं तो उसमें कुछ हिचकिचाहट आ रही है: कदम लड़खड़ा रहे हैं, कदम डगमगा रहे हैं, फ्युडेलिज़म खत्म करके सोशलिज्म की ओर जब कदम बढ़ाते हैं तो कुछ रुकावटें आती हैं और ऐसा मालूम होता है कि डिलेइंग प्रोसेस चल रहा है। मैं सीलिंग में यकीन रखता हूं और पूरी तरह ईमानदारी से यकीन रखता हूं। लेकिन यह भी जानता हूं कि जब सीलिंग लगानी पड़ेगी तो पूरी जमीन का अन्दाज लगाना पड़ेगा, उस जमीन का भी जो आपको मिलने वाली है राजस्थान केनाल के नीचे और जब तक उसका पूरा बंटवारा न हो जायगा, आज हम सीलिंग लगा दें और जमीन मिले उस पर बसा दें बाहर से बुला कर। लेकिन जिनकी जमीन ले रहे हैं उनको

(श्री बरकतुल्ला खां)

चोट लगती है और यह कुदरतन चीज है कि जिसकी चीज जाती है उसको चोट लगती ही है। इसका कोऑपरेटिव फार्मिंग से जवाब देना चाहते है लेकिन उसको इतना लाइटली ट्रीट कर रहे है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को सहयोग नहीं मिल रहा है। कई यह कहते हैं कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का कोई ताल्लुक नहीं हैं। मैं आपको बताऊं कि कोऑपरेशन से हमारी जिन्दगी का ताल्लुक है, हमारी जिन्दगी की जरूरीयात से उसका ताल्लुक है। जोधपुर में जाइये, पानी का अभाव है। लोगों ने टांके बना रखे हैं: जरूरत पड़ने पर पानी की आवश्यकता हो तो लोग बाग टांको से लेते हैं। देहात में किसी का बैल मर जाता है तो उसके लिए पड़ौसी का बैल वक्त बवक्त आ जाता है और मदद करता है। इसी तरह से हमारा कोऑपरेशन चल रहा है। इसी तरह से इसको सहयोग देना चाहते हैं लेकिन रैड–टेपिज्म में देर लगती है जैसा कि पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमको कोऑपरेटिव्ज़ बनानी हैं लेकिन कोऑपरेटिव्ज़ बनाने में दो दो साल लग जाते हैं और उनमें बेईमान लोगों को मौका मिल गया तो उसमें से विश्वास हमारा उठ जावेगा। यदि एग्रीकल्चर की ओर ध्यान देना है तो कोऑपरेटिव फार्मिंग करना पड़ेगा और इसी तरह से करना होगा। फर्ज कीजिये जिस जमीन में एक मन अनाज आज पैदा होता है तो कोऑपरेशन से उसमें १½ मन अनाज पैदा होना चाहिये। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरी चीज मैं जिसको सोशलिज्म के खिलाफ समझता हूं वह है रोड ट्रान्सपोर्ट पर नया टैक्स लगाना। इसका मतलब यह नहीं है कि रोड ट्रान्सपोर्ट वाले अपनी जेब से देंगे। वह तो उन्हीं लोगों से आवेगा जो रोड ट्रान्सपोर्ट के ज़रिये सफर करते हैं। लेकिन उन लोगों से नहीं आवेगा जो एयर कन्डीशन्ड में सफर करते हैं, जिनके घर मोटर होती हैं, बस से सफर नहीं करते हैं। यह तो टैक्स उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जो इन मोटर ट्रान्सपोर्ट के जरिये से सफर करते हैं। वे ही लोग है जो देहातों में रहते हैं, छोटे मोटे लोग बाग हैं, मास्टर हैं, दूसरे लोग हैं जो इनमें सफर करते हैं, जो उनका फायदा उठाते हैं और यह टैक्स उन्हीं लोगों पर लगेगा। इन्डाइरेक्टली आप उन्हीं लोगों पर इसका असर डालना चाहते हैं। हर चीज़ का असर आप कॉमन मैन पर ही लगाना चाहते हैं उसको आवाज में आप जब बोलना चाहते हैं, ऊपर से उस पर यह और टैक्स डाल कर, उस पर यह बर्डन डाल कर उसकी कमर को ही तोड़ देते हैं क्योंकि कीमतें वैसे ही बढ़ रही हैं। इसलिए इस पर जरा गौर करना पड़ेगा। डीजल पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और जरूरी था क्योंकि रोड ट्रान्सपोर्ट में और रेल में कम्पीटिशन था उससे रेलवे का काफी नुक्सान हो रहा था। लेकिन यहां टैक्स लगाने से रोड ट्रान्सपोर्ट में एफिशियेन्सी कम आवेगी और टैक्स तो वैसे ही ज्यादा देना पड़ेगा, जब कि फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती। मैं यह कहूं कि रोड ट्रान्सपोर्ट की जितनी पोलिसीज़ हैं वे अजीबो गरीब तरीके से चल रही हैं। तीन साल होने आये इस असेम्बली को बने हुए लेकिन नेश्नेलाइजेशन का सवाल नहीं आया। कमेटियां बन जाती हैं, छोटे मोटे प्रोपोजल्स होते हैं और वे खत्म कर दी जाती

(श्री बरकतुल्लाखां)

हैं। रोज़मर्रा की गलत बातें पैदा की जाती हैं। रोड ट्रान्सपोर्ट के बारे में लोग बाग बातें अलग अलग तरह से कहते हैं। सदन में और बाहर भी कहते हैं। किस रूप में सच है, मैं नहीं जानता लेकिन यह जनरल बात बन गई है कि इस डिपार्टमेन्ट में करप्शन है क्यों? मैं बताऊं कि बॉम्बे में तय हुआ कि कोई बस १०८ माइल से कम ट्रेवल नहीं करेगी; नहीं तो इकॉनोमिकल नहीं होगा। लेकिन राजस्थान में १५ मील भी नहीं करती है, करेगी और वह किसी २ रूट पर ओवर क्राउडेड न करें तो काम नहीं चलता। जालौर में एवरेज २५ मील रोज़ आना जाना है। प्रेसेन्जर्स को फेसिलीटीज़ क्या हैं? हमारे सरकारी अफसर, आर. टी. ओ. और एस. टी. ए. ने किस तरह नेशनेलाइजेशन को फेल किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टौंक और निवाई रूट नेशनेलाइज्ड था और वहां नेशनेलाइज्ड बस चलती थी। वह बराबर चल रही थी लेकिन आर.टी.ओ. ने उसको दूसरों को पर्मिट दे दिये। इसमें मेजॉरिटी उनकी थी जो गवर्नमेंट की तनख्वाह पाते थे। निवाई टौंक पर पर्मिट दिया दूसरे को इसलिए जो नेशनेलाइज्ड रूट था, आर. टी. ओ. की महरबानी से वह खत्म हो गया। दूसरी आबू और सिरोही की बस सर्विस है उसकी हमको कोई क्रेडिट नहीं, बॉम्बे में नेशनेलाइजेशन था और जब आबू हमारे पास आया तो सिरोही से जोधपुर बस सर्विस चलाना चाहते थे जो चार साढ़े चार घंटे में पहुंचा देती जब कि ट्रेन से ८ घंटे और दूसरी बस से ७ घंटे लगते हैं। आर. टी. ओ. को जब एप्लाई किया तो पर्मिट नहीं दिया। दिया ही नहीं Private पर्मिट केन्सल करना तो दूर रहा। इसका नतीजा यह निकलता है कि गवर्नमेंट के वे ऑफिसर आर. टी. ए. में रहते हैं इस डिपार्टमेंट में कि जो नेशनेलाइजेशन को तो क्या मौका दें और क्या नये रूट का पर्मिट दें। इसलिए जरूरत इस बात की आगई है कि रोज़मर्रा के झगड़े खत्म हों, फेसिलिटीज़ लोगों को मिलें, ओवर क्राउडिंग खत्म हो। इसके लिए नेशनेलाइज़ कीजिये, रुपया नहीं है तो सेन्टर से उधार लीजिये। राजस्थान में ही लोन फ्लोट कीजिये, रुपया मिलने में दिक्कत आयेगी नहीं; दो तीन करोड़ का लोन तो मिल ही जावेगा। नेशनेलाइजेशन में यह डर हो कि रुपया नहीं है तो और कई तरीकों से इन्तज़ाम हो सकेगा।

इसके बाद मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ एज्युकेशन की तरफ। एज्युकेशन डिपार्टमेंट में दस साल बाद जब से राजस्थान बना है यह तय हुआ कि ५०) से कम किसी भी टीचर को नहीं रखा जावेगा। खुशी की बात है, मुझे बेहद खुशी होती कि सौ रुपये से कम नहीं रखते। लेकिन जो कदम उठाया है उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के कदम उठावेंगे तो फायदा होगा। जहां यह किया है वहां यह आपने नहीं देखा है कि टीचर्स की सीनियोरिटी फिक्स नहीं हुई है बहुत से लोगों की इसमें वक्त भी लगेगा। जल्दी सीनियोरिटी फिक्स नहीं करते हैं तो गलत तरीके से लोग बाग फायदा उठावेंगे और सही चीज को गलत और गलत चीज़ को सही बनाने की कोशिश करेंगे। यही नहीं मंत्री महोदय ने स्पीच में यह कहा कि इक्वल ओपोर्चुनिटी देना चाहते हैं। मैं इत्तिफ़ाक नहीं करता हूँ, इसलिये नहीं कि एक तरफ तो वन सिंगल

(श्री बरकतुल्लाखां)

टीचर स्कूल है, वही मास्टर हिसाब पढ़ाता है, ड्राइंग भी वही पढ़ाता है, हाईजीन भी वही पढ़ाता है दूसरी तरफ आपके पब्लिक स्कूल्स हैं, हर क्लास में हर सब्जेक्ट के लिये अलग अलग टीचर हैं, जो बच्चों की देखभाल करता है, अलग। अलग सब्जेक्ट को डीलविथ करता है, लड़का जो सिंगल स्कूल टीचर की स्कूल में पढ़ कर आया पब्लिक स्कूल से कैसे मुकाबला कर सकता है ?

आप यह कहेंगे कि पब्लिक स्कूल हम बन्द नहीं करना चाहते और मैं भी यह चाहता हूं कि वे बन्द नहीं होने चाहिये, लेकिन आप जो यह कहते हैं कि इक्वल ऑपोर्चुनिटी सबको मिल रही है यह गलत है, या हमारा एज्युकेशन का जो सिस्टम है उसमें बड़ी खामी हो सकती है। राजस्थान को बने हुए दस साल का अर्सा हो गया लेकिन ऑल इन्डिया कम्पीटिशन में दस लोग भी नहीं आ पाये। बेसिकली हमारा एज्युकेशन का सिस्टम है वह खराब है इसके तो यही मायने हुए। आई० ए० एस० के एग्जामिनेशन में हमारे यहां के छात्र नहीं आ सकते, आई० पी० एस० में चन्द लोग आ जाते हैं इससे कोई नाम नहीं होता। हमारा एज्युकेशन का जो सिलसिला है उसको आप देखिये और सोचिये कि आप क्यों नहीं ऑल एन्डिया कम्पीटिशन में कम्पीट कर सकते। हम देखते हैं कि हमारे जो छोटे स्कूल हैं वहां किस प्रकार की किताबों से शिक्षा दी जाती है उन किताबों में किस तरह का मजाक उड़ाया जाता है। मैं उन किताबों के एक्स्ट्रेक्टस् पढ़कर नहीं सुनाउंगा। यदि चीफ मिनिस्टर साहब चाहेंगे तो मैं उनको सेवा में वे किताबें रख सकता हूं। जिन किताबों के आधार पर आप उनको शिक्षा देने जा रहे हैं। उससे उनके दिमाग बड़े छोटे हो जाते हैं। उन किताबों द्वारा आप जब उनको छोटे दिमाग के बनाने जा रहे हैं और चाहते यह हैं कि वे आगे जाकर बड़े होने के बाद बड़े दिमाग में बड़ी तरह से सोचें यह कभी नहीं हो सकता। चाहे हिन्दू हो या मुसलमान जहां मज़हब के नाम पर बुराई पैदा करते हैं तो उनका दिमाग कभी बड़ा नहीं हो सकता। जरूर कमजोरियां हैं, हमारे एज्युकेशन के सिस्टम में कमजोरियां है। हम सब उसके रेस्पोन्सिबल हो सकते हैं और हैं भी तो उसका खमियाज़ा भी हमें भुगतना पड़ेगा। हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद और राजस्थान के बनने के बाद हमारे देश में होना तो यह चाहिये था प्राईमरी एज्युकेशन फ्री और कम्पलसरी करवाते लेकिन वह नहीं हो पाया। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि हमें देश को ऊंचा उठाना है, तो हमें अपने वतन की तरक्की करनी है तो हमें फ्री और कम्पलसरी प्राईमरी एज्युकेशन करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं कर पायेंगे तो हमारे बाद जो आने वाले हैं वे तो जरूर करेंगे ही।

अब मैं पंचायतों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पंचायतों की तरफ इसलिये दिलाना चाहता हूं कि पंचायतों के बारे में बड़ी कन्ट्रोवर्सी चली आ रही है। कुछ लोग तो पंचायतों का होना जरूरी मानते हैं और कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना मानकर बैठे हैं। मेरा यह खयाल है कि अगर डेमोक्रेसी को कोई पनपा सकती है तो वे पंचायतें ही हैं, उन्हीं के द्वारा डेमोक्रेसी पनप सकती हैं। इस मुल्क के अन्दर जब ज्यादा तरक्की

(श्री बरकतुल्लाखां)

हो सकेगी जब कि हमारी पंचायतें फैसला करने काबिल होंगी। इसलिये पंचायतों को हमें रेवेन्यू कलेक्शन का मौका देना चाहिये उससे हमें अन्दाज़ हो सकता है कि वे आगे भी इस जिम्मेदारी को निभा सकेंगी या नहीं। जहां तक मैं समझता हूं जब कि वे स्टेट लेजिस्लेचर में और पार्लियामेन्ट में मेम्बर चुन कर भेज सकती हैं, मिनिस्टर वह बना सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर तक उनके वोट से हो सकते हैं तो इसमें किसी को शक करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये कि पंचायतों को हम पॉवर्स देते हैं, ईमानदारी के साथ वह काम नहीं कर पायेंगे। एक दफ़ा जब हमने एडल्ट फ्रेन्चाइज़ दे दिया है तो कोई वजह नहीं कि हम पंचायतों को ट्रस्ट नहीं करें। हमें पंचायतों को ये पॉवर्स देने होंगे और जिला परिषदों की अगर प्रेस्टिज बनानी है तो वहां भी हमें नॉन ऑफिशियल चेयरमेन मुकर्रर करना पड़ेगा।

आख़िर में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, उसको मज़ाक की तरह से न लिया जाय। उसका मैं एक ग्राउन्ड बता देना ठीक समझूंगा। बनी इज़राइल की हिस्ट्री में यह है कि यहूदी इजीप्शियन्स को सराप (श्राप) देते थे, कि पानी बरसे, नहीं बरसे तो इजीप्शियन खुश होते थे। वहां पर जब पानी नहीं बरसता तो उसके लिये खुशी होती थी। जब उनसे पूछा गया कि पानी क्यों न बरसे, आप खुश क्यों हैं तो वे कहते थे कि हमारे यहां कॉटन होती है और उसके लिये नहरें निकली हुई हैं वहां से काफी पानी हमारी कोटन को मिलता है अगर वर्षा हो जाय तो हमारी कॉटन की क्रोप खराब हो जाय। इसके बारे में कुछ किताबें भी मैंने देखी हैं और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि जो क्लाइमेट इजीप्ट की है वही जैसलमेर की है। वह हमारे राजस्थान नहर का जो इलाका है उसकी क्लाइमेट से मिलती जुलती है। अगर राजस्थान सरकार एक्सपेरिमेन्ट के तौर पर वहां कॉटन फार्म लगाये तो लोग स्टेपुल कॉटन काफी मात्रा में हो सकती है। इसके लिये आप कोई न कोई ज़रिया निकालें तो यह कॉटन बहुत पैदा हो सकती है। कम से कम एक ले मैन की हैसियत से जो थोड़ी बहुत शिक्षा मैंने ली है मैं कह सकता हूँ वह बहुत अच्छी चीज हो सकती है।

आज जब कि हम अपने वतन को सोशिलिज्म की ओर ले जाने की बातें करते हैं वहां हम देखते हैं कि हमारा जो बजट है उसकी कड़ी से कड़ी हम मिला नहीं पाते। हर बार हम दूसरी दूसरी तरह से बजट रखते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा जो प्लान था उसकी कड़ी एक दूसरे से मिलती नहीं है। जिस चीज़ को हम एक बजट स्पीच में सुनते हैं दूसरी बजट स्पीच में उसका जिक्र तक नहीं होता कि आगे उसके बारे में क्या हो रहा है। इस तरह से जो एक कड़ी चली आती है वह बीच में टूट जाती है। मिसाल के तौर पर रिएलाइजेशन ऑफ ड्यूज़ के बारे में दो साल पहले कहा था :—

"The position of arrears has been examined and there is every likelihood of recovery of outstanding amount during the year, credit for which has been taken in the estimates. For this recovery, a special drive will be organised and the administrative machinery will be tightened up. Government proposes to tackle the problem firmly and to make a serious effort

(श्री बरकतुल्लाखां)

to realise the dues within the shortest possible time."

सन् ५७ की स्पीच में इसका जिक्र आया है, लेकिन आज जो बजट आया उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि कितना रुपया रिएलाइज़ किया गया। कड़ी से कड़ी मिलाकर और प्लान के मुताबिक जो बजट बनता है वह बजट ठीक माना जाता है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने वित्त मंत्रीजी द्वारा दिये हुए बजट के आंकड़ों को देखा और उनके भाषण को भी सुना, इससे मैं यह स्पष्ट नतीजे पर पहुँचा हूं........

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : चेयरमैन महोदय, मैं कुछ माननीय सदस्यों की इन्फॉर्मेशन के लिये कुछ बात निवेदन करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। माननीय सभापति महोदय, अभी अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ट्रान्सपोर्ट के नेशनलाइज़ेशन के बारे में थोड़ी सी बात कही थी......

श्री सभापति : There is no answer to the debate.

श्री नाथूराम मिर्धा : इतना सा माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं, इसके बारे में सरकार ने एक नीति निर्धारित की है—बजट स्पीच में उसको मेन्शन नहीं कर सके। हम इसकी शुरूआत इसी साल से करना चाहते हैं। इसके लिये टोकन प्रोविज़न बजट के अन्दर ऑलरेडी रखा हुआ है, वह है पेज ४६६ पर। हमने इसके लिये १५, लाख का प्रोविज़न रखा है। हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉर्पोरेशन बनाकर इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। इतना सा मुझे निवेदन करना था।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Are you nationalising or not ?

श्री सभापति : It is not a question hour.

श्री श्रीभानसिंह : Sir. the Hon. Minister has got a right to intervene in the debate and I am sorry the Chair is interfering with that right.

श्री सभापति : Please resume your seat, we should continue the debate.

श्री लक्ष्मीचन्द : सभापति महोदय....

श्री श्रीभानसिंह : I want to make one point clear, Sir. It is every where the practice in Parliament and other Legislatures that Hon. Ministers have a right to intervene in the debate and give informatian. Whether the Chair is permitting that or not ? The Chair has rather been strict on it.

श्री सभापति : The matter is over. The Chair has already given the information and the Minister has explained the position.

श्री लक्ष्मीचन्द : सभापति महोदय, इस बजट को देखते हुए मेरा ऐसा अनुभव हुआ है कि हमारी सरकार ने उन रोडस पर जो खराब हैं चलने वाली गाड़ियों पर टैक्स नया इम्पोज़ किया है। वह आखिर तो गरीब जनता से

(श्री लक्ष्मीचन्द)

वसूल किया जावेगा। इसके लगाने से पहले हमारी सरकार के कर्णधारों को इस बात को देखना चाहिये था कि सड़कें वे कैसी हैं, उनकी हालत कैसी है। उनकी हालत का मिनिस्टरों को कैसे पता लग सकता है? जिस वक्त वे ज़िलों में जाते हैं उनके लिये जीपें तैनात रहती हैं। एक बार वे बस में बैठकर जावें और देखें, हिचके खावें, धड़कनों को देखें और जैसी बाडी उनकी बनी हुई हैं उनसे अपने सिर को टकरावें तो अनुभव होगा कि सड़कें वे कैसी हैं। कई बार तो उनको देखकर लोगों को महसूस होता है कि ना, तू...राम।

(हंसी)

हे राम तूं तो दुनियां में नहीं है। दुनियां में से राम भी निकल गया है पैसा भी देते हैं और सिर भी फुड़वाते हैं।

जिन सड़कों की हालत खराब है उन पर टैक्स लगाने से पहले उनका प्रबन्ध करना चाहिये उनको पक्का बनना चाहिये। आप थोड़ा रुपया उधर भी खर्च करिये। चाहे आप एक ही सड़क बनावें, पर ऐसी पर्मानेन्ट बनावें कि बार बार मरम्मत में भी खर्चा नहीं करना पड़े। सड़कों के लिहाज़ से जालौर डिस्ट्रिक्ट को तो कई मामलों में इग्नोर किया गया है। मालूम नहीं, कौनसी लिस्ट में उस ज़िले को रख दिया गया है। सांचौर से जालौर तक एक सड़क बना दी गई। पचास हज़ार रुपया दिया गया उसके लिये। वह खर्च होने से पहले उसकी हालत खराब हो जावेगी। परिणाम यह होगा कि गरीब जनता के पैसों का दुरुपयोग होगा।

इसके बाद आगे चलता हूं तो सरकार के अन्दर भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है उसके लिये वित्त मन्त्रीजी ने अपने भाषण में किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं किया कि इसको मिटाने के लिये इस प्रकार का सक्रिय कदम वे उठा रहे हैं। पहले तो सुनते थे कि पुलिस का महकमा ही ऐसा है कि जहां बड़े से छोटों तक सब ऑफिसर मिले रहते हैं इस भ्रष्टाचार के मामलों में पर आज कल तो कई डिपार्टमेन्ट उससे भी आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। राजस्व डिपार्टमेन्ट को ही लीजिये। इसमें पटवारी से लेकर मिनिस्टरों तक शामिल हैं। इन्क्वायरी करा कर देख लें। मिनिस्टर दंडित को दण्ड देते हैं तब तो राजस्व मंत्री पर भी आरोप लगाऊंगा कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार को वे बन्द क्यों नहीं करना चाहते हैं। इस दरमियान में एक लैटर पटवारी का लिखा हुआ तहसीलदार के नाम का पेश करता हूँ इस सदन में, जिससे सदन को यह सब स्पष्ट हो जावेगा कि किस तरह से पटवारी, तहसीलदार, इन्स्पेक्टर आदि सारे अफसर नीचे से ऊपर तक मिले रहते हैं और उन के बीच में किस तरह से गोलमाल होती है। तो उस लेटर को मैं पढ़ता हूँ :—

"श्रीमान् तहसीलदार साहब जसवन्तपुरा को तख्तसिंह की जय श्री की तथा आप तावेदार की हाथ जोड़ कर अर्ज है कि मेरा केस जोडपाडा का उसको ध्यान में रखावें व मकान का राज़ीनामा भूरचन्द ने नहीं दिया है क्योंकि उसका विचार है कि मकान छूट जाय वो केस को कायम रक्खूंगा। ऐसे विचार हैं सो आप अफ़सरआला हैं जैसे आपकी मर्जी हो वैसे करावें। जोड़पाडा की रिपोर्ट काश्तकारों ने की है वो किसी के बहकाने से तनाव टाकुर खीवसिंह के मोदी सावलचन्द

(श्री लक्ष्मीचन्द)

के बहकाने से आप इस केस को ठीक फायल कर उसको तहसील में बुलाकर बयान दिलावें तो बयान का मालूम हो जायगा। आपके मेहनत के रुपये ५०) दे दूंगा। मैं अपनी खुशी है। आप हमारे अफसरआला हैं। ज्यादा क्या अर्ज कर सकूंगा फक्त ता० २१।१०।५६। आपका तख्तसिंह"

तो सभापति महोदय, इससे यह स्पष्ट है कि उस पटवारी का कनेक्शन तहसीलदार से था। चाहे तो वह पटवारी की मार्फत पैसा खाता हो या पटवारी उनको अपनी चौथ देता हो। पटवारी के खिलाफ कह सकते हैं एक्शन लिया, इन्क्वायरी की, पर तहसीलदार के खिलाफ आपने क्या किया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, (मुख्य मन्त्री) यह पत्र जो है टेबल ऑफ दी हाउस पर रख दें, या आपको दे दें।

श्री सभापति : He has taken my permission and I suppose he will produce it. आप इसको सदन की मेज पर रख दें।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैंने इसकी नकल दे दी है। इसकी कॉपी भी मैंने ले ली है।

श्री सभापति : आपने यह असल पढ़ा?

श्री लक्ष्मीचन्द : यह तो असल मेरे पास है। कॉपी सदन की मेज पर रख दी है। तो इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार का पहले से उससे कनेक्शन था। पटवारी की मार्फत वह पैसा खाता था। तहसीलदार के खिलाफ आपको इन्क्वायरी करनी चाहिये। मगर जांच करने की इस मशीनरी में सामर्थ नहीं है। कहते हैं साबित नहीं हो सकता। जांच का जहां प्रश्न आता है तो सभापति महोदय मैं और एक नमूना पेश करूंगा। सांचौर के पशु मेले में ८,३००) रु० हमारी सरकार ने पानी के प्रबन्ध के लिये दिया। इस का क्या हुआ? इस पैसे का वहां दुरुपयोग हुआ। इन्क्वायरी कराई गई। उसमें तीन सरकारी अधिकारी थे, एस० डी० ओ० था, वेटेनेरी ऑफिसर था, एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर था। तीनों ने अपनी रिपोर्ट एग्ज़ीक्युटिव कमेटी को दी। उसने १८ जून को निर्णय लिया कि इस प्रकार की अनियमितताएं इसमें हुई हैं। पर उस पर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया।

कमेटी ने रिपोर्ट दी उसमें जो लिखा उसका थोड़ा अंश मैं आपको सुनाता हूँ।

"श्री जसरूप कम, राणा और गोरखा की वगैरा से उन को पानी पिलाने के बारे में ठेका देते समय यह शर्त तय हुई थी कि उनके बेरों पर जांच के लिये जो पटवारी आदमी रखा जावेगा उसका खर्चा वे देंगे परन्तु इसके विपरीत मेला अधिकारी ने भुगतान करते समय उनसे बेरों पर तैनात किये हुए पटवारियों का खर्चा वहन नहीं किया। इन कुओं पर सरकारी पटवारी तैनात किये गये थे जिनका पूरा खर्चा वसूल करना उचित था अतः यह निर्णय लिया गया कि यह रकम मेला ऑफिसर से वसूल की जावे।"

इस प्रकार का कमेटी ने निर्णय ले लिया, पर पैसा वसूल नहीं हुआ। इसकी ३ व्यक्तियों ने १७ पेजों में रिपोर्ट दी है। इसके अलावा एग्ज़ीक्युटिव के दस मेम्बरों ने देखा

(श्री लक्ष्मीचन्द)

है। उन्होंने माना है कि तहसीलदार ने ज़्यादती की है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। इतना होने पर भी तहसीलदार के खिलाफ़ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसको कोई चार्ट शीट नहीं दी गई।

सूरजमल आर० आई० ने गड़बड़ियां की, रेकॉर्ड से साबित होता है। उसकी जांच भी उसी तरह होती है। कोई एक्शन उसके खिलाफ़ नहीं लिया जाता है। वह आज खुला घूम रहा है। आज हमारी सरकार की क्या दशा है, मैं थोड़ा बता दूं।

नोट वोट की लूट है लूट सके तो लूट।
जीवन भर सुख पावेगा यह प्रजातन्त्र की छूट॥

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : वाह तुलसीदासजी !

(हंसी)

श्री लक्ष्मीचन्द : यह प्रजातन्त्र में इस प्रकार की छूट है। इस प्रकार की हरकतों के कारण जनता में यह धारणा बनती जा रही है कि सरकार का इन बुराइयों को मिटाना कहीं रहा, उल्टे उनको बढ़ावा देती है इस तरह से। इसका परिणाम यह होता है कि ये बदमाशियां और भ्रष्टाचार बढ़ता है।

गिरदावारी का रेकॉर्ड, जिसका बहुत महत्व होता है, जिस पर काश्तकार का जीवन-मरण निर्भर है, उस रेकॉर्ड को गिरदावर, किसी भी प्रकार से जब चाहे पटवारी इन्दराज बदल सकता है, दूसरा इन्दराज़ कर सकता है। इस पर किसी किस्म का पेजिंग नम्बर नहीं है। अगर पटवारी की मर्जी है तो पांच साल पुराना रेकार्ड भी दर्ज कर सकता है। उसको बदल भी सकता है। इसके सुबूत में मैं निवेदन करूं कि इस प्रकार की दस के करीब इन्क्वायरियां मैंने कायम कराई हैं। कमिश्नर और कलेक्टर के सामने रेकॉर्ड रखे। उसकी इन्क्वायरी वे उसी तहसीलदार से कराना चाहते हैं जिसके वे आदमी हैं और ये सब आपस में मिले हुए होते हैं। इसलिये इस तरह की जांचों से भी कोई असलियत निकलती नहीं। परिणाम यह होता है कि गरीब किसान को उसका वाजिब हक हकूक नहीं मिलता है।

इसके बाद में हमारी सरकार ने यह बताया कि जागीर पुनर्ग्रहण से ३.४३.४४ का हरजाना हुआ। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जागीरों के क्लेम करने से हरजाने का प्रश्न नहीं आता। आप इसको पचास पर्सेन्ट काट कर दे रहे हो, न कि ज्यादा। २५ पर्सेन्ट मैनेजमेन्ट चार्ज़ेज काट लेते हैं। तो उसकी आमदनी जो आपको हो रही है वही तो आप उनको दे रहे हैं। फिर वे लेते वक्त इतने परेशान और हैरान होते हैं कि जिसकी हद नहीं। उनको दर दर भटकना पड़ता है। जागीर कमिश्नर के दफ्तर का मुलाहिज़ा आप करें तो मालूम होगा कि जैसे कीड़ा कोठे पर किलबिलाहट करता है वैसे ये वहां किलबिलाहट करते हैं। लाख रुपया लेना हो या एक रुपया, सबके लिये यही हैरान करने वाला प्रोसीजर है। तो मुख्य-मन्त्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम जो भी कुछ उनको आप देना चाहते हैं, उसको उनके घर पर देने की व्यवस्था अवश्य कर दें। उनको घर

Page No 60

(श्री लक्ष्मीचन्द)

बैठे दे देने की आप व्यवस्था जरूर कर दें। सरकार को भी खर्चा अधिक न हो और जनता को परेशानी न हो जिससे और पैसे का भी फायदा उन को मिल सके। यह नहीं कि जितना मिलने वाला है उतना ही आने जाने में, रहने, खाने, पीने में होटल वाले ले लें। इसके बाद में मैं लैंड अलॉटमेन्ट के बारे में बताऊंगा। हमारी सरकार यह कह सकती है कि सीलिंग के बाद में जितनी जमीन है वह हम सहकारी समितियों के द्वारा देंगे। तो सहकारी समितियों का जहां तक प्रश्न है तो सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहूंगा कि मेरे सांचौर ज़िले के अन्दर १२ इस प्रकार की समितियां खुली जिनको लाख रुपया मिला होगा। इतना पैसा उनको मिला पर फिर भी उन्होंने एक पैसे का भी काम नहीं किया है। उन्होंने कर्जा लिया है और रुपया खा गये हैं। इसका नतीजा यह होगा कि वह सरकार को वापिस पैसा नहीं दे सकेंगे और समितियां डिज़ॉल्व हो जायंगी जो उन समितियों की जमीन हैं वह सरकार लेगी और उनको मज़दूर बनना पड़ेगा। इसलिए इन समितियों के बारे में तो मेरा ख्याल है कि सरकार का कामयाब होना मुश्किल है। क्योंकि सरकार की ऐसी हरकत है कि लोगों में ऐसी बू घुसी हुई है कि कानून से भाई भाई से प्रेम नहीं कर सकता और औरत आदमी से प्रेम नहीं रख सकती। तो अलग अलग समितियों द्वारा जनता को फायदा सरकार पहुंचाये ऐसा समझ में नहीं आता है। मैं आपको बताऊं कि सांचौर ज़िले में तो एक भी समिति ऐसी नहीं है कि जिसने अच्छा काम किया हो।

अब सभापति महोदय, मैं पुलिस विभाग के बारे में बताऊंगा। उसकी तो जबरदस्त माया है। अभी अभी आमेर के जयगढ़ किले की फोर्स से १३ आदमियों को जो वहां के इन्चार्ज बख्शीजी हैं उन्होंने बिना किसी कारण और बिना नोटिस वगैरह दिये नौकरी से निकाल दिया है और उसका परिणाम यह हुआ कि उन बेचारों की पच्चीस पच्चीस साल की सर्विसेज़ हैं उनको अपनी सर्विसेज़ से हाथ धोना पड़ा। यह उन्होंने इसलिए किया कि उनको बकरा चढ़ाने के लिए कहा गया देवी पर और उन्होंने इन्कार कर दिया। ३१ मार्च, ५९ (५८) को उन्हें सर्विस से निकाल दिया। इसके लिए सरकार के पास कई रिप्रेजेन्टेशन्स आते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी से चाहूंगा कि वह इस बात का क्या जवाब देंगे कि १३ आदमियों को कैसे बिना किसी कारण के निकाल दिया गया।

शिक्षा के बारे में तो हम जालौर ज़िले के बारे में ऐसा समझते थे कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कई आश्वासन दिये हैं और इन आश्वासनों के बारे में हम ऐसा सोचते थे कि इस बजट में पूरे हो जायेंगे मगर इस बजट को देखें तो मुझे तो ऐसा कदम सरकार द्वारा उठाया हुआ मालूम नहीं होता कि जिससे हमारे ज़िले में शिक्षा की कोई प्रगति हो, ऐसा मालूम हो। पिछड़े हुए इलाके में इस प्रकार की शिक्षा की सहूलियतें जब तक हम नहीं देंगे तो कोई उन्नति नहीं होगी।

दूसरे, इस ज़िले के अन्दर पीने के पानी की भी समस्या है। जिस राज्य में पीने को पानी नहीं मिले तो उस राज्य में क्या उन्नति होगी। सांचौर प्रोपर से आप दस मील दूर

(श्री लक्ष्मीचन्द)

चले जाइये जहां पहले जवांई नदी के साथ और भी दूसरी नदियां आकर गिरती थीं आज उस इलाके की ऐसी हालत है कि नदी का डाइरेक्शन चेंज हो जाने के बाद कोई भी नदी नहीं आती और वहां पर पानी पीने को भी नहीं मिलता। यहां तक कि वहां की स्त्रियों को रात को दो बजे उठकर भी पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। अतः हमें आशा है कि सरकार ऐसी जगह पर ट्यूब वैल्स लगवायेगी। अगर यहां पर ट्यूब वैल्स और सरकार करायेगी तो मेरा ख्याल है कि मीठा पानी निकल सकता है। हमारे जो देशी सर्वे करने वाले हैं उनका ऐसा मत है कि गहरे जाने से मीठा पानी मिल सकता है। आप लाइट की फैसीलिटी शहरों को दीजिए मगर कम से कम ऐसे इलाके में जहां कि पीने का पानी नहीं मिलता ऐसे इलाके में आप इसकी पूरी व्यवस्था करिये। कम से कम एक एक गांव में एक एक ट्यूब वैल तो होना ही चाहिए जिससे पानी आसानी से मिल सके। इसके लिए यदि सरकार चाहे तो हम टैक्स भी देने के लिए तैयार हैं मगर कम से कम आप ऐसा कर देंगे तो रिप्लाई आप दे सकते हैं कि लोगों को पानी के पीने की समानता है।

उसके बाद में सभापति महोदय, सांचौर जिले में ३० हजार एकड़ जमीन पड़ी हुई है जो कि ऐसी है कि जहां पहले नदी आती थी और जमीन उसमें बह जाती थी। अब चूंकि वहां पर नदी नहीं आती तो वहां पर माइनर इर्रिगेशन वर्क्स करवाये जायें, नये नये बांध बनवाये जायें और पानी को रोका जाये तो उम्मीद हो सकती है कि वह जमीन काबिले-काश्त हो सके। सभापति महोदय; इस जगह पर तख्तगढ़ के कमिश्नर साहब आये थे, एग्रीकल्चर के डिप्टी डाइरेक्टर भी आये थे उन्होंने भी उस जमीन को देखा है, मैंने उनसे भी इसके बारे में अपील की है। तीस हजार एकड़ जो जमीन है वह बिना काश्त पड़ी है इसके लिए सरकार को टैक्निकल आदमियों को भेजकर उस जमीन की सर्वे करवानी चाहिए। इसके लिए अगर सरकार कहे कि आधा पैसा तो सरकार दे और आधा पैसा जनता दे तो इसके लिए मैं कहूँगा क्योंकि उस इलाके की जनता गरीब है इसलिए वह पैसा नहीं दे सकते। आज देश में खाद्यान की समस्या क्यों हो रही है वह खाद्यान की समस्या सरकार के कानून द्वारा ही हो रही है। यह कानून है कि कई लोग अपनी जमीन इसलिए नहीं देते हैं कि वह समझते हैं कि अगर उन्होंने जमीन दे दी तो एक साल के बाद दूसरे मालिक हो जायेंगे और कई लोग ऐसा समझते हैं कि रबी के अन्दर रुपये के अन्दर पांच आना तो लोगों ने गेहूं बोया है और ११ आना जीरा बोया है

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं सदन को एक दो बातें और बताना चाहूँगा। मगर घंटी दो तीन बार बज चुकी है....

श्री सभापति : आप एक मिनट में ही समाप्त कर दीजिए।

श्री लक्ष्मीचन्द : इसके बाद में मैं आपको पुलिस विभाग की एक बात और बताऊं कि हमारे यहां भवातडा में एक पुलिस स्टेशन तीस हजार की लागत से बनवाया। अब उसके लिए कहा गया है कि यहां तो पानी नदी का आता है और इस कारण एक

(श्री लक्ष्मीचन्द)

दूसरा पुलिस स्टेशन सरवाणा में बन रहा है, वही तीस हजार की लागत से। तो मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि जब सरवाणा में ही पुलिस स्टेशन बनवाना था तो फिर भवातड़ा में क्यों रुपया खर्च किया गया? या तो आपको कर्मचारियों को फायदा पहुँचाना था या फिर आपके जो ठेकेदार थे उनको फायदा पहुँचाना था। मगर मैं आपको बताऊं कि उसी साल नदी नहीं आई और न नदी ने डाइरेक्शन चेंज किया। अब सरवाणा पुलिस थाने के लिए तीस हजार का प्रॉविज़न है। तो इन तीस हजार रुपये का क्या जस्टीफिकेशन है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामेश्वरदयाल।

२ म० प०

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो सन् १९५९–६० का बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है उससे यह आभास होता है कि अतीत में हमारे शासन की आर्थिक स्थिति क्या रही और भविष्य में उसका क्या रूप होने जा रहा है। माननीय सदस्यों ने इस अभिभाषण में एक बात नोट की होगी हमारा खर्च चाहे वह पूंजीगत हो और चाहे वह राजस्व का हो बराबर बढ़ता जा रहा है। उसके साथ ही साथ हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय के भाषण के पृष्ठ भी बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार सूझबूझ और दूरदर्शिता के साथ इस घाटे के बजट को बचत के बजट में परिवर्तन करने की जो कोशिश की गई है उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। लेकिन एक बात मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि जो वित्तीय सिद्धांत हैं उनकी तरफ भी उनका कुछ ध्यान जाना चाहिए। यदि इस बजट को देखा जाय और भाषण को पढ़ा जाय तो यह स्पष्ट है कि खर्चा जरूरत से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं यह मानता हूँ कि वित्त मंत्री का जो कार्य है वह कुछ अप्रिय और कठिन होता है। लेकिन उनको चाहिये कि अपने कर्त्तव्य को पूरा करने में यदि अपने साथी मंत्रीयों को कुछ बुरा भी लगे तो भी जन हित में और शासन के हित की दृष्टि से बढ़ते हुए भारी खर्चे को कम करने में प्रभावशाली कदम उठाते। वित्त-मंत्रीजी ने बजट तैयार करने में, मैं समझता हूं, ज्यादा समय एक्सपेन्डिचर, खर्च और आमदनी पर ही दिया है लेकिन एक जो तीसरा पहलू वेट्र किरीता (१) और है इकोनोमी इन दी एडमिनिस्ट्रेशन यानि बचत उस पर आपने बहुत ही सरसरी तौर पर गौर फरमाया है। वैसे इनके भाषण से इस बात का संकेत जरूर होता है कि ४० लाख की बचत की कोशिश का प्रावधान है, लेकिन यह बचत किस प्रकार की जावेगी आया जो स्वीकृत धन राशि है विभिन्न विभागों और कार्यों के लिये उसमें बचत की जायगी और पूरा खर्चा नहीं किया जायगा या क्रान्तिकारी कदम विभागों के हेरफेर में किये जायेंगे या जो बढ़ता हुआ प्रशासनिक ढांचा खर्चीला होता जा रहा है उसमें कमी की जायेगी। इस सम्बंध में उनके भाषण में कोई संकेत नहीं मिलता है। सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने राजस्थान फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट १९५८ को देखी होगी उसमें बचत के बारे में जो सुझाव दिये हैं उनको पढ़ी होगी। उसमें बहुतसे ऐसे सुझाव हैं जिन पर यदि अमल किया जाता या विचार

(श्री रामेश्वरदयाल)

किया जाता तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ बचत हो सकती थी और अतिरिक्त करों का सहारा लेकर जनता पर जो बोझ डालने की कोशिश की गई है उसकी आवश्यकता नहीं रहती बहुत से ऐसे डिपार्टमेन्ट्स हैं जिनकी अनावश्यकता वा अनुपयोगिता को एस्टिमेट्स कमेटी ने और दूसरों ने माना है और सिद्धांतः स्वयं सरकार ने भी स्वीकार किया है। यदि इस सम्बंध में कोई प्रभावशाली ढंग से कदम उठाया जाता या विचार किया जाता तो मैं समझता हूं बहुत कुछ किया जा सकता था, बचत की बात बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है वित्त मंत्रीजी विभागीय खर्चों और उनके गठन व कार्य प्रणाली पर विचार करते और उनको अच्छी तरह से तौलते नापते और उनकी उपयुक्तता या अनुपयुक्तता पर विचार करते और फिर उनको बजट में समावेश करते तो मैं समझता हूं वे प्रशासन में काफी बचत दिखा सकते थे। इस दृष्टि से इसको तैयार नहीं किया गया है और इसमें वित्तीय सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है।

दूसरी बात जो आजकल देखने में आ रही है वह यह है कि प्रशासन के अन्दर एक ऐसी प्रवृत्ति का समावेश होता जा रहा है जिससे हमारे कल्याणकारी राज्य के घोषित सिद्धान्त जिसकी आधार शिला पर हम राजस्थान का निर्माण करने की बात सोचते है पर आघात पहुँचने की पूरी आशंका है। यह प्रवृत्ति है, व्यापारिक प्रवृत्ति। आज सरकार पॉवर हाउसेज़ चलाती है तो व्यापारिक दृष्टिकोण से, यदि वाटर वर्क्स चलाती है तो व्यापारिक दृष्टिकोण से और इसी दृष्टि से शिक्षा पर भी टैक्स लगाया जाता हैं, अस्पतालों में आम लोगों को दवाइयां नहीं मिलती। आज हम व्यापारिक दृष्टिकोण से काम करते जा रहे हैं राज्य सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग का काम भी अपने हाथ में लेने की घोषणा की है। मैं इसका स्वागत करता हूं, जरूर गल्ले का थोक व्यापार राज्य को करना चाहिये। लेकिन यह जो प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी मुझे क्षमा करेंगे यदि यही सिलसिला और अधिक चला तो मैं समझता हूँ कि सरकार अपने वास्तविक स्वरूप को खो बैठेगी. The Govt will become a trading company or a joint stock company. इस प्रकार की व्यापारिक प्रवृत्ति जो प्रशासन में घुसी जा रही है शासन प्रणाली व शासन तंत्र में खराबियां आ सकती हैं जिनकी चर्चा आम तौर पर लोग करते हैं वे हैं चोर बाजारी, काला बाजारी। हमारा कल्याणकारी राज्य का स्वप्न अधूरा रह सकता है और साकाररूप ग्रहण नहीं कर सकेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन के मामलों में जनहित का ख्याल रखा जाय। जनतंत्र के अन्दर यदि कोई मापदंड है तो वह है लोक कल्याण। यदि लोक-कल्याण के लिये सरकार को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है तो भी करना चाहिये पैसा भी सरकार अतिरिक्त कर लगा कर आम जनता से प्राप्त करती है और खर्चा पूरा करती है। यदि इस उद्देश्य को पूरा करने में सरकार को किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़ता है तो भी सरकार को उसकी परवाह नही करनी चाहिये। वाटर वर्क्स चलाने के मामले में सरकार की यह नीति है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से काम करे। नीति ठीक हो सकती है लेकिन प्रश्न यह है कि जनहित पर और जनसाधारण पर जिनमें गरीब ज्यादा हैं क्या असर पड़ता है। पानी जैसी एक आवश्यक और जीवन की बहुत उपयोगी वस्तु और

(श्री रामेश्वरदयाल)

आम लोगों के इस्तेमाल की चीज के ऊपर यदि सरकार आवश्यकता से अधिक टैक्स लगाती है, इसका कोई औचित्य नहीं है, सामाजिक न्याय की बात नहीं है क्योंकि ऐसी आवश्यक वस्तु का जनता से सीधा सम्बन्ध होता है इसके लिये तो राज्य को निशुल्क व्यवस्था करनी चाहिये। मैं समझता हूँ राजस्थान भर के लिये राज्य सरकार को यह फैसला करना चाहिये कि वह निशुल्क जल वितरण का प्रबन्ध करे और जो जल के ऊपर इस प्रकार का भारी टैक्स लगाया जाता है वह नहीं लगाये। मैं इस सम्बंध में यह भी निवेदन करूंगा कि कोटा में सन् ५८ में ६ महीनों के अन्दर वाटर रेटस ८ आने फी हजार गैलन से बढ़ा कर १ रु० कर दिया गया वह बहुत ज्यादा है। इस प्रकार की आवश्यक वस्तु पर सरकार ने जो टैक्स वृद्धि करके लगाया है वह उचित नहीं मालूम होता है। इस व्यापारिक दृष्टिकोण पर सरकार पुनर्विचार करे, यदि वह अपने वास्तविक लक्ष्य पर पहुँचना चाहती है तो।

वैसे तो इस बजट में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें रखी गई हैं, भारी धन राशि के प्रावधान हैं, सामाजिक सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और भी कई अन्य विभागों के अन्दर सरकार ने स्वागत योग्य कदम उठाने के निर्णय किये हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा यह एक बुनियादी चीज है न्याय विभाग और प्रशासन विभाग के पृथक्करण की। इस विषय में न तो वित्त मंत्री के भाषण में कुछ कहा है और न कोई प्रभावशाली कदम उठाये हैं। सिद्धान्ततः सरकार इस बुनियादी उसूल को मानती है लेकिन दुर्भाग्य है कि जो स्थिति आज से २ साल पहले थी उसी स्थिति में आज भी हम हैं। पहले जो २२ मुंसिफ और मजिस्ट्रेटस की जगह थीं उनमें अधिक वृद्धि नहीं की गई है। आज इस बात की जरूरत है कि इस दिशा में सरकार कोई ठोस कदम उठावे।

इन्डस्ट्रीज के अन्दर, वैसे चार इन्डस्ट्रियल एस्टेटस् बनाने की घोषणा की गई है और छोटे और कुटीर उद्योग के लिये भी कुछ अच्छे प्रावधान रखे हैं। ये सब कुछ ठीक हैं लेकिन सांभर और डीडवाना के अन्दर जो नमक की खानें हैं वे नमक की खानें राजस्थान सरकार की हैं यह बात मानली गई है। इन खानों को सरकार स्वयं अपने हाथ में नहीं लेना चाहती है। हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी को ठेका दिया गया है, मैं समझता हूं यह प्रान्त और राज्य के हित में नहीं है और जो शर्त इस कम्पनी के साथ ऐसी रखी गई हैं वे हैं कि इससे कोई फायदा सरकार को नहीं होने वाला है। इस मामले में राज्य सरकार घाटे में रही है। अगर सरकार स्वयं इस कार्य को अपने हाथ में लेती तो सर्वोत्तम होता। हम राष्ट्रीयकरण की स्टेट ट्रेडिंग की बात करते हैं, अगर राज्य सरकार इसका राष्ट्रीयकरण करती तो मैं समझता हूँ इससे सरकार की आमदनी भी बढ़ती और जनता का भी फायदा होता। वैसे भाषण के अन्दर यह कहा गया है कि खाद्यान्न के भावों में गिरावट हुई है लेकिन मैं समझता हूं यह गिरावट कोई संतोषजनक नहीं है। आज भी लोगों को २५ रु०, ३० रु० मन से गेहूं मिलता है। अगर दो रुपये, तीन रुपये मन में कहीं गिरावट हुई है तो उससे आम जनता को कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

(श्री रामेश्वरदयाल)

पिछले बजट के समय राज्य सरकार की ओर से घोषणा की जाकर और छोटे कर्मचारियों के लिए पांच रुपये का मंहगाई भत्ता और दिया गया था। यह एक बहुत स्वागत योग्य चीज़ थी। इस वर्ष भी लोग आशा करते थे कि राज्य सरकार उसमें कुछ वृद्धि करेगी क्योंकि पांच रुपये का जो मंहगाई भत्ता दिया गया था, उससे कोई पर्याप्त राहत छोटे कर्मचारियों को नहीं मिली। इस बार बहुत आशा थी लेकिन जब माननीय वित्त मन्त्रीजी ने इस सदन में बजट प्रस्तुत किया और उसके बाद लोगों को मालूम हुआ तो उनकी आशा निराशा के अन्दर परिणित हो गई। चीज़ों के भाव, खाद्यान्नों के भाव ऊंचे जा रहे हैं और जीवन स्तर महंगा होता जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए आज की स्थिति में छोटे कर्मचारियों के लिए खास तौर से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, छोटे छोटे क्लर्कस, छोटे छोटे स्कूल टीचर्स व मध्यम श्रेणी के लिए अपने जीवन स्तर को बनाये रखना, अपने परिवार की उदर पूर्ति करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम समाजवादी व्यवस्था की बात करते हैं कि समाजवाद के अन्दर लोगों को बराबर मौका मिलेगा

(घंटी)

अपने व्यक्तित्व के विकास और सब सुविधाओं के लिए सरकार को छोटे कर्मचारियों की ओर ध्यान देना चाहिये। आज लोगों के वेतनों में भारी असमानताएं हैं। इन विषमताओं को समाप्त करने के लिए आज जल्दी व ठोस कदम नहीं उठाये तो हम पिछड़ जायेंगे, और देश के अन्दर समाजवादी व्यवस्था लाने की बात काफी दूर चली जायगी और हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे आवश्यक चीज़ सरकार के लिए यह है कि सर्विसेज़ के अन्दर वेतन की दृष्टि से, जो इतनी भारी विषमताएं हैं, उन भारी विषमताओं को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। जब सरकार जागीरदारी, ज़मींदारी और देशी राज्य खत्म कर सकती है, तो जो दो दो हज़ार के, ढ़ाई हज़ार के, तीन हजार के, भारी वेतन है, उन्हें क्यों नहीं खतम किया जाता और छोटे कर्मचारियों के साथ न्याय क्यों नहीं किया जाता? सरकार को निश्चित वेतन की योजना बनानी चाहिये और उस योजना के अन्दर एक हजार से ज्यादा वेतन किसी को भी नहीं देना चाहिये। एक हजार रुपये का वेतन सिर्फ उन लोगों को देना चाहिये जो कि विशेषज्ञ हों, इन्जीनियर्स हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स हों। प्रशासनिक सेवाओं में लगे हुए लोगों को हजार और ढाई हजार रुपये का इतना ऊंचा वेतन दिया जाना ठीक नहीं है। हम सीलिंग की बात करते हैं, सरकार हम काश्तकारों के लिए आमदनी का स्तर २४०० रुपये साल निश्चित करती हैं लेकिन सर्विसेज़ के अन्दर वेतन कम नहीं कर सकती जिसको कि वह आसानी से कर सकती हैं। सीलिंग के सम्बन्ध में सरकार के सामने बाधायें आ सकती हैं क्योंकि उसमें दूसरों से लेने का सवाल है लेकिन सरकार को अपने घर के अन्दर ही, वेतन कम करने में कोई विशेष बाधा नहीं आ सकती है। अगर सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, जिससे वेतनों में व्याप्त असमानता और विषमता समाप्त हो सके, तो हमारा समाजवाद का स्वप्न पूरा नहीं हो सकेगा और आम

(श्री रामेश्वरदयाल)

लोगों को कोई आस्था एवं श्रद्धा व विश्वास नहीं रहेगा

(घंटी)

कि राज्य सरकार किस प्रकार अपनी योजनाओं को बढ़ाती है और किस प्रकार उनको कार्यान्वित करती है, यह देखने की बात है। अब मैं, सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि धन का सदुपयोग किया जावे। बजट सदन में प्रस्तुत हो गया और पास भी हो जायगा, लेकिन बजट में जो भी धन-राशियां रखी गई हैं विभागों के लिए, बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए, विकास के लिए, उनके लिये सरकार को यह भी देखना चाहिए बजट पास होने के बाद कि इन धनराशियों का ठीक प्रकार से उपयोग हो और उनका दुरुपयोग न हो। जो कर्जे दिये जाते हैं, उनके बारे में सरकार को देखना चाहिये कि जो कर्जा जिस कार्य के लिए दिया गया है, उस कार्य पर वह खर्च हुआ या नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था होना लाज़िमी है। इसी प्रकार से कर्जे की वसूली के अन्दर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। क्योंकि जब तक इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं होगा तो सरकार को घाटे का बजट बनाना होगा और इस प्रकार से घाटा बराबर बढ़ता जायगा। जब हमारे पास में साधन मौजूद हैं, अगर हम उसको अपनाते हैं तो लोगों को टैक्स से मुक्त कर सकते हैं और टैक्स लगाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस दृष्टिकोण से हमको किसी प्रकार कदम उठाना चाहिए। जो टैक्सेज़ लगाये गये हैं।

(घंटी)

उनमें खासतौर से यात्रियों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, मैं समझता हूँ कि वह उचित नहीं है और उसका खासतौर से आम लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय और हमारे अन्य मन्त्रीगण इन तमाम बातों पर विचार करेंगे और उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे।

श्री सभापति : श्री नाथूलाल।

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट सु.) : माननीय सभापति महोदय, जो माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने बजट रखा है, उसके अन्दर शुरू से लेकर आखिर तक मैं जाऊं तो साफ़ जाहिर होता है कि उन्होंने सचमुच राजस्थान के विकास के लिये बहुत अच्छी तरह सोच समझ कर, एक सुन्दर ढंग से बजट पेश किया है लेकिन मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि जो बड़ी बड़ी योजनायें राज्य सरकार ने रखी हैं और वास्तव में ये जरूर पूर्ण होंगी लेकिन थोड़ी सी इतनी बात है कि आप समान दृष्टि से सोचते हुए इस कार्य को करें। जैसा कि आपने बताया कि तीन साल सेकेन्ड फाइव ईअर प्लान के खतम हो गये हैं और दो साल बाकी हैं, इन दो सालों में वास्तव में हम कार्यों में प्रगति करना चाहते हैं वास्तव में प्रगति करनी है और अब तक विकास कार्य में प्रगति हुई भी है, यह मान कर हम चलते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम पिछड़े हुए हैं, यह सत्य नहीं है। हम मानते

Page No 67

(श्री नाथूलाल करोल)

हैं कि विकास कार्यों में प्रगति हुई है लेकिन पूर्वी राजस्थान के अन्दर कुछ कम हुई है।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : अब के होगी।

(व्यवधान)

श्री नाथूलाल : अब कह दूंगा, बोलने तो दें। माननीय सभापति महोदय, मैं अब खास तौर से राज्य सरकार का ध्यान समाज कल्याण विभाग की ओर खींचना चाहता हूं। माननीय सोशियल वैलफेअर मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा समाज कल्याण विभाग के लिये बजट में काफी पैसा रखा है और लोगों के लिये इर्रिगेशन वैल, ड्रिंकिंग वाटर वैल और री-हेबिलिटेशन के लिये काफी पैसा रखा है, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह पैसा पश्चिमी राजस्थान में ही लगाया जायगा या पूर्वी राजस्थान के आदिवासियों के लिये भी लगाया जायगा ? मेरा निवेदन है कि...

विपक्ष के एक माननीय सदस्य : उस तरफ जाकर ही बैठ जाइये।

श्री नाथूलाल : न आप लोगों से पूछ कर इधर बैठा हूं और न आपके इस तरह बोलने से उधर जाऊंगा। जो बात है उसको स्पष्ट कहूंगा, लेकिन आप लोगों की यह इच्छा है कि हम विरोधी दल के हैं हर बात से विरोध ही जाहिर करें, तो यह जो बजट बना है बिलकुल ठीक लाइन पर बना है, पर बहुत से सदस्यों की ऐसी आदत पड़ गई है कि विरोधी होने के नाते जो सच्ची बात है उसका भी विरोध करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं। मान लीजिये कि मैं विरोधी हूं पर विरोधी होने के नाते चाहे जितनी ही बजट में खराब या अच्छी बातें हों, उन पर मैं सही तौर से ही मेरी राय प्रकट करूंगा।

एक माननीय सदस्य : बिलकुल खोटी सोचते हैं।

श्री नाथूलाल : मैं हर वक्त देख रहा हूं कि आप सरकार का हमेशा विरोध करते हैं,लेकिन जब विरोधी पक्ष की बातें सरकार के सामने आती हैं तो सरकार सोचती है, जबाब भी देती है, सरकार उसको साफ करने के लिए भी कोशिश करती है....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Is it a Budget speech, Sir ?

श्री नाथूलाल : Why not ?

श्री सभापति : आप आरम्भ रखिये।

एक माननीय सदस्य : आप तो नाराज़ हो गये।

श्री नाथूलाल : नहीं नाराज़ होने की बात नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : Let us speak on the debate, rather than on other things.

श्री नाथूलाल : माननीय सभापति महोदय, मैं सोशियल वैलफेअर पर बोल रहा था, पूर्वी राजस्थान के आदिवासियों के विकास के लिये भी कुछ होना चाहिये। आदिवासी जयपुर और सवाई माधोपुर

(श्री नाथूलाल)

जिलों में ही हैं, उनका कोई उत्थान आज तक नही हुआ है। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आदिवासियों की ओर ध्यान दे और उनका उत्थान करे, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, में शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने प्राथमिक पाठशालाएं तो बहुत खोली हैं, और खोलने का इस साल भी प्रावधान रखा है पर उन स्कूलों में टीचर्स का इन्तजाम करने में सरकार असमर्थ रहती है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह तो आप विरोध में कह रहे हैं।

श्री नाथूलाल : विरोध में नहीं, जो सही बात है वही कहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप उनको सीधा जवाब न दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार के निष्पक्ष क्रिटिसिज्म का असर होता है।

श्री नाथूलाल : हमारी सरकार ने प्राथमिक पाठशालाएं खोली हैं पर वहां टीचर्स भेजने का इन्तज़ाम नहीं होता है। मेरा निवेदन है कि सरकार इसका इन्तज़ाम करे। प्राथमिक पाठशालाओं को मिडिल स्कूल में कन्वर्ट करने का जो बजट में प्रावधान रखा है वह थोड़ा है। ३० प्राथमिक पाठशालाओं को ही मिडिल स्कूल में कन्वर्ट करने का प्रावधान रखा है। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मैंने अपने इलाके की कूंथूज गांव की प्राथमिक पाठशाला को मिडिल स्कूल में कन्वर्ट करने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजा था पर आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। मेरी अर्ज है कि उसको जल्दी से जल्दी मिडिल स्कूल में कन्वर्ट कराया जावे।

कृषि के लिये भी मैं थोड़ा सा निवेदन कर देना चाहता हूं। राजस्थान में कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। रबी अभियान बिलकुल सफल हुआ, बीज बांटा गया, यन्त्र दिये, कृषि के औजार दिये पर इसमें इतनी सी खामी है कि राज्य सरकार बढ़िया क्वालिटी का बीज ठीक समय पर नहीं बांट सकी ...

एक माननीय सदस्य : यही तो सारी खराबी है, फिर किया ही क्या ?

श्री नाथूलाल : राज्य सरकार ठीक समय पर क्यों नहीं बांट सकी ? इसके लिए तो राज्य सरकार खुद सोचती होगी कि क्या देरी से काम को हाथ में लिया गया ?

एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि बाढ़ी का जो तरीका रखा है उसमें साढ़े सात सेर की बाढ़ी का रखा है, वह खराब रखा है। राज्य सरकार को चाहिये था कि ५ सेर बाढ़ी के हिसाब से ही रखते।

श्री मदनसिंह : तो यह सरकार की बुरी बात थी।

श्री नाथूलाल : सरकार तो अच्छी है पर......

श्री सभापति : आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय मित्रों से निवेदन करूंगा कि इन्टरप्शन्स न करें। जब आप भी बोलने को खड़े होंगे तो इसी तरह दूसरे आपको भी इन्टरप्ट करेंगे। इससे हाउस का जो डेकोरम मेन्टेन होना चाहिये, वह भी मेन्टेन नहीं होगा। हां, आप जारी रखें।

श्री नाथूलाल : माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि के ऊपर चल रहा था कि बीज ठीक व्यवस्था से दिया गया पर इतनी सी कमी रही कि सरकार ठीक समय पर देने में असमर्थ रही तथा बाड़ी ज्यादा रखी। पशु पालन के लिए सरकार ने काफी पैसा रखा है और पशु पालन का काम भी जारी है, पर पशुओं की बीमारी पर कतई कन्ट्रोल नहीं किया है और दिन पर दिन ज्यादा पशु मरते जा रहे हैं, पशुओं का इलाज करने में जरा सरकार असमर्थ रही है। जयपुर की सांगानेर तहसील में महल गांव में करीब १० हजार की कीमत के पशु मर गये हैं। वेटरनरी डॉक्टर गये भी थे पर बीमारी पर कन्ट्रोल नहीं कर सके। इसलिये राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि पशुओं की बीमारी पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करें।

अच्छा ; सड़कों के लिये माननीय सदस्यों ने कहा कि सड़कें बिलकुल नहीं बन रही हैं, उनकी मरम्मत नहीं की जा रही हैं, यह मैं नहीं मानता। सड़कों के मामले में काफी प्रगति हुई है, सड़कें बन रही हैं मरम्मत भी हो रही है। यह बात जरूर है कि तमाम राजस्थान का डवेलपमेंट एक दम तो नहीं हो सकता, धीरे-धीरे होगा। लोग चाहते हैं कि एक दम सड़कें बन जायं, तालाब बन जायं, एक दम डवेलपमेंट हो जाय, यह सम्भव नहीं। फिर भी सरकार से निवेदन करूंगा कि ज्यादा पैसा बजट में रख कर इन सब बातों की पूर्ति कर दी जाय ताकि सभी माननीय सदस्यों की ख्वाहिश पूरी हो जाय।

(हंसी)

तीसरी बात टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं। मोटरों के ऊपर माननीय वित्त मन्त्रीजी ने बताया है कि टैक्स बढ़ाया गया है; यह तो ठीक है। क्योंकि सरकार से हम लोग एक तरफ तो सड़कें मांगते हैं, कुए मांगते हैं, तलाबी व बंध मांगते हैं तो टैक्स बढ़ाने में हमें क्यों दिक्कत आती है? टैक्स भी थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिये। पर राज्य सरकार से निवेदन है कि टैक्स के बारे में सोच समझ कर ही कार्य करे, ताकि पब्लिक में असन्तोष नहीं हो।

अब मैं सिंचाई के बारे में भी निवेदन करूं कि हमारे जिले में सिंचाई की कोई प्रगति नहीं हुई है। टौंक जिले में तो टोरड़ी सागर वगैरह सिंचाई के साधन हैं पर हमारे जयपुर ज़िले में कुछ भी साधन नहीं हैं। छोटी सिंचाई के बारे में मैं माननीय गृह मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तालाब बनाये जायं। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, ५९-६० का बजट इस सदन में माननीय वित्त मंत्रीजी ने पेश किया है। इस बजट को देख कर हम कभी मानने

(श्री गिरधारीलाल)

को तैयार नहीं होते कि यह बजट कोई समाजवादी गवर्नमेंट का बजट है। इस बजट को देखने से ऐसा मालूम होता है कि सरकार ने नये कर लगा कर जो गरीब थे, जिनके पास रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अनाज की कमी है उन लोगों पर टैक्स लगाया है और अपने ५७८ को नफे का बजट बताया है।

इस सरकार की नीति क्या है इस बारे में कुछ अन्दाज़ लगाना मुश्किल है। एक ओर आप भाषण में यह कहते हैं कि हम समाजवाद को लाना चाहते हैं और दूसरी ओर आपका बजट देखने से ऐसा लगता है कि आप समाजवाद की बजाय पूंजीवाद को प्रोत्साहन देते हैं।

२. ३०. म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं दो चार उदाहरण सदन को बताना चाहूंगा कि आपकी सरकार राजाओं, महाराजाओं और भूतपूर्व जागीरदारों के साथ मिली हुई है, उनको हर तरह से प्रोत्साहन देती है और उधर आप जनता पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। पिछले साल वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश किया था उसमें बीकानेर, जोधपुर और जयपुर के महाराजाओं को ३ लाख ४० हजार रुपयों की बिजली और पानी मुफ्त में सप्लाई करने का प्रावधान किया था और इस साल भी बजट में इसका प्रावधान रखा है। मैं समझता हूं कि यह उचित चीज़ नहीं है। एक तरफ तो सरकार जनता पर टैक्स लगाती है और दूसरी तरफ इन राजा महाराजाओं को, जो कि बड़े साधन सम्पन्न हैं हालांकि राजा महाराजा अब नहीं रहे, लेकिन पूंजीपति जरूर हैं, भूखे नहीं हैं, उनको बिजली और पानी सरकार मुफ्त में देती है, यह कोई समाजवादी सरकार का नमूना नहीं है। गरीबों को कनेक्शन मिलता नहीं, मिलता है तो बड़ी मुश्किल से और वह भी मुफ्त नहीं, लेकिन जो बड़े २ अमीर हैं, उन्होंने पांच पांच छः छः साल से बिजली और पानी का पैसा नहीं चुकाया है, उनको मुफ्त में पानी और बिजली दी जा रही है, उनसे बिजली और पानी का पैसा नहीं लिया जा रहा है, न सरकार उनसे वसूल करना चाहती है लेकिन वह तो हर साल उनके लिए बजट में अलग से रकम रख देती है। मैं समझता हूं कि इस तरह से बजट से इस प्रकार से पैसा देना उचित नहीं है। आप इसके लिए कुछ भी कह लें लेकिन यह उचित नहीं है। आप कहेंगे कि प्रिवियर्स देते, संविधान में लिखा हुआ है, हमको मजबूर होकर देना पड़ता है, लेकिन हर साल राजस्थान की जनता की जेब से तीन लाख, चालीस हजार रुपया चला जाता है। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की हर रिपोर्ट को उठा कर देख लीजिये उसमें यह बराबर कहा जाता रहा है कि उनसे पैसा वसूल किया जाय, लेकिन सरकार उसके लिए प्रयत्न नहीं करती और उल्टा उनको देती है, बजट में उसका प्रोविज़न करती है। जागीरदारों के मुआवजे के कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। जागीरदारों को मुआवजे के रूप में २१ करोड़ सालाना देते हैं। मुझे उन जागीरदारों से बेहद हमदर्दी है जो कि गरीब है, लेकिन हमें राष्ट्रीय निर्माण में पैसा लगाना है और

Page No 71

(श्री गिरधारीलाल)

वह पैसा उन लोगों से भी लेना है जो कि पैसेवाले हैं, पूंजीपति हैं जिनके पास पैसा है, जो तिजोरियों में बन्द पड़ा है और राष्ट्र निर्माण में नहीं लग रहा है। जो पैसा बड़े बड़े जागीरदारों को मुआवजे के रूप में दे रहे हैं उनका मुआवजा मैं यह नहीं कहता कि रोक दिया जाय सदा के लिए लेकिन कुछ मियाद ऐसी होनी चाहिये, सभापति महोदय, कि १० साल, पन्द्रह साल की कि जब तक के लिए रोक दिया जाय। कुछ ठिकाने हैं, जैसे सीकर, खेतड़ी आदि लाख से ऊपर की जिनकी जागीरें थी, उनका मुआवज़ा १०, १५ साल के लिए रोक देना चाहिये और सारा पैसा राष्ट्र निर्माण में लगाना चाहिये। इसी तरह से १७ लाख रुपया राजाओं को जेब खर्च के लिए देते हैं, वे भी अनुचित हैं। उनको उचित नहीं कहा जा सकता। दो लाख रुपया हर साल महाराणा साहब उदयपुर को धर्मादे के लिए देते हैं, स्वर्ग में जायेंगे तो महाराणा साहब जावेंगे या उनका परिवार लेकिन राजस्थान की गरीब जनता पर टैक्स लगा कर उदयपुर महाराणा को दो लाख रुपया धर्मादा देने के लिए दियां जाता है। स्वर्ग में जावे या नरक में जावे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन राजस्थान की जो जनता गरीब है और टैक्सेज़ के भार से लदी हुई है उस गरीब जनता की कमाई का पैसा इस प्रकार उनको दिया जाय यह उचित नहीं है.......

(घंटी)

श्री सभापति : रावल साहब।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इस प्रकार के शब्द महाराजाओं के लिए कहे जा रहे हैं यह उचित नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जारी रखें।

श्री गिरधारीलाल : माननीय सभापति महोदय, मैंने दो उदाहरण आपके सामने रखे। इसी प्रकार दो-एक उदाहरण आपके सामने और प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार आज दिन तक काफी समय से राजस्थान के जागीरदारों में रेख चाकरी की रकम बाकी है। बड़ी बड़ी रकमे हैं और लाखों और करोड़ों की तादाद में रकम उनमें बाकी है। सरकार का उन पर कर्जा है, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट उस कर्जे को वसूल करने के लिए कोई कोशिश नही करती और दूसरी और जागीरदारों को मुआवजा भी देती है। एक तरफ तो पैसा देते हैं और दूसरी तरफ जब हम मांगते हैं। तो वह क्यों नहीं उनके मुआवजे में से काट लिया जाय? सन् ५७-५८ की एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जागीरदारों से यह पैसा वसूल करना चाहिये और उसके बाद भी प्रयत्न सरकार ने नहीं किया कि यह पैसा उनसे वसूल कर लिया जाय। इसको मैं समाजवादी गवर्नमेंट कहूं या राजा महाराजाओं की गवर्नमेंट कहूँ इसके लिए मंत्री महोदय ही बता सकते हैं कि यह काहे की गवर्नमेंट है।

अब मैं उद्योगों के बारे में दो शब्द कहूंगा। लिस्ट उठा कर देख लीजिये, सभापति महोदय, कि उन कम्पनियों में लाखों करोड़ों रुपया मिलेगा जो कम्पनियाँ दिवाला निकाल चुकी हैं या बंद पड़ी हैं। राजस्थान सरकार के सामने यह हर साल प्रश्न आता है, कमेटीज़ इस प्रकार की हर साल अपनी

(श्री गिरधारीलाल)

रिपोर्ट्स् में सूचनायें देती हैं कि इन इन्डस्ट्रीज़ से पैसा वापिस लिया जाय जो या तो घाटा दिखाती हैं या मूल रकम का ब्याज भी नहीं दे सकती हैं, जब कि उनमें लाखों और करोड़ों रुपया हमारा लगा हुआ है। इस प्रकार की कम्पनीज़ से राजस्थान की जनता को क्या फायदा है? हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को वह कम्पनी चन्दा देती हो, लेकिन जहां तक, माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार घोषणा कर चुकी है, राष्ट्रीयकरण करना है, उसको पूरा करें न कि जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, जो उनसे टैक्स के रूप में वसूल होता है, उनका लाखों और करोड़ों रुपया उन पूंजी-पतियों की जेबों में डालें। इसलिए सरकार की जो उद्योग नीति है वह सराहनीय नहीं है। इस सदन के माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि खनिज विभाग है उसका राष्ट्रीय-करण करना चाहिये। ६०, ७० लाख रुपया रॉयल्टी का मिलता है। कुछ पूंजीपति लोग हैं जो लाखों और करोड़ों रुपया कमा कर बाहर ले जाते हैं, उनमें से कुछ राजस्थान के होते हैं और कुछ बाहर के। इस तरह से राजस्थान सरकार की नीति इन पैसे वालों को किस तरह से पैसा देने की है उसके लिए उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्टरी है उसमें लाइन डलवाने का प्रश्न था। एग्रीमेन्ट जयपुर स्टेट के समय हुआ था, सन् ४८ में जहां तक मेरा खयाल है। एग्रीमेन्ट में यह साफ लिखा था कि फैक्टरी के फाटक तक लाइन डलवाई जावेगी, लेकिन बाद में राजस्थान बना और राजस्थान बनने के बाद फैक्टरी ने गवर्नमेंट से कहा कि इस लाइन को फैक्टरी के भीतर भी डलवाई जाय। बाद में राजस्थान गवर्नमेंट ने उसको माना नहीं।

पंच फैसले से पहले लाइन डलवा ली जाय उसके बाद जो पंच फैसला होगा वह मान्य होगा। वैसी हालत में लाइन का पैसा नहीं देना चाहिये। जहां तक मुझे मालूम है श्री मेहरचन्द महाजन उसके बारे में आर्बिट्रेटर नियुक्त हुए। अजीब बात यह है कि राज-स्थान सरकार की जो फाइल हैं उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रेलवे की लाइन फैक्टरी के अन्दर भी डाली जाय। राजस्थान सरकार की बेसमझी समझिये या अयोग्यता समझिये श्री मेहरचन्द महाजन को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया और उधर उनसे जूनियर एक पंजाब के वकील थे उनको वकालत के लिये नियुक्त किया गया। मेहरचन्द महाजन और उन वकील साहब की नियुक्ति के बाद में फैसला हुआ और १४ लाख रुपये राज-स्थान सरकार को देने पड़े।

यह मामला क्या है, इसका एक ही कारण है और वह यह है कि राजस्थान गव-र्नमेंट की अयोग्यता के कारण राज्य सरकार को १४ लाख रुपया भुगताना पड़ा। यह प्रश्न नहीं था, फाइल में इस प्रकार की कोई राइटिंग नहीं थी फिर भी सरकार को पैसा भरना पड़ा। हमारी सरकार बनियों के पक्ष में है। वह चाहती है कि जो पूंजीपति है वे ज़्यादा पूंजीपति बने।

इसी प्रकार का एक मामला है खेतड़ी की खान का। वहां भी आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया और मैं आपको सूचित कर दूं कि वहां भी चार लाख रुपया लगने वाला है। ये कुछ उदाहरण मैंने इसलिये बतादे कि हमारी समाजवादी सरकार है और उसके समाजवाद के ये नमूने हैं।

(श्री गिरधारीलाल)

इसी प्रकार अनाज के भाव बढ़ने के सम्बन्ध में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने रबी की फसल को दोष दिया और प्रकृति को दोष दिया। लेकिन जब कि सरकार पहले कई बार मान चुकी है और सारा सदन मान चुका है इस महंगाई में उन व्यापारियों का हाथ था जिन्होंने अनाज को संग्रह कर रखा था। अगर उनको पब्लिकली दंड दिया जाता तो आज जो अनाज के भाव हैं वे नहीं होते। लेकिन इन लोगों पर लान्छन नहीं लगाया गया और सब दोष रबी की फसल का बताया गया।

इसी प्रकार आगे आप देखेंगे कि राजस्थान के अन्दर कारखानों की संख्या बढ़ी है। पहले ४३२ कारखाने थे और अब ४७५ हो गये हैं। लेकिन जब हम उत्पादन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उत्पादन घटा है। जैसे आप कपड़ा ही ले लीजिये पहले वह ५.७६ था अब ५.३६ रह गया है। खान्ड का उत्पादन १७.७ हज़ार टन था अब १३.७ हज़ार टन रह गया है। इसी प्रकार ग्लास का उत्पादन भी घटा है। इसी तरह से राजस्थान की बहुत सी फैक्टरियां बन्द पड़ी हैं और उन फैक्टरियों में राजस्थान सरकार का बहुत पैसा लगा हुआ है। उन लोगों ने देखा कि यदि हम फैक्टरियां चालू रखते हैं तो राजस्थान सरकार पैसा लेगी। इस कारण उन फैक्टरियों को भी बन्द पटक रखा है। बहुत सी ऐसी कम्पनियां हैं जिनमें स्टेट का लाखों करोड़ों रुपया लगा हुआ है। जब उनको कहा जाता है कि मजदूरों का न्यूनत्तम जो वेतन निर्धारित है वह होना चाहिये तो वे उसमें घाटा बता देते हैं और कहते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम मजदूरों का वेतन बढ़ा सकें इसलिये फैक्टरियां बन्द कर दी जाती हैं ?

इसी प्रकार हमारी सीमा की पुलिस है। हमारा बोर्डर एरिया ७०० मील लम्बा है, उस पर जो पुलिस रहती है वह हमारी है। उस पर जो खर्च होता है उसे हम वहन करना पड़ता है। इस पुलिस पर हम ६५ लाख रुपया खर्च कर रहे हैं जब कि बम्बई, आसाम और दूसरे प्रान्तों में जो बोर्डर पुलिस रखी जाती है उसका सब खर्चा केन्द्रीय सरकार उठाती है। लेकिन हमारी सरकार ने यह प्रयत्न नहीं किया कि उसका सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार से ले। अगर कुछ प्रयत्न किया है तो वह सदन के सामने रखा जाय। सन् ५० से हम बराबर वह खर्चा वहन करते आ रहे हैं। पांच हज़ार जवान वहां रहते हैं, दो हज़ार ऑफिसर वहां रहते हैं और ६५ लाख रुपया सालाना उन पर खर्च किया जाता है। उसके लिये किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलती। इसलिये मेरी समझ में यह खर्चा नाजायज़ है इसका भार केन्द्रीय सरकार पर डाला जाना चाहिये। जब कि अन्य प्रान्तों के खर्चे वे भुगतते हैं तो राजस्थान सरकार अपने बोर्डर का खर्चा क्यों भुगते ? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है आखिर इसमें क्या रहस्य है ? आशा है माननीय वित्त मन्त्री महोदय, जब जवाब देंगे इन सब बातों को याद रखेंगे।

टैक्सेज़ जो आमदनी बढ़ाने के लिये लगाये गये हैं उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूँगा कि इन टैक्सों में जो आबकारी का टैक्स लगाया है उससे आठ लाख की आमदनी होगी। इसके सिवाय जितने दूसरे टैक्स हैं उन सब का सीधा असर जनता पर

(श्री गिरधारीलाल)

पड़ेगा, वह गरीब जनता को भुगतना पड़ेगा। आप जानते हैं कि पंजाब में सिंचाई कर लगाने की व्यवस्था की गई थी लेकिन वहां की जनता के विरोध करने पर वहां के किसानों ने क्या मुसीबत गवर्नमेंट के सामने खड़ी कर दी यह सबको विदित है। बेहतर किसानों पर पर ज्यादा टैक्स लगाने के जो नहरी इलाके में किसानों पर बैटरमेंट लेवी की रेट्स बढ़ायी है यह उचित नहीं है। इसलिये शायद सरकार को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, यह तो माननीय मन्त्री जान सकते हैं।

इसी प्रकार यातायात पर जो टैक्स बढ़ाया है मेरे ख्याल से यह भी टैक्स उचित नहीं कहा जा सकता। इसके बजाय जो उद्योगपति पूंजीपति यह बताते हैं कि उनकी कम्पनियां घाटे में चलती हैं, उनके पास सरकारी रुपये का ब्याज देने को पैसा नहीं है उनको वापिस लेने का प्रयत्न करते तो इस बजट में इस प्रकार का टैक्स लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सरकार ने इस ओर प्रयत्न नहीं किया। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि जहां आप गरीबों का हित करने वाले अपने आपको मानते हैं, वह गलत है। आप तो हमेशा पूंजीपतियों को सहयोग देते रहे हैं। राजाओं और जागीरदारों को आपने सहयोग दिया है या जो माननीय मन्त्री-महोदयों को इनवाइट कर सकें, उनको किसी प्रकार का प्रलोभन आदि देकर राजी कर सकें उनको फायदा पहुंचाने की चेष्टा की जाती है। आखिर कारण क्या है कि ३ लाख ४४ हज़ार रुपया जो बिजली और पानी का लेना बाकी था उसको राइट ऑफ क्यों किया गया? पिछली दफा जब इसके बारे में प्रश्न पूछा था उस समय माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि हम वह देने वाले नहीं। लेकिन वह अब हमें कैसे देना पड़ता है। इसी प्रकार उद्योगों में जो पैसा हम लगा रहे हैं वह भी वापिस नहीं आ रहा है। इस प्रकार जो उद्योग वापिस पैसा नहीं देते उनको सरकार अपने हाथ में ले या उनसे वापिस पैसा वसूल करना चाहिये। दुःख की बात है कि जब सरकार को हम कुछ सुझाव देते हैं और उनके कार्यों की आलोचना करते हैं तो कहा यह जाता है कि विरोध में बैठने वालों का यही काम आलोचना करने का होता है और जो उनकी अकल की तारीफ करते हैं वह उनको अच्छी लगती है। लेकिन सच्ची बात कि पैसों का गबन, और कहीं पर नाजायज़ खर्चा हो जाता है। जब कि हम सरकार के ध्यान में लाते हैं तो क्या यह हम नाजायज़ काम करते हैं? जो उनकी चापलूसी भरी बातें करें वे उनको पसन्द आयेंगी। सच्ची बातें कहनी चाहिये और जहां पैसों का दुरुपयोग होता हो वह भी सरकार के ध्यान में लाया जाना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ अपना आसन ग्रहण करता हूं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : चेयरमैन महोदय, बजट का प्रश्न है और इसके लिये टाइम निर्धारित २० मिनट का बहुत ही कम है। इस पर जितना कहा जावे उतना ही थोड़ा है। तो मैं इस पर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बजट बनाना, बनाये हुए पर चलना और उसको अच्छे से अच्छे कामों में खर्च करना ये तीन पहेलियां इसकी हैं जो आसान नहीं हैं। मैंने मेरे मन्त्रित्व काल में और बाद में ४० वर्षों तक बजटों को बनते देखा है और इसका अनुभव भी रहा है। इस अनुभव से कह सकता हूं कि इस बजट को बनाने का सरकार का प्रयत्न

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

स्तुत्य है। पर इस पर ठीक तरह से चलने की भी आवश्यकता है।

इसमें होता क्या है पहले के कुछ महीनों में बहुत कम खर्च किया जाता है, सामान बहुत कम खरीदा जाता है पर आखीर के महीने दो महीनों में सारा खर्च करने की कोशिश करते हैं। इसमें दुरुपयोग होने का बहुत डर रहता है। अतः इस परिपाटी को समाप्त करना चाहिये।

पांच सात मदों पर जो खर्चा होता है उन पर खास ध्यान रखकर खर्चा करना है। जैसे एक है यातायात। इसमें सड़कों पर बड़े ध्यान से और होशियारी से खर्च करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त दूसरी मद है बांध बनाने की। इसमें खर्च हुए पैसे को मैं अच्छे से अच्छा और ऊंचे से ऊंचा इन्वेस्टमेंट समझता हूं। पर इसमें इतना जरूर है कि इसका निर्धारण बड़ा सोच समझ कर करना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि मेजवान आये हुए मेहमानों में से कुछ को तो बार-बार खाने को दे और अच्छा-अच्छा दें, अत्यन्त उम्दा से उम्दा प्रिय भोजन उनको दें और बाकी के आधों को यों का यों ही रख दें। मेजवान को सबका बराबर ध्यान रखना चाहिये। जैसे अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि पूर्व की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिये, पश्चिम की ओर का ही विचार नहीं करना चाहिये। तो, यहां उत्तर और पूर्व का तो सवाल है ही, पर दक्षिण की तरफ जैसे काफी रुपया खर्च होता है तो उसी तरह से थोड़ा उत्तर का भी ध्यान रखना चाहिये। फिर हरएक का फर्ज हो जाता है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सी के वास्ते भी निवेदन करने का कि वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।

मेरा निवेदन है कि जैसे पश्चिम में, एक दिन पंजाब सारे देश का ग्रेनरी समझा जाता था इस तरह से जो प्रयत्न हो रहे हैं जिससे एक दिन वह हिस्सा राजस्थान का ग्रेनरी हो जावेगा तो इस दिशा में उनके प्रयत्न स्तुत्य हैं। उधर पानी की वैसे भी कमी है, जब कि दक्षिण में भगवान ने काफी पानी दे रखा है और बरसात भी बहुत होती है। उधर पानी की अधिकता से दुष्काल पड़ने का भी बहुत कम अवसर आता है। उधर चम्बल आदि के बांध और बिजली लाने के जो प्रयत्न हो रहे हैं वे गौर करने लायक हैं।

मैंने इस बांध बनाने के विषय में कोई पन्द्रह रोज पहले एक नोट लिखकर राजस्व मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। मेरे समय में एक स्कीम पनपी थी। पर इन्टरस्टेट की कठिनाइयों के कारण वह वहीं रह गई। पर अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं रह गई राजस्थान बन जाने के बाद। तो जो स्कीम मैंने दी है उस पर राजस्व मन्त्री गौर करेंगे और अपनी राय भी देंगे। तो वह स्कीम यह थी कि टोडा रायसिंह के ऊपर जहां बीसलपुर और गोकर्णेश्वर का घाट है उनके बीच में बनास को बांधा जाये। उस समय इस स्कीम से आगे जो जमीन थी जिसमें पानी जाता वह टोंक की थी, पीछे वाला हिस्सा जो डूबता था वह अजमेर-मारवाड़ का था या मेवाड़ का था। इस वजह से यह सवाल उस समय यों ही रह गया था। तो इस स्कीम का उस समय

Page No 76

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

अनुशीलन भी किया गया था कि बनास को बान्धा जावे जैसे अमरपुरा की घाटी पर था। वह अब काम हाथ में लिया हुआ है, यह मैंने सुना है। उसी तरह से यह बनास का भी काम अत्यन्त आवश्यक है। मेरा प्रत्येक हिस्से को देखने के अतिरिक्त वहां के फोटोग्राफी के वास्ते भी थोड़ा अनुभव रहा है। सिवाय पानी जयपुर की ओर कैनाल के ज़रिये से आ सके तो ये सारे बन्ध जितने हैं टोरडी, धारेडा, चांदसेना और कीडावल इन सब बान्धो को भी यह बनास का बान्ध पानी सप्लाई करते हुए जयपुर तक आ सकता है। उससे ऊपर का जो ओवरफ्लो है वह इसके लिये अच्छी तरह धारणा की चीज थी और अक्षरशः आज भी मैं इसके पक्ष में हूँ। यह स्कीम मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को दी है। वे उस पर विचार कर रहे होंगे।

(३ म० प०)

एक तो वह और दूसरे बांडी नदी के हिसाब से देखा जाये तो यही बात नहीं है कि मैं केवल अपनी ही कान्स्टिट्युएन्सी के बारे में ही बोल रहा हूं और अगर मैं अपने ही क्षेत्र के लिए बोलूं तो इसमें दिक्कत भी क्या है? लेकिन इसके पड़ौस की जितनी तहसीलें हैं ये सारी तहसीलें ऐसी हैं कि जिनके अन्दर बरसाती पानी की भी कमी रहती है और पिलाई की भी कसर रहती है। अगर बनास और बांडी का विकास हो तो अच्छा रहे। मैं मेरे चालीस, पचास वर्ष की याददाश्त से कह सकता हूं और कई बार यह सवाल आता है कि कालका सागर से आसलपुर के बांध तक छः मील का फासला है। इस जगह कालकनहर नदी की चैनल में बहती है और पानी सैचुरेंट होता है वह पानी इर्रीगेशन के लिए ज्यादा फायदा कर सकता है उसी तरह से जैसे डॉक्टर गाडगिल की स्कीम थी कि सांभर के अन्दर सोडाएश-फैक्टरी के लिए योजना है और उसके लिए यहां से पानी भेजा जाए। तो इसको जो पांच फुट पाल ऊंची उठाने का प्रश्न है यह सरकार के विचाराधीन है। वहां यह भी योजना हो सकती है। मेरे निवेदन करने का मतलब यह था कि बनास को अगर बांध दिया जाये तो अच्छा रहे। इसके अलावा हम कभी कभी आवेश में भी आकर यह कह देते हैं कि जो कुछ हो रहा है और ज्यादा हिसाब से हो रहा है वह दक्षिणी हिस्से में ही हो रहा है। जो कुछ खर्च होता है उसका कुछ हिस्सा हमें भी तो मिलना चाहिए जो भूखे और प्यासे हैं। अगर बनास और बांडी का प्रश्न आ जायेगा और जो इस डिपार्टमेन्ट के मिनिस्टर महोदय हैं उनसे भी कहूंगा कि वे इसकी ओर ध्यान दें।

शिक्षा के बारे में मैं आपको बताऊं कि मेरी कॉन्सिटट्युएन्सी का हाल यह है कि जैसे पहाड़ पर पानी पड़ता है। इसी तरह पूरा व्यय हो रहा है शिक्षा के ऊपर। यह कहना तो बड़ा कठिन है कि यह सद्व्यय हो रहा है या अपव्यय हो रहा है। लेकिन व्यय तो जरूर हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इस चीज की अत्यन्त आवश्यक है कि सबको थोड़ा बहुत हिस्सा अवश्य मिले वैसे ही उन लोगों को थोड़ी सी मदद मिलनी चाहिए। (समय समाप्ति सूचक घंटी) मैं दो चार मिनिट और कहूंगा क्योंकि मैंने थोड़ा विस्तार से निवेदन कर दिया था। तो मैं इसके बारे में यह निवेदन करता था कि जैसे मेरी कॉन्सिटट्युन्सी में चार तहसीलें हैं इन चारों तहसीलों में फागी, दूदू और मौजमाबाद

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

आदि में हाईस्कूल का प्रबन्ध नहीं हो रहा है इनके लिए प्रार्थना है कि वहां पर शिक्षा का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए।

श्री सभापति : ये सब बातें तो कटौती के प्रस्ताव द्वारा आसानी से रख सकेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उस समय मैं निवेदन करूंगा इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उसी समय मैं अपने जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में भी निवेदन करूंगा कि किस तरह से वहां काम होना चाहिए और क्या क्या कुछ बढ़ाना है। इसके बारे में मैं तो वक्त वक्त पर निवेदन करता ही रहता हूं और करूंगा। इस समय तो सिर्फ यही कहने का सवाल है कि बजट के अन्दर जिस तरह रुपये का खर्च हुआ है, बाज़ वक्त यह बात जरूर है कि इसका जो बंटवारा किया गया है वह ज्यादातर विचार करने की बात भी है। कहीं तो बहुत जबरदस्त बरसात के फूलों की तरह पैसा दे दिया है और कहीं बहुत ही कम दिया है। तो इन सब बातों को गौर करके बजट के बनाने वालों को बड़ी दिक्कत रहती है। उनको कई क्रिटिसिज़्म का मुकाबला करना पड़ता है। यह चीज तो जो जुदा जुदा डिपार्टमेंट के मन्त्री महोदय हैं और नीचे का जो स्टाफ समुदाय है उसका काम है कि उसके ऊपर विवेचन करें और विचार करें। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं ज्यादा समय इस समय लेना मुनासिब नहीं समझता, इन सब बातों को गौर करके बजट के ऊपर कायम रहने की पूरी आवश्यकता है। दो वर्ष तो मुझे देखते हुए हो गए सदा यही रहता है कि उसके लिए फिर रकम लेने की जरूरत रहती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री बृजमोहनलाल शर्मा।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : आदरणीय सभापति महोदय, कल वित्त मंत्रीजी ने सदन के समक्ष जो बजट के आंकड़े पेश किये और सरकार की नीति के सम्बन्ध में जो उन्होंने भाषण के अन्दर दिग्दर्शन कराया उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार आपके द्वारा सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। श्रीमान्, यह आज कहने की मुझे आवश्यकता नहीं और सरकार वास्तव में धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने जिस तरीके से उद्योगों की नीति अपनाई है या आज लैंड रेवेन्यु की नीति को सरकार जिस दृढ़ता के साथ अपनाती हुई आगे बढ़ रही है, वह वास्तव में आज की परिस्थिति में और जिस परिस्थिति में राजस्थान गुजर रहा है, वास्तव में यह उनका सराहनीय कदम है। किन्तु इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी कुछ बातों की ओर आपके द्वारा मैं उनका ध्यान खींचना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जिसके लिए मैं राजस्थान सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ और वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण के अन्दर इस बात को बताया था कि अजमेर राज्य के लिए जो कि एक करोड़, ७५ लाख रुपया उसकी विकास योजनाओं के लिए भारत सरकार के द्वारा मंजूरी हुई थी उसके लिए राजस्थान सरकार ने इस बात का विश्वास दिलाया था कि जितना भी रुपया जो कुछ खर्च किया गया है वह उन योजनाओं के लिए खर्च किया जायेगा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस वर्ष इस बात का प्रयत्न

(श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा)

अवश्य किया गया कि जिस प्रकार से गत वर्ष में या और पहले के वर्षों में अजमेर एरिया के अन्दर क्योंकि बजट आया था और योजना आई थी इसलिए यह अच्छा होता कि जिस प्रकार से गत वर्ष में प्रॉविज़न किया गया, ऐसे ही उन चीजों को बेसिक रूप में रखा जाता तो हम इस बात पर काफी प्रकाश डाल सकते थे कि उनसे कहां तक प्रोग्रेस हुई है ? लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अजमेर एरिया के लिए नहीं बल्कि जो राजस्थान की सारी योजनायें हैं–विकास की और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष के लिए जो प्लान के लिए आवश्यक था वह यह था कि विगत से उसका ब्यौरा सदन के सामने रखते और वह चीज हमारे सामने आती और सदन के माननीय सदस्य उस पर रोशनी डाल सकते थे। लेकिन बजट को देखने से मालूम होगा कि दोनों के अन्दर सब्सट्रैक्ट दिया गया है और उन योजनाओं के लिए जो संक्षिप्त में दिया गया है जिससे हम कोई मेक आउट नहीं कर सकते कि क्या योजनायें हैं और कितना रुपया उन पर खर्च करना था। अगर आप देखेंगे बजट को, Details of the statement of allocation for the 3rd year in the second five year plan provided in the appendix for state works यह दिया था। अगर यह चीज़ अब भी विगत से देते तो सदन इस बात को मालूम करता और सदन के सदस्यों को इस बात का भान होता कि अपने अपने क्षेत्रों में जो चौथा वर्ष द्वितीय पंचवर्षीय योजना का चलने वाला है उसके अन्दर क्या हो रहा है ? तो मैं यद्यपि जल्दी में इसे देख सका हूं, provided for the other State works. लेकिन इसके फोर्थ ईयर में यह चीज़ नहीं है। इसके डिटेल्स आपके प्लान में नहीं आये हैं और खास करके किस किस मद में कितने रुपये खर्च किये गये यह इसमें नहीं मिलता, तो श्रीमान्, इसलिये मेरा कहना था कि ७ करोड़, ४५ लाख रुपये जो अजमेर एरिया के थे उनमें से कितने पैसे खर्च हुए और कितने नहीं हुए। लेकिन जो केपिटल ग्रान्ट और सिविल वर्क्स की लिस्ट है उसमें देखने से मालूम होता है कि जिसके लिये प्लान में पैसा था, वह नहीं रखा गया। कुछ आइटम्स की तरफ मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ : जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ब्यावर में नर्सेज़ होस्टल के लिये ५६–५७ में ६१,६०० रुपये थे extension for fourty one beds. और रैकरिंग एक्सपेन्सेज़ के लिये ५४,८०० और नोन रैकरिंग के लिये २ लाख, २७ हज़ार थे। इसी तरह से quarters for existing staff at Beawar and extension for fourty one beds. टी. बी. क्लिनिक के लिये १७ हज़ार रुपये रेकरिंग के और ७७ हज़ार रुपये नॉन रेकरिंग के लिये रखे गये थे, लेकिन इसमें नर्सेज़ होस्टल के लिये कोई रकम नहीं है जब कि ५८–५९ में रकम रखी जानी चाहिये थी। इसी तरह एक्सटेन्शन फोर फोर्टी वन बेड्स के लिये पौने चार लाख रखे जाने चाहिये थे वहां २५,००० रु० रखे गये हैं। इसी तरह क्वार्टर्स के लिये १ लाख, १० हज़ार रुपये रखने चाहिये थे वहां ७५,०,०० रुपये ही खर्च हुए हैं। बाकी रकम लैप्स हो जायगी। टी. बी. क्लिनिक के लिये कोई अमॉउन्ट नहीं रखी गई है। समझ में नहीं आता कि इतनी जरूरी चीज़ के लिये कुछ नहीं रखा गया जब कि इन्सीडेन्स ऑफ टी. बी, बढ़ता जा रहा है तब भी इसके लिये कोई प्रावधान क्यों नहीं रखा गया।

इसी तरह से शिक्षा के बारे में भी मुझे

(श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा)

कहना है। पोस्ट ग्रेज्युएट गवर्नमेन्ट कॉलेज में जो पहले ५ ग्रेज्युएट हैड्स थे उनमें से पहले हिन्दी के हैड को तोड़ा गया, फिर अंग्रेजी वाले को तोड़ा गया और अब सोशियोलोजी और कॉमर्स के लिये हैड ऑफ पोस्ट ग्रेज्युयेएट के लिये प्रोविज़न है बाकी के लिये नहीं है। इकोनोमिक्स का जो पोस्ट ग्रेज्युएट हैड है वह भी तोड़ दिया जायगा। मैं बताना चाहता हूँ कि ६॥ लाख रुपये इस कॉलेज के विस्तार के लिये हैं, समझ में नहीं आता कि ५० पर्सेन्ट रुपये खर्च नहीं हुए हैं। इससे फायदा नहीं होगा। राजस्थान सरकार को अजमेर के ७॥ करोड़ रुपये मिले हैं उनमें से ५० पर्सेन्ट रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। यह बात ठीक है कि प्लान में जितना रुपया दिया जाता है उसके अलावा आपको प्रति वर्ष रेकरिंग खर्चा और नोन रेकरिंग खर्चा करना पड़ता है और राजस्थान सरकार का उत्तरदायित्व बढ़ता है। लेकिन यदि आप अमाउन्ट खर्च नहीं करते हैं तो आपकी योग्यता साबित नहीं होगी, आपने जो अजमेर की जनता को आश्वासन दिया था वह पूरा नहीं होगा और आपने जो विश्वास दिलाया था...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): वित्त मंत्रीजी भी अजमेर के ही हैं।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा: वित्त मंत्रीजी भी हमारे हैं लेकिन अब राजस्थान के हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बात को देखें। वित्त मंत्रीजी से मैं गत वर्ष में भी कह चुका हूँ कि स्थिति ठीक नहीं है। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि प्लानिंग कमीशन ने भी सिफारिश की है और राजस्थान को अजमेर की वजह से पैसा ज्यादा मिला है। एक्साइज़, इन्कम टैक्स और दूसरे टैक्सेज़ में भी ज्यादा शेअर मिला है। इस सबमें सबसे ज्यादा दृष्टिकोण यह था कि क्योंकि अजमेर के लिये सारा खर्चा भारत सरकार को देना पड़ता था और भारत सरकार अजमेर राज्य को एज सच अब कुछ नहीं देती है इसलिये इसका शेअर राजस्थान को ज्यादा मिलना चाहिये। जिस प्रकार से वित्त मंत्रीजी ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर अजमेर स्टेट स्मर्ण पत्र दिया था उसको देखने से मालूम होगा कि जो आंकड़े दिये थे पहले उनके हैं इससे छोटे थे और आज उनको देखने से मालूम होगा कि पहले से ज्यादा पैसा मिलता है। आज अजमेर राजस्थान का अंग बन चुका है, आपकी लाइबेलिटी भी बढ़ जाती है इसलिये अपने कर्त्तव्य को निभाना चाहिये।

अभी राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ था उसमें उन्होंने विगत बार क्या उद्योग हमारे यहां बनाये जा रहे हैं इसका दिग्दर्शन कराया था। यद्यपि बजट स्पीच में इसका अभाव मालूम पड़ता है। राजस्थान इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त रहा है। एक रूप से इसका एकीकरण हुआ नहीं है इसलिये राजस्थान दूसरे प्रान्तों से बहुत पिछड़ा हुआ है। उद्योगों की हमारे यहां बड़ी आवश्यकता है और जिस ढंग से अपने यहां उद्योगों को पनपाने का दिग्दर्शन राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कराया है उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं एक बात की तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। जहां हम उद्योग बढ़ाने और उसका विकास करने की बात सोचते हैं वहां इस बात को भी अवश्य देखना है कि जो ह्यूमन एलिमेन्ट है,

(श्री व्रजमोहनलाल शर्मा)

जो लोग काम करने वाले हैं, मेरा मतलब श्रमिकों से है जो लोग मजदूर पेशा हैं उनकी तरफ़ भी हमारा ध्यान जाना चाहिये। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल महोदय के भाषण में और बजट स्पीच में शुरू से आखिर तक आप पढ़ जाइये एक शब्द भी नहीं मिलेगा जिसमें श्रम के लिये सरकार ने घोषणा की हो। आपने उद्योग की बात की, ठीक है, आप उदयपुर में एक मिल बना रहे हैं। खुशी की बात है वहां मिल बनाइये, वहां पर कॉटन ज्यादा मिलती है, पैदा होती है इसलिये आपको इसमें सफलता भी मिल सकती है। लेकिन राजस्थान में जो ८ मिलें है उनकी क्या स्थिति है, उनकी तरफ ध्यान दें तो अच्छा हो। जहां उद्योग डूब रहा है उसको हमें वापिस जीवित करना चाहिये। जब हमारे प्लान का मकसद यह होता है कि हम एफिशियेन्टली कितने उद्योग को हैन्डल कर सकते हैं, जब योजना बनाई जाती है तो उसमें यह बताना पड़ता है कि कितने आदमियों को नौकरी या रोजी मिलने वाली है। राजस्थान में भी १५ हजार या २० हजार मजदूर ऐसे हैं जो टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज़ में काम करते हैं। आप बेलेन्स शीट देखिये और इन मजदूरों की स्थिति को देखिये। आपको मालूम होगा कि उनकी स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। कोई दिन ऐसा नहीं है जब कि हमारे यहां यह नहीं कहा जाता हो कि वर्क लोड बढ़ाना चाहिये 'लेकिन रिटेन्चमेन्ट की पॉलिसी काम में लाते हैं। आप बैलेन्स शीट देखिये। एक कमेटी इसके लिये बैठाई गई थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ह्यूमन एलिमेन्ट को दूसरे राज्यों में जो तन्ख्वाह मजदूरों को मिलती है उसके मुकाबले में हमारे यहां काफी कम मिलती है। तन्ख्वाह और मंहगाई भत्ता दूसरों के मुकाबले में हमारे यहां काफी कम है। हमारे यहां ह्यूमन एलिमेन्ट की कीमत बहुत कम आंकी जाती है। दूसरी जगह इनकी कीमत बढ़ती जा रही हैं। मैं इस बारे में कुछ आंकड़े, सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसके बताना चाहता हूँ। उससे पता चलेगा कि यह बेकारी कितनी बढ़ती जा रही है। क्या कारण है जिसकी वजह से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं?

The table below show for the year 1952-53. It is on various items of expenditure. कॉटन के अन्दर जहां पहले ६१ पर्सेन्ट खर्च होता था, वहां बाद में ६८ पर्सेन्ट खर्च होने लगा। इसी तरह से कृष्ण मिल्स के अन्दर पहले ५५.५६ खर्च होता था, वहां ६२.४३ खर्च होने लगा। क्या कारण है कि उसका पर्सेन्टेज एकदम साढ़े सात पर्सेन्ट बढ़ गया? इसी तरह लक्ष्मी मिल्स के अन्दर देखेगें कि जहां कॉटन के अन्दर ४९.२ होता था वहां ५६.२ के करीब हुआ। इस तरह से यहां भी ६,७ पर्सेन्ट एक दम ज़्यादा खर्च होने लगा........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : This is in terms of quantity or total amount?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : टोटल एक्सपेन्डीचर। यह रिपोर्ट के ७८ वें पेज पर मिलेगा। टोटल उसमें मिलेगा कि कॉटन के अन्दर ३.५० हुआ, वह बाद में ३.५० हुआ। इसी तरह से कृष्ण मिल्स के अन्दर ४०.३६ हुआ, वह २३.९० बाद में हुआ। तीसरे में ३८.८५ पहले हुआ और बाद में ४७ लाख है। इसको देखने से मालूम होगा कि ६,७

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

पर्सेन्ट कॉटन में कहीं कमी हुई है, कहीं बढ़ गया है । इसी तरह स्टोर के अन्दर एक दम पर्सेन्टेज़ बढ़ गया है । आप इसी तरह से ऑफिस एक्सपेन्डीचर में देखेंगे कि ४८ हजार खर्च होता था कॉटन मिल्स के अन्दर, वहां ५७ हजार खर्चा हुआ, कृष्ण मिल्स के अन्दर ३५ हजार होता था, वहां ३७ हज़ार हुआ, लक्ष्मी मिल्स के अन्दर चार हजार होता था, वह चार हजार ही हुआ। लेकिन जनरल एक्सपेन्डीचर में बढ़ोतरी हुई है। मैं सदन का ज्यादा समय लेकर विगत वार नहीं बताना चाहता लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार हर एक के अन्दर हो रहा है। विजयनगर की जो मिल है, वह बन्द पड़ी हुई है और वहां के मजदूरों को तीन, चार लाख रुपया देना बाकी है। इसी तरह से किशनगढ़ के अन्दर जो मिल है, वह बन्द पड़ी हुई है। आवश्यकता आज इस बात की है कि यह देखा जाय कि ६ लाख का, ७ लाख का नुकसान क्यों दिखाया जा रहा है। क्या मिल मालिक इसलिए मिल चालू करते हैं कि वे मजदूरों को रोजी दें और खुद नुकसान उठाये या कोई दूसरी बात है, जिसकी वज़ह से इतना घाटा रहता है या इसलिए घाटा बताया जाता है कि जो नुकसान होता है वह व्यक्तिगत रूप से होता है। यह एक केस बनता है। इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट रेग्युलेटिंग एक्ट के अंदर १५,१६ दफाये दे रखी हैं कि इस प्रकार की स्थिति के अन्दर हमारी सरकार को चाहिए, और राज्य सरकार का कर्त्तव्य होता है कि वह भारत सरकार को इस बात के लिए लिखे, उसको सिफारिश इस बात की करे कि मिल्स इस प्रकार रोजाना नुकसान में चली जा रही हैं, तो क्या कारण है कि इस स्थिति को रोका नहीं जाय ? अगर इस घाटे को दिखाने के दूसरे कारण हैं तो वे स्पष्ट हो जायेंगे और सारी स्थिति साफ़ हो जायगी कि क्यों नुकसान हो रहा है। यह आपके सामने आ जायगा कि क्यों नुकसान हुआ है और किस तरह उसे ठीक किया जा सकता है।

घंटी).

इस तरह यह भी एक केस बनता है, और इस स्थिति के अन्दर मालूमात करें ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अजमेर राज्य के बजट में ३० लाख का प्रॉविजन था इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के लिए। इसमें से २३.६१ हजार इस बात के लिए थे कि मजदूरों के मकान बनाये जायेंगे। ब्यावर और विजयनगर में मकान बनने वाले थे। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बजट के इस पेज को देखने से मालूम होता है कि Industrial Housing Scheme for Vijaynagar and Byavar... उसके लिए कम अमाउन्ट रखा गया है। जो मकान आप बना रहे है, वैसे मजदूरों के लिए हर स्थान पर बना सकते हैं। मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता कि मकान क्यों नहीं बनाये जाय। दूसरी एक एक्ज़ाम्पल रखना चाहता हूं वह यह है कि इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के वास्ते एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी थी। उसको तीन वर्ष हो गये हैं, लेकिन अभी तक अमाउन्ट नहीं मिला है। वे कई दफ़ा यहां आ चुके हैं यहां १०, १० दिन तक पड़े रहे हैं लेकिन उनको अमाउन्ट नहीं मिला है। इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम इसलिए बनती है कि हम मजदूरों का जीवन ऊंचा उठाना चाहते हैं। उनको पैसा नहीं मिल

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

सकता है, जिसकी वज़ह से काम नहीं हो सकता है। उस अमाउन्ट को सेंक्शन होने के अन्दर और मकानों के बनने के अन्दर रुकावट डाली जाती है। वहां इस प्रकार से हुआ कि जब मकानों की रजिस्ट्री होने वाली थी, लेबर डिपार्टमेंट से हुक्म जाता है कि रजिस्ट्री रोक दो, इस जमीन की दूसरे काम के लिए आवश्यकता होगी। ढाई और तीन वर्ष के अन्दर बड़ी मुश्किल से सेंक्शन हुई थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो अमाउन्ट रखा गया था उस अमाउन्ट को क्यो नहीं खर्च करते हैं? यह वाजिब चीज़ है। अब फाइनेन्सियल इयर खत्म हो रहे हैं अगर आज आप दे तो कल से ही मजदूर शुरू कर देंगे। यह केवल ८० मकानों की योजना है आपको कुल ८५० मकान बनाने हैं। अगर नहीं बनाये तो अमाउन्ट लेप्स होगा और कोई फायदा नहीं होगा।

एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ढाई हज़ार मज़दूर थे,

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उनमें से २०० आदमियों को हटा दिया गया है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : सरकार से एक और बात कहना चाहता हूं कि अनाज के सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की है....

श्री सभापति : जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : जल्दी ही समाप्त कर देता हूँ। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार कार्यवाही करनी चाहिए थी, जिसकी आवश्यकता थी वह यह थी कि अनाज की जो समस्या है, उसको सुलझाने के लिए राजस्थान को अलग कर दिया जाय। अब राजस्थान के डिस्ट्रिक्टस के अन्दर रोक लगा दी है। उसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के अन्दर हर स्थान सेल्फ सफीशियेन्ट नहीं है। कोई डिस्ट्रिक्ट सेल्फ सफीशियेन्ट नहीं हैं कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं कुछ भी नहीं होता है। मैं नहीं समझता हूं कि क्या ऐसे गवर्नमेंट ऑर्डर्स थे। लेकिन फिर भी इसका नतीजा यह हुआ कि ३० रु० मन, ३२ रु० मन पर भाव जाने लगे थे जब रेस्ट्रिक्शन हो गया तो भाव नीचे आये है। मैं चाहता हूं कि भविष्य के लिए आप जो नीति बनायें, वह इस ख्याल से बनायें कि राजस्थान एक सेल्फ सफीशियेन्ट एरिया हो। स्थान स्थान पर आप बेरक्स न लगा दें। मैं राजस्थान सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूँ कि इस्टेबिलाइजेशन ऑफ प्राइसेज़ की ओर ध्यान देकर ऐसी स्थिति पैदा न कर दें कि बाजार के भाव कुछ हों और जो स्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, गोडाउन्स में जो डिपोजिट करना चाहते हैं, उससे यह स्थिति पैदा न हो जाय कि भावों में अन्तर हो। बाजार में २२ रु० मन के भाव चल रहे हो और आप १२ रु० मन, १३ रु० मन के भाव से खरीदना चाहते हैं। तो जितना अनाज है, वह ब्लैक में चला जायगा। यह चीज़ ठीक है कि इस नीति को व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए काम में लायें। दूसरे, श्रीमान् इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार करें व्यवहारिकता के मायने यह होते हैं कि इस बात को

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

ध्यान में रखें कि भाव किस तरह से चल रहे हैं। अगर इस प्रकार हम कार्य करें तो मैं मानता हूँ कि राजस्थान में अनाज की समस्या ठीक हो सकती है और हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो फिगर्स दिये गये हैं, वे ठीक भी हो सकते हैं लेकिन जो फिगर्स वित्त मंत्री महोदय ने बताये हैं, और जो राज्यपाल महोदय के भाषण में फिगर्स मिलते हैं, वे एग्ज़ॉरेटेड हैं, ठीक नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप नीति निर्धारित करें और स्टेबिलाइजेशन ऑफ प्राइजेज़ के लिए नीति निश्चित करें। इसके साथ ही जो स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए फिगर्स तैयार करने चाहिए और उस बात को ध्यान में रखते हुए आप भाव तय करें।

श्री सभापति : श्री रामनारायण।

श्री रामचन्द्र (डग) : सभापति महोदय...

श्री सभापति : श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा) : सभापति महोदय, कल सदन में माननीय वित्त मंत्रीजी ने आय व्ययक प्रस्तुत किया। आज कई माननीय सदस्यों ने उसके सम्बन्ध में अपने अपने दृष्टिकोण से अपने विचार व्यक्त किये। मैंने भी इस बजट के भाषण को आद्योपान्त अपने दृष्टिकोण से देख लिया। कई स्थलों को मैंने अपने दृष्टिकोण से देख लिया। क्योंकि मैं गांवों का रहने वाला हूं, इसलिए मैंने कई स्थलों पर ग्राम जीवन की झांकी देखी। लेकिन जब आद्योपान्त पढ़ने के बाद मैंने इस पर विचार किया तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रारम्भ में किसी के साथ प्रेम किया जाय, किसी का आलिंगन किया जाय और बाद में एक दम उसके साथ धोखा किया जाय ऐसा परिलक्षित होता है। जब मैंने इसको देखा तो मुझे महाभारत की कथा याद आ गई कि धृतराष्ट्र ने भीम की लोह मूर्ति को अपने पास बुलाया, उसका आलिंगन किया और उसको मरोड़ कर रख दिया। इसी प्रकार इसमें नजर आया कि प्रारम्भ में इसमें वित्त मंत्रीजी ने बताने की कोशिश की है कि हमारे यहां की अधिकांश आबादी गांवों में बसती है और परम्पराबद्ध मनोवृत्ति चली आ रही है जो उनके विकास में बाधक है। साथ ही उनके साधन सीमित हैं और रूढ़ियों में इस प्रकार फंसे हुए हैं कि जिनके कारण रूढ़ियों की बेडियां उतार के फेंक न दिया जाय तो उनका विकास नहीं होगा। ऐसा प्रथम पृष्ठ में वित्त मंत्रीजी ने बताने की कोशिश की है। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने संकेत किया है कि उनके अन्तःकरण की ज्योति जलाई जाय तो उनका विकास हो सकता है इसलिए उनको उचित मार्ग दिखाया जाय। इससे ऐसा मालूम होता है कि गत ११ साल में उचित मार्ग सरकार ने दिखाया नहीं है और अभी तक उनके अन्तःकरण की ज्योति दबी हुई हैं, उसे हमें जाग्रत करना है। सरकार ने प्रयत्न इस दिशा में नहीं किया है। आगे भी इसी तरह के स्थल हैं। आरम्भ में इस भाषण से संतोष होता है कि इसकी कुछ प्रशंसा की जाय पर आगे चल कर इसमें हमें कोई संतोष नहीं होता। आगे चल कर वित्त मन्त्री ने बताया है कि इनकी दशा का सुधार किया जाय और उसके लिये चार आधार बताये हैं—आर्थिक, घर, स्वास्थ्य और मनोरंजन। तो न तो आर्थिक सुधार किया गया है और न घरों, स्वास्थ्य

(श्री रामनारायण वर्मा)

और मनोरंजन के सम्बन्ध में सुधार किया गया है। इन चारों चीज़ों पर ध्यान दिया जाय तो किसानों का विकास हो सकता है—स्वर्वांगीण विकास हो सकता है।

आज कल जो खेती नहीं करते हैं वे समझते हैं, आंकड़े लगा देते हैं जैसे राज्य सरकार आंकड़े लगा देती है कि इतनी फसल होगी, इस तरह जो लोग खेती नहीं करते हैं, वे इस प्रकार से विचार कर लेते हैं कि उनके पास इतनी ज़मीन है, इस हिसाब से इतनी फसल हो जायगी और अनाज का फसल की उपज का आज के मंहगाई के समय में इतना अच्छा पैसा मिलता है तो इन किसानों के पास बहुत पैसा है। इस तरह के आंकड़े जो लोग खेती नहीं करते हैं वे लगा लेते हैं। पर वास्तव में स्थिति इसके बिलकुल विपरीत हैं। आज किसानों में से केवल ५ प्रतिशत किसानों की हालत ठीक होगी, बाकी बहुत खराब हालत में है। वित्त मन्त्रीजी ने अपने भाषण में उनके साथ बहुत सहानुभूति प्रकट की है जो स्वाभाविक ही थी। पर आगे जाकर उन्होंने बताया कि ५८,-००,००० का टैक्स ४ मदों पर उन पर लगा रहे हैं। एक तो सिंचाई जिसका सीधा सम्बन्ध किसानों से है, उधार कर, यह किसानों को देना होगा, आबकारी करके ८ लाख रुपये इसमें से भी अधिकांश किसानों, गरीबों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को देना पड़ेगा और चौथा मोटरों पर ३० लाख रुपया का अतिरिक्त कर। यह भी गरीबों और गांव वालों को देना होगा। इस तरह सरकार ने ५८ लाख का टैक्स लगाया है, उस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गांव वालों और गरीबों पर असर पड़ेगा। जहां एक ओर किसानों के साथ इस बजट भाषण में सहानुभूति बता कर ये टैक्स लगाये हैं इनसे तो किसानों की कमर तोड़ दी गई है। इससे हमें मालूम होता है कि काश्तकारों के साथ में वास्तव में ज्यादती की गई है।

अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि किसानों की प्रगति हो, उनमें जागृति हो, उनका विकास हो तो उनकी पैदावार में वृद्धि होने से यह सब कुछ हो सकता है। पैदावार में वृद्धि कुदरत की देन से हो सकती है, सरकार की देन से हो, ऐसी बात नहीं है पर जो सरकार इसका भी श्रेय अपने आप पर लेती है। किसानों की अच्छी हालत हो, इसके लिये यह प्रयास करना चाहिये कि उसको समय पर अच्छा बीज दिया जाय, अच्छी खाद उन्हें उपलब्ध करा सकें और कटाव का प्रबन्ध किया जाय। यह सब काम सरकार नहीं कर सकी है। कोटा ज़िले में रियासत के जमाने में बांध बने हुए हैं, कोटा दरबार ने बंधाये थे कि जमीन का कटाव बन्द हो पर वे आज टूटे पड़े हैं। सिंचाई के छोटे साधन हैं उनका भी सरकार वास्तव में प्रबन्ध नहीं कर सकी है।

किसानों के गल्ले को बेचने के लिये अच्छी मण्डियों की व्यवस्था नहीं है। काश्तकारों के लिये गांव में मण्डियां चल रही है पर उनसे व्यापारी लोग ही मुनाफा उठाते हैं, किसानों को उनसे कोई फायदा नहीं होता। व्यापारी लोग तोल में गड़बड़ कर देते है इससे किसानों को नुकसान होता है। काश्तकार अगर शिकायत भी करना चाहें तो किसको करें क्योंकि मण्डियों को कन्ट्रोल करने वाली कोई कमेटी नहीं है जो उन पर

(श्री रामनारायण वर्मा)

कन्ट्रोल कर सके और शिकायत को दूर करे। आज हम देखते हैं कि काश्तकारों के पास फसल आती है तो उसके भाव गिर जाते हैं और जब काश्तकार के पास फसल नहीं रहती या जब उसको आवश्यकता होती है तो भाव बढ़ जाते हैं। इससे व्यापारियों को फायदा पहुंचता है।

हर मण्डी तक गल्ला हर मौसिम में किसान ले जा सकें, इसके लिये मार्गों की व्यवस्था नहीं है। नये बजट में जो इसके लिये धनराशि रखी गई है उसके लिये मैं निर्माण मन्त्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मण्डियों तक रास्तों की व्यवस्था करें। इस प्रकार किसानों का विकास हो सकता है आर्थिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी।

सामाजिक दृष्टि से भी इसमें कुछ संकेत मिलता है। गांवों में हरिजन रहते हैं। हरिजनों के उत्थान के लिये बोर्ड के निर्माण की ओर संकेत किया है। पर हरिजनों के उत्थान के लिये प्रारम्भ में गांधीजी ने कदम उठाया था उसको सरकार छोड़ बैठी है। गांधीजी द्वारा उठाये गये कदमों की सरकार आवश्यकता नहीं महसूस करती मानो सरकार यह समझती हो कि हरिजनों का उत्थान हो चुका है। वास्तव में देखा जाय तो हरिजनों का अभी उत्थान नहीं हुआ है। न आर्थिक उत्थान हुआ है और न सामाजिक उत्थान ही हुआ है। यहां सदन में एक माननीय सदस्य ने संकल्प रखा था और उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि जो हजारों रुपया हरिजनों के उत्थान के लिये हरिजनों के उत्थान की दिशा में लगता है वह दूसरे लोगों की जेबों में चला जाता है—हरिजनों को उस पैसे से कोई फायदा नहीं पहुँचता।

इसके साथ ही इस बजट में एक बड़ी अजीब बात रखी है जिसके बारे में सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे वित्त मंत्रीजी ने बताया कि २५ हजार रुपया शराब बन्दी के लिये समाज कल्याण विभाग को दिया गया है, यह हमारे सर्वोदयवादी वित्त मन्त्रीजी के विचारों के विपरीत है। गांधीजी ने बहुत पहले इस प्रकार के विचार रखे थे, शराब बन्दी आन्दोलन भी चलाया था पर आज ११ वर्ष बाद भी हमारी सरकार शराब बन्द करने में समर्थ नहीं है—२५ हजार रुपया इसके लिये रखा है। सरकार शराब को बन्द क्यों नहीं कर देती, शराब पर रोक क्यों नहीं लगा देती? जिस प्रकार अफीम पर रोक लगा रही है। यह सराहनीय कदम है, इसी तरह शराब को भी बन्द कर देना चाहिये। कम से कम वित्त मंत्रीजी से तो यह जो सुझाव मिला है वह उचित नहीं है।

अल्प बचत योजना के लिये इसमें बताया गया। वास्तव में अल्प बचत योजना में जिसके पास कम है उसको भी देना पड़ता है, गरीब से गरीब किसान भी इसमें कम से कम ५ रुपया देते हैं, पर उन ५ रुपयों को जो वापिस लेने का तरीका है वह बड़ा मुश्किल है। गांव के किसी आदमी को ५) रुपया वापिस लेना है तो तीस-चालीस मील चल कर गांव से बाहर पहुँचता है और इस तरह आने-जाने में ही पांच से कहीं ज्यादा रुपये खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार इसकी वसूली की गवर्नमेन्ट की व्यवस्था ठीक नहीं है।

Page No 86

(श्री रामनारायण वर्मा)

गांवों में चिकित्सा के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि जो डॉक्टर गांवों में जावेगा उसको ७५ रुपया अलाउन्स। मिलेगा। अन्य जगहों पर चिकित्सालय खोलने के बारे में भी संकेत मिला। मैं निवेदन करूंगा कि चिकित्सा की दृष्टि से गांवों में अन्धेरा ही है। किसी तहसील में भी पूरे चिकित्सालय नहीं है। जब लम्बी बारिस चलती है तो मामूली लोगों के लिये चिकित्सालय तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। अस्पतालों का हाल यह हो रहा है कि डॉक्टर अस्पताल को अपनी निजी दूकान समझता है। सरकारी दवाइयां और इन्जेक्शन लगाने के पैसे लिये जाते हैं।

शिक्षा की भी यही दुर्दशा हैं। कहीं स्कूल खोले गये तो अध्यापक नहीं है, अध्यापक है तो मकान नहीं है, मकान है तो व्यवस्था नहीं है, साधन नहीं है, बारिश में टपकते हैं। जब कि गांवों से सारे टैक्स वसूल किये जा रहे हैं। स्कूल खोलना होता है तो कहते हैं कि आधी रकम मकान के लिए दो। तो इससे गांवों में परस्पर पार्टीबाजी होती है और रकम वसूल नहीं हो पाती। रकम वसूल नहीं होती है तो स्कूल नहीं खुलता।

जब सीलिंग लगाने के विषय में विचार किया जाता है तो वास्तव में यह देखा गया है कि २,४००) रु० वार्षिक की आमदनी का जो बेसिस माना है वह बहुत ही कम है। जब हम अन्य लोगों की तुलना करते हैं तो काश्तकार की २,४०० रु० की आय रखी है वह बहुत ही कम है। वे दो सौ रुपये मासिक की आय में अपने लड़कों को पढ़ा नहीं सकते। वह भी चाहता है कि मेरा लड़का डॉक्टर बने, इन्जीनियर बने, पढ़ लिख कर अच्छी जगह जावे लेकिन दो सौ रुपये मासिक की इनकम में वह योग्य नहीं बन सकता। इसलिए इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि सरकार इन पर विचार करेगी। काश्तकारों के लिये बड़े २ विचार व्यक्त किये जाते हैं लेकिन फिर भी सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है, इसलिए मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय उन पर विचार करेंगे।

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय के भाषण को सुनने और उसको पढ़ने से जो मेरे मन में उसकी प्रतिक्रियायें हुई हैं उनको मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं। कई माननीय सदस्यों ने १२ लाख का यह सरप्लस बजट है इसको लेकर कई विचारधारायें और टीका टिप्पणियें प्रस्तुत की हैं और उन्होंने कहा है कि यह बजट बढ़ोत्तरी का न होकर घटोत्तरी का है। इन आंकड़ों में न पड़ कर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य का जो आयन्दा बजट बनाया जाय वह राज्य के साधनों को दृष्टि में रख कर ही बनाया जाय, क्योंकि भारत सरकार उनको आयन्दा मदद देने वाली नहीं है। इसको दृष्टि में रख कर अन्य राज्य सरकारों ने भी बेलेन्स्ड बजट प्रस्तुत किये हैं और इसी तरह से हमारी राज्य सरकार ने भी एक बेलेन्स्ड बजट प्रस्तुत किया है।

दूसरी प्रतिक्रिया जो मेरे दिमाग में हुई

(श्री सोहनलाल भटनागर)

वह यह हुई कि सारे तथ्यों को दृष्टिगत करके यदि यह कहा जाय कि यह विकास का बजट है तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगा। ३,६१४ लाख का रेवेन्यु अकॉउन्ट और २,५३२ लाख का केपीटल कुल मिल कर ६,४४६ लाख का प्रावधान रखा है। उसमें से ४,३०६ लाख रुपया विकास के कार्यों के लिए रखा है। यदि खास खास मदों पर दृष्टि डालें तो मालूम होगा कि गत वर्ष से काफी बढ़ोत्तरी ही हुई है। ८, करोड़, ४५ लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने की व्यवस्था की गई है जब कि गत वर्ष शिक्षा पर ६ करोड़, ५५ लाख था। शिक्षा की मद में सबसे बड़ी चीज़ मेरे खयाल से जो सदन में आयी है वह यह है कि कई अध्यापकों को मैट्रिक होते हुए भी गत पांच दस वर्षों से उनको ग्रेड नहीं मिला है और ४०. १. ६० में ही ये उनको राजस्थान सरकार ने जो वृद्धि दी और उन छोटे अध्यापकों के प्रति जो विचार व्यक्त किये हैं वे प्रशंसनीय है। इसके साथ ही साथ २५० से कम आय वाले माता पिताओं के विद्यार्थी प्रथम आते हैं उनको उनके सीमित साधन होने के कारण अपनी शिक्षा बन्द कर देनी पड़ती है, स्कोलरशिप देने की व्यवस्था की गई है वह भी काफी प्रशंसनीय है। १,६०० प्राथमिक शालायें और मिडिल स्कूल खोलने के लिए भी व्यवस्था की है जो काफी सराहनीय है। इसी तरह से मेडीकल और पब्लिक हेल्थ में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है। इर्रिगेशन पर यदि हम दृष्टि डाले, जिस पर कि हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है, तो मालूम होगा कि उसमें पहले से अधिक बढ़ोत्तरी की गई है। गत वर्ष इसमें ३½ करोड़ का खर्चा करना था, जब कि इस वर्ष १२½ करोड़ के खर्च का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह से सड़कों के लिए भी बढ़ोत्तरी ही हुई है।

इसके बाद सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने . नाज की समस्या के बारे में सबसे पहले प्रकाश डाला है उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। इसमें कई कारण हैं जिस पर राज्यपाल महोदय ने भी प्रकाश डाला था अपने भाषण में लेकिन उस भाषण के पश्चात् नई चीज़ जो सामने आई है वह यह है, सदन में भी कई बार विचार व्यक्त हुए हैं, खाद्यान्न की दृष्टि से सरप्लस होते हुए भी बॉम्बे और मध्य प्रदेश के जॉन में मिल जाने के कारण अर्टिफिशियल कमी हो गई थी। इस मौके पर मैं राज्य सरकार की प्रशंसा किये बगैर और धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता कि इन कारणों से अब राजस्थान का अलग जॉन होगया है।

(राज्य पक्ष की ओर परस्पर वार्तालाप होने पर)

(घंटी)

राजस्थान में अनाज की स्थिति में सुधार कब होने वाला है और रबी की भी फसल आनेवाली है, उससे भी राहत मिलनेवाली है। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही कई मदों में भी बढ़ोत्तरी बतायी है उसको सोचने की आवश्यकता प्रतीत होती है। १ करोड़, ७७ लाख, ५८ हजार के रेवेन्यु की व्यवस्था पहले के बजट में की गई थी और रिवाइज्ड होकर भी १, करोड़,६७ लाख के करीब था, इस तरह से बढ़ाई गई है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में २ करोड़,२६ लाख की व्यवस्था थी और रिवाइज्ड एस्टीमेटेस के साथ २, करोड़, ३८ लाख का खर्चा होगा।

(श्री सोहनलाल भटनागर)

पुलिस इत्यादि की भी मद में बढ़ोत्तरी है। होसकता है यदि सरकार इस बारे में अधिक सजग होती तो खर्चे में कमी हो सकती थी। क्योंकि माननीय सभापति महोदय, बजट के बारे में सोचा जाय उसके पहले राज्य के साधन क्या हो सकते है, खर्चे के करने के बारे में जो व्यवस्था हो सकती है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष राज्य सरकार ने प्रोबेबल इकॉनोमी की तरफ संकेत किया था, जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने भी माना है, उसमें राज्य सरकार की असफलता रही है। इसलिए एक तरफ टैक्स बढ़ाया जाय और साधनों को बढाने की कोशिश की जाय और फिर उनमें कमी नहीं की गई तो जो लोगों के दिलों में शासन के प्रति भावना है, प्रतिक्रिया है वह बढती ही है और रहेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सफलता न मिलने के कई कारण हैं। एक यह हो सकता है कि पहले की प्रवृत्तियों को दूर करने में दिक्कत आती है और सरकारी कर्मचारियों से राज्य सरकार को अधिक सहयोग नहीं मिलता। जो कमी की गई है वह कम हैं, दूसरा कमिश्नरीज़ को कम करने और जिलों को कम करने के बारे में सरकार ने कोई कदम नही उठाया है। ये ऐसे खर्चे हैं जिनमें कमी हो सकती है और राज्य सरकार के साधन बढ़ सकते हैं।

इसी तरह से माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि पुलिस मद में खर्चे की बढ़ोत्तरी हुई है वह भी मेरे खयाल से ठीक नहीं है। मौजूदा बजट में इसके लिए ४ करोड़, ३८ लाख की व्यवस्था की गई है जब कि पहले ४,०६ लाख ३८ हजार था। तो कम से कम २४ लाख रुपयों की वृद्धि की गई है। एक तरफ तो कहा जाता है कि लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति ठीक है। हम मानते हैं कि लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति ठीक है फिर भी समझ में नहीं आता है कि प्रति वर्ष पुलिस पर क्यो खर्चा बढ़ाया जा रहा है? प्रतिवर्ष के बजट प्रोविज़न्स को यदि हम देखे तो हमें पता चलेगा कि पुलिस पर प्रति वर्ष खर्चा बढ़ता ही चला जा रहा है। भारत सरकार का भी डिफेन्स का खर्चा बढ़ा है और बजट का ५० प्रति शत इस पर खर्च हो रहा है। फिर भी बजट को देकर संतोष होता है कि भारत सरकार ने २४ करोड़ की इस ओर कमी की है। हम भी यह आशा करते हैं कि पुलिस की मद में कम खर्चा करना चाहिये।

यह मांग ऐसी है कि कई थाने ऐसे हैं जहां कई महीनों तक कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं होता, चौकियां हैं जहां पर किसी प्रकार कोई कार्य नहीं है। वहां पर जो पुलिस की व्यवस्था है उसको यदि ठीक तरह से सोचा जाय तो खर्चे में काफ़ी कमी हो सकती है।

कई माननीय सदस्यों ने टैक्सेशन के बारे में भी कहा है। ५८ लाख रुपये के नये टैक्स लगाये गये हैं। यह राजस्थान की जनता पर बड़ा भार रहेगा यह जो कहा गया है इसके लिये निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे यहां इरींगेशन के जो चार्जेज़ हैं उनके रेशनेलाईजेशन को लेकर काफी चर्चा हुई थी। हमारे यहां जब रेशनेलाइजेशन नहीं हुआ था तो यह बहुत बड़ा अन्तर था पुराने रेट्स और नये रेट्स में

(श्री मोहनलाल भटनागर)

काफी भिन्नता थी। जहां आज गेहूँ का १० रुपया एकड़ है वहां पहले चार रुपया एकड़ था। लेकिन वह उस समय की रेट्स थी जिस समय अनाज का भाव काफी सस्ता था और सरकार को भी उस पर बहुत कम खर्च करना पड़ता था बनिस्बत अब के। अब काफी खर्चा करना पड़ रहा है मेरे खयाल से जो सरकार ने विभिन्नता को कम करने के लिये प्रयत्न किया है वह काफी प्रशंसनीय है। यह रकम मिलने में जो माननीय सदस्यों ने आशंका बतायी, मैं समझता हूँ उनकी यह आशंका निर्मूल है। आज किसान काफी खुशहाल हैं। जहां हम देखते हैं कि पुराने तालाबों से केवल एक नहर से सिंचाई होती थी वहां आज काफी नहरें बनी हैं। मेरे इलाके में जयसमन्द नहर थी। दो साल से वहां का काश्तकार भी रेट देने की नहीं सोच रहा था। लेकिन आज वह इस स्थिति में है कि पुरानी और नयी दोनों रेट्स वाटर रेट्स का एरियर्स तक दे रहे हैं। वे यह कह रहे हैं कि सरकार ने जो रेट्स लागू की हैं वे बिल्कुल ठीक हैं।

इसके अलावा मोटर के फ्रेट के बारे में काफी चर्चा की गई है। उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह टैक्स देने में कोई खुश नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक राजस्थान की रोड्स के विकास का सम्बन्ध है हमें राजस्थान के शासन संचालन के लिये पैसे की आवश्यकता रहती है अगर हम किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाते हैं तो जनता की जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर सकेंगे और राज्य का संचालन भी सुचारू रूप से नहीं कर पायेंगे। मैं निवेदन अब यह करना चाहूँगा कि टैक्सेज़ के जो सोर्सेज़ हैं वे प्रायः समाप्त हो चुके हैं। अब हमें उसके लिये नये साधनों को ढूंढना पड़ेगा और वे साधन ऐसे होने चाहिये जिनका भार जनता पर न पड़े। चारों तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रान्सपोर्ट काफी तरक्की कर रहा है। नये नये लोग ट्रक्स, बसेज़ चलाने के लिये नये रूट्स पर चलाने के लिये आते हैं यह इसलिये कि सब लोग सोचते हैं कि इसके अन्दर काफी फायदा रहता है। आज जो बसें चलाते हैं उनका कहना है कि दो तीन साल तक चलाने के बाद जो भी किश्तें होती हैं वे समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद वह बस बिल्कुल घर की हो जाती है तो ऐसी हालत में जो यह टैक्स लगाया गया है उसको बड़ा भारी नहीं कह सकते। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि सड़कों पर काफी खर्चा हो रहा है। जहां सड़कें कच्ची थीं, जहां १४ पाई पर माइल देना पड़ता था आज वहां आठ पाई प्रति मील देना पड़ रहा है। इस तरह से एक एक रूट पर चार से लेकर आठ आने तक की कमी हो गई है। सरकार द्वारा सड़कों में काफी सुधार हुआ है। इस सारे दृष्टिकोण से हमारे साधनों को देखते हुए, टैक्सेज़ के सोर्सेज़ को देखते हुए हमें यह मानना पड़ेगा कि यह इतनी जेनिथ पर पहुंच चुका है कि दूसरे नये साधन इसके बारे में देखने होंगे। इस बारे में कोई विशेष गड़बड़ी होने वाली नहीं है।

एक्साइज़ ड्यूटी और बैटरमेन्ट लेवी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई कर-भार ऐसा नहीं है जिसका असर जनता पर पड़ सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा कुछ ऐसी मदें हैं जिन पर खर्चे की कम व्यवस्था की गई है। इर्रिगेशन के

(श्री सोहनलाल भटनागर)

अन्दर काफी बढ़ोतरी की है। दस करोड़ रुपया राजस्थान केनाल के लिये रखा है। मैं यह मानता हूँ कि यह केनाल राजस्थान की काया पलट देगी, यह ठीक है। लेकिन वह दिन अभी बहुत दूर है। मैं समझता हूँ कि चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में वह केनाल समाप्त होने वाली है तब तक उस केनाल के लिये आशा लगाये बैठे रहना होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे इलाकों में जो पहाड़ी प्रदेश हैं उनके लिये भी कुछ साधन जुटाने की बहुत आवश्यकता है। और जो भी साधन उसके लिये वहां उपलब्ध हैं उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है। जबकि अन्य राज्यों में इस मद में रकम बढ़ा रहे हैं प्लानिंग डिपार्टमेन्ट अधिक रकम दे रहा है लेकिन हम अपने यहां के प्रत्येक वर्ष के बजट को देखते हैं तो इस मद के अन्दर काफी कम रकम देखने को मिलती है और कम खर्च किया जा रहा है इस माइनर इर्रिगेशन में। इस वर्ष इस मद के लिये पचास लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा इसके लिये २२ कार्य मन्जूर हो चुके हैं और प्रारम्भ भी हो गये हैं। मुझे इस बारे में काफी रुचि है, एक एक प्रोजेक्ट जाकर देखा है लेकिन यह कहते हुए दुःख होता है कि मन्जूरी हो जाने के बाद भी वहां पर एक एक वर्ष तक कार्य प्रारम्भ भी नहीं होता। गत वर्ष जो बजट के समय माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया, तो उस पर यह कहा गया कि सरकार इस बारे में कदम उठा रही है और उसके अनुसार चीफ इन्जीनियर इसके लिये अलग से मुकर्रर किया गया है। आज हमारे यहां तीन चीफ इन्जीनियर हैं सर्वे और इनवेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट अलग से मुकर्रर किया गया, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर अलग से मुकर्रर किया गया इतना होने के बावजूद भी नतीजा हम देखते हैं तो कोई खास खुशी नहीं होती। पहले से भी स्थिति आज बदत्तर है। इसलिये मैं सिंचाई मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे इस ओर अधिक ध्यान दें। माइनर इर्रिगेशन के जो कार्य हैं वे बहुत जल्दी समाप्त होते हैं और उनके रिटर्नस भी काफ़ी जल्दी आते हैं।

इसी तरह से इन्डस्ट्रीज़ के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हमें बताया था कि यहां राजस्थान में काफ़ी इन्डस्ट्रीज़ लग रही हैं लेकिन हम जब इस बजट को देखते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। इसके लिये ५५ लाख रुपये के खर्च का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान प्रदेश इन्डस्ट्रीज़ के बारे में काफी पिछड़ा हुआ है। इतना अर्सा हो गया पब्लिक सेक्टर द्वारा एक भी इन्डस्ट्री नहीं खोली गई है, प्राइवेट सेक्टर को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है इसलिये मैं केवल सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि केवल कर्जा दे देने से राजस्थान का औद्योगीकरण नहीं हो सकता इसके लिये स्टेट सेक्टर को काफ़ी काम करना होगा।

राजस्थान की डेट पोज़िशन के बारे में वित्त मन्त्री महोदय ने बताया कि हमारे यहां का डेट ७७ करोड़ हो गया है यह बड़ी चिन्ता का विषय है। हमारी सरकार पर इतना कर्जा हो जाय लेकिन इसके साथ साथ

(श्री सोहनलाल भटनागर)

अधिक दुःख इस बात का है कि प्लान्ड और इकोनोमी वे में हमारा काम नहीं होता। इसके सिवाय यह भी बात है कि बड़े बड़े प्लान्स है, वे बिना कर्जे के आगे बढ़ नहीं सकते। पुराना इतिहास मौजूद है। उसको दृष्टि में रखते हुए यदि भारत सरकार उन कर्जों को माफ कर दे तो ये जो कर्जे हैं बहुत बड़े हुए हैं वे समाप्त हो सकते हैं।

एक बात माननीय सभापति महोदय, कम तनख्वाह पाने वाले नौकरों की तनख्वाह बढ़ाने के बारे में कही गई। इसमें ५) महंगाई बढ़ाने से सरकार को कुल २॥ करोड़ के खर्चे की बढ़ोत्तरी हुई। यह बिल्कुल ठीक है कि समाजवादी समाज व्यवस्था में वेतन में अधिक अन्तर न हो। कम तनख्वाह वालों की तनख्वाह बढ़ाई जावे। लेकिन कम तनख्वाह पाने वालों की संख्या अधिक होने से और सरकार के पास साधन उतने न होने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। पर इसके साथ यह निवेदन करूंगा कि इनकी न बढ़ाई जावे इसकी बात नहीं, पर बड़े बड़े कर्मचारियों की जिनकी तनखा हज़ार, बारह सौ और दो हज़ार है उनकी प्रतिक्रिया नीचे वालों पर ठीक नहीं होती, अतः उनका वेतन कम किया जावे। जो कर्मचारी पहले सौ रुपये पाता था आज वही हजार, पन्द्रह सौ पाता है। इसके कारण भी प्रतिक्रिया होती है। इसमें ऑल एण्डिया सर्विस के कर्मचारी हो सकते हैं। पर फिर भी इतना अधिक अन्तर कर्मचारियों के वेतनों में नहीं होना चाहिये। अगर सरकार नीचे वालों की तनख्वाह बढ़ा सके तो ऊंचे वालों की भी इतनी न बढ़ावे जिससे उन लोगों के दिमागों में भी इसकी दूसरी प्रतिक्रिया हो।

श्री रामचन्द्र (डग) : सभापति महोदय, मैं इस बजट के लिये वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं, खास तौर पर इसलिये कि जब हम यह देख रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार ने तथा भारत के अन्य राज्यों ने अपने घाटे के बजट पेश किये हैं और उनके मुकाबले में हमारी बचत का बज़ट है। यद्यपि वह है बहुत थोड़ा तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा बज़ट बचत का है। इस प्रकार वित्त मन्त्री जी ने घाटे के बज़ट होने के कलंक से अपने को बचा लिया है, इसलिये भी धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने इस पर दिल और दिमाग को साफ़ करके विवेचना करने के लिये निवेदन किया है। मुझे खुशी हुई कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने हमको खुले आम अपने बज़ट पर सुझाव प्रकट करने का एक आदेश दिया है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा उनको यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने दिल दिमाग साफ़ करके विवेचन करने का आदेश दिया है, उसी तरह आप भी कृपा करके जो कुछ वास्तविक बातें मैं आपके सामने रखूं उन पर (आप भी) खुले दिल से और खुले दिमाग से सोचें कि वास्तव में जो किसी के सम्बंध में कह रहा हूं वह कहां तक उचित है।

आपने अपने बजट को कल्याणकारी राज बज़ट कहा है और यह कहा है कि हमारा लक्ष्य यह है कि राजस्थान को समाजवादी समाज रचना की ओर ले जाया जाय। सभापति महोदय, वास्तव में सच पूछा जावे तो यह बज़ट जो है वह पुराने ज़माने के राजाओं महाराजाओं का है। बज़ट के

(श्री रामचन्द्र)

भिन्न भिन्न आइटमों को देख लीजिये और विचार कर लीजिये कि आज यह सारा खर्चा एक वर्ग विशेष के लिये होने वाला है या समस्त राजस्थान की जनता के लिये ? राजस्थान की आबादी १।५० करोड़ है जिसमें पचास लाख जनता तो ऐसी है जो नंगी है, भूखी है, बिना घर बार के जमीन पर पड़े हैं; वे मालदार और पूंजीपतियों के सहारे यहां पर टिके हुए हैं और उनके मुंह की तरफ टकटकी बांध कर देख रहे हैं। आप इस सारे बजट के एक एक आइटम को देख लीजिये। इनमें कौनसा आइटम समस्त जनता के लिए फायदेमन्द हो सकता है। राजा महाराजाओं के जमाने में भी जितने आइटम रखे जाते थे उनका ज्यादातर का फायदा उन्ही को होता था या उनके गुमाश्ते या अहलकारों और जो लोग उनके मुंह लगे होते थे उनको होता था। इसमें भी यही हालत है।

पहला आइटम देखियें एग्रीकल्चर का। इसके लिये कहा गया है कि १.२६ लाख खर्च किया जावेगा। इसका फायदा कौन उठायेगा ? जिसके पास जमीन होगी। मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपकी पचास लाख जनता में से कितनी जनता ऐसी है जिनके पास भर पेट जमीन है। क्या आप नहीं जानते कि पचास लाख जनता में से अधिक लोग ऐसे हैं जिनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है ? तो जिसके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है, भला आप ही बताइये कि आपके इस १.२६ लाख का लाभ वे कैसे उठावेंगे ?

इसी तरह से मैं आपको एक एक आइटम लेकर बताता हूं। आप निश्चित रूप से यह मान जावेंगे कि जो कुछ खर्च हो रहा है वह सारा उन लोगों के काम आवेगा जिनके पास जमीन है, जिनके पास महल हैं, बड़े बड़े मकान हैं, और जो उद्योगपति हैं। राजस्थान के वे भूखे भूमिहीन किसान वे नंगे किसान जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है और जो हरिजन दलित वर्ग के और कुछ भी नाम रखिये नाम से पुकारे जाते हैं आज उनके पास न मकान है, न जमीन है, न उनका उद्योग-धन्धा इस वक्त चालू है और न सरकार इसकी परवाह करती है।

इर्रिगेशन के बारे में बताऊं। इसका फायदा किसको होगा ? जिसके पास जमीन होगीं। जब पचास लाख आदमियों के पास जमीन नहीं तो इसका फायदा फिर उन जमीन वालों के, मकानवालों के और पैसे वालों के और कौन उठावेगा ?

आप कहते हैं कि भाखरा में, चम्बल में और राजस्थान कैनाल में करोड़ों रुपया खर्च करके इर्रिगेशन की सुविधाएं दी जावेंगी। आप पहले यह बताइये कि इन क्षेत्रों में इन भूमिहीन किसानों के लिये जमीन प्राप्त कर के कौन से साधन और सुविधाएं आपने रखी हैं। आप अपनी नीति को पहले ऐलान करके बतला दीजिये कि इन क्षेत्रों में इन भूमिहीनों को बसाने के ये नियम हमने रखे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इन क्षेत्रों में और राजस्थान के समस्त भागो में जो सरकारी पड़त भूमि है। आप फौरन उसको इनमें बांट दीजिये और फिर आप बजट लाइये तो हम मानेंगे कि आपका बजट वास्तव में जन हितकारी और जन

(श्री रामचन्द्र)

कल्याणकारी है और आप समाजवादी समाज रचना करने वाले हैं ।

पर इसके लिये मैं एक भी बात नहीं देखता, आपके इस बजट में । आप रोड़ लीजिये, इन्डस्ट्री लीजिये । इनका फायदा कौन लेगा ? इनको नहीं मिलेगा । लघु उद्योगों का जिक्र आया था, राज्यपाल महोदय के भाषण में भी इसका जिक्र आया लेकिन इन उद्योगों में ऐसा कहीं भी नहीं है कि जिनमें दलित वर्ग के लोग काम करते हों ।

मैं पूछना चाहता हूँ कि उसमें और इसमें चर्म उद्योग के लिए राज्य सरकार ने कौन से पैसे दिये ? बांस की वस्तुएं बनाने के लिए सरकार ने कौन सा प्रावधान रखा है ? तो मैं तो यह चाहता हूं कि यदि आप यह चाहते हैं कि इन लोगों को उद्योगों में फायदा हो तो जो उद्योग यह लोग करते हैं उन्हीं उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात सरकार को सोचनी चाहिए । मैं तो यह चाहता हूं कि इन लोगों की वास्तव में मंशा यह है कि हमारे घरू उद्योग को पनपायें और उन्हीं को पनपाकर राजस्थान की सुखी जनता के रूप में रहें । जब आप इन लोगों के लिए कोई साधन नहीं जुटाते हैं तो इसके माने यह हैं कि वह शनैः शनैः इस उद्योग को छोड़ दें और जैसा इस समय हो रहा है, जगह जगह से यह आवाज आ रही है कि हम चर्म व्यवसाय को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं और मुर्दे मवेशियों को नहीं उठा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सरकार चर्म उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दे रही है । अगर सरकार इसको प्रोत्साहन देती तो वे लोग कभी भी इस काम को नहीं छोड़ते और कभी भी इस काम के करने के लिए अपना मुंह नहीं खोलते । मगर जब उन्होंने देखा कि हमारे उद्योग को राजस्थान सरकार कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही है तो फिर दलित वर्ग का काम करने से क्या फायदा । तो सभापति महोदय, यह मैंने सदन के सामने बजट का एक चित्र रखा है और मैं तो यह चाहता था कि इसके एक एक आइटम को आपके सामने खोलकर बतला देता कि इन इन मदों में गरीबों को क्या फायदा पहुँचने वाला है ।

क्योंकि समय थोड़ा है, इसलिए इस विषय पर और अधिक न कह कर मैं आपका ध्यान कुछ और विषयों के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं । क्योंकि शिक्षा से मेरा सम्बंध रहा है इसलिए शिक्षा के विषय में दो शब्द कह देना और कुछ सुझाव रख देना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं । राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में और माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में और बजट को देखने से भी मालूम होता है कि प्राइमरी एज्युकेशन के ऊपर काफी बल दिया जा रहा है । इसके लिए हम राज्य सरकार को बधाई देते हैं । लेकिन हमें यह देखना है कि प्राइमरी एज्यूकेशन जो कि शिक्षा की आधार-शिला है वह इस समय किस प्रगति पर जा रही है और उससे जनता क्या फायदा उठा रही है । आपने स्कूल तो खोल दिये, आप चाहें हजार स्कूल खोल लें, दो हजार खोल लें या पांच हजार खोल लें और मर्जी आये जितने खोल लें परन्तु उनकी देख-रेख और उनके प्रबंध के लिए अगर नहीं सोचेंगे तो वे बेकार हैं । सरकार उनके प्रबंध और देखरेख के लिए सोचती नहीं है । आज प्राइमरी स्कूलों की यह हालत है कि महीने २

(श्री रामचन्द्र)

तक अध्यापक नहीं पहुंचते हैं और यदि पहुँच भी गये तो घंटे, दो घंटे के लिए आते हैं और कह देते हैं कि जाइये आज तो छुट्टी है तुम्हारी। यहां तक कि बहुत से स्कूल तो ऐसे देखने में आये कि जहां बच्चों के बैठने के लिए दरी, फर्श और जाजम का भी इंतजाम नहीं है। यदि आप अपने प्राइमरी स्कूलों को प्रोत्साहन देते समय प्रबंध के मामले में कदम ठीक ढंग से नहीं उठायेंगे तो मैं तो कहूँगा कि आपकी जो प्राइमरी एज्यूकेशन से जनता को अधिक फायदा नहीं होने वाला है। हम चाहते हैं कि आपकी जो प्राइमरी स्कूल की पाठशालायें हैं वह अच्छी हों और जनता उससे फायदा उठाये। लेकिन इसके विपरीत हम यह देखते हैं कि उनका प्रबंध ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। दूसरी बात जो इन प्राइमरी एज्यूकेशन के क्षेत्र में लोअर स्टेज पर हम देखते हैं कि सरकार का लड़कियों की शिक्षा की तरफ इतना प्रोत्साहन नहीं है जितना लड़कों की शिक्षा की तरफ है। लड़कियों के लिए भी शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि लड़कों के लिए। इसलिए लड़कियों की शिक्षा की तरफ लड़कों के समान ही प्रयत्न करने चाहिए और वह यह है कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में जितनी रकम और जो इन्तज़ामात लड़कों के लिए रखते हैं उतने ही लड़कियों के लिए भी रखने चाहिएं। आज हम देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल्स खोल दी जाती हैं और वहां अध्यापिकायें पहुँच जाती हैं लेकिन उनके रहने के लिए कोई मकान आदि नहीं होते हैं और यहां तक होता है कि महीनों महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती है। पहली बात तो यह है कि स्त्री जाति कहां जाये बेचारी उसी पाठशाला में मुंह बाये खड़ी हो जाती है। अगर कभी कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता पहुँच गया या कोई और अधिकारी पहुँच गया तो वह उनसे जिक्र करती हैं, फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे लड़कों की प्राइमरी स्कूलों की देखभाल करने के लिए इन्स्पैक्टर्स मुकर्रर किये हैं इसी तरह से प्रत्येक जिले में भी लड़कियों की शिक्षा के लिए होने चाहिएं।

तीसरी बात हायर सेकेन्डरी एज्यूकेशन के बारे में सरकार कदम उठा रही है वह वास्तव में बहुत ही सराहनीय हैं और इस मामले में प्रसार भी काफी हुआ है। इस साल तो ८ नये हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जायेंगे। ठीक है, हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलना साधारण बात नहीं है, काफी खर्चा होता है लेकिन हम चाहते हैं कि जो काम हो वह कम्पलीट हो। ऐसा न हो कि काम तो हो जाये, स्कूल तो खोल दिये जायें और स्टाफ न पहूंचे, सामान न पहुंचे। एक साल तो स्कूल के ही जमने में खत्म हो जाये तो इस तरह का कार्य उचित नहीं है। मैं अपने खास झालावाड़ के स्कूलों की मिसाल देता हूं। हमारे यहां एक गर्ल्स हाई स्कूल है और दसवीं कक्षा तक की शिक्षा है वहां पर। वहां पिछले चार साल से काम चल रहा है। पिछली साल सब अध्यापिकाओं का इन्तजाम हो गया लेकिन, १ जुलाई से अब तक मैथेमेटिक्स और साइन्स की अध्यापिका अभी तक नहीं पहुंची। सभापति महोदय, मुझे अफसोस और बहुत ही ताज्जुब है कि दसवीं कक्षा की लड़कियों के लिए जब कि लड़की होने के नाते उनको एक एक मिनट बहुत भारी है तो वह अगर सारे विषयों में पास हो

(श्री रामचन्द्र)

जायें और मैथेमेटिक्स और साइन्स में पास न हों तो क्या राजस्थान बोर्ड इतना उदार होगा और यह बात ध्यान में रखते हुए कि झालावाड़ के स्कूल में चूंकि मैथेमेटिक्स और साइन्स की कोई अध्यापिका नहीं थी और जिसमें लड़कियों का कोई दोष नहीं है, उन लड़कियों को पास कर देगा ? ऐसा नहीं होगा। लड़कियों का साल भर व्यर्थ जायेगा और उनसे उनके माता-पिता जैसी आशा रखते थे वह निराशा में बदल जायेगी। तो प्रत्येक स्कूल में सामान और स्टाफ का यथा-योग्य प्रबन्ध होना चाहिये।

आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि मेडिकल, जन स्वास्थ्य के लिए इसके दो हिस्से बना रखे हैं एक तो मेडिकल और दूसरे हैल्थ। मेडिकल के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है वैसे हैल्थ के ऊपर भी होता है। लेकिन हैल्थ के एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम सरकार ने रखा है मैं तो उसको दोषपूर्ण मानता हूं। बड़े बड़े कस्बों और शहरों में हैल्थ का इन्तज़ाम सरकार ने म्युनि-सिपेलिटीज़ के हाथ में दे रखा है। तो किसी शहर या कस्बे में जन स्वास्थ्य का सारा हिसाब म्युनिसिपेलिटीज़ ही करेंगी ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर रखी है। आज म्युनि-सिपेलिटीज़ की हम हालत देखते हैं वह यह है कि ये संस्थायें दिवालिया हो गई हैं। इनके पास एक पैसा भी नहीं है। तो जिस संस्था के पास कोई धन न हो उसको ऐसे बड़े काम का इन्तज़ाम करने के लिए सौंप दिया जाये तो जनता उससे कहां तक फायदा उठा सकती है। इसके लिए मुझे आपको अधिक दूर की मिसाल देकर समझाने की जरूरत नहीं है। आप जयपुर शहर में जाइये। जयपुर बड़ा शहर है, राजधानी है जिसमें आपकी सी स्कीम जैसी आधुनिक बस्तियां हैं। आप जयपुर के मेन बाज़ारों को छोड़ दीजिये आप गलियों में घुसिये वहां इन्सान का घुसना मुश्किल होता है और कहा यह जाता है कि म्युनिसिपेलिटी का इन्तजाम ठीक नहीं है। जब म्युनिसिपेलिटी के पास पैसा नहीं है तो वह क्या इन्तज़ाम करेगी ? तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट उल्टा काम कर रही है। एक कहावत है कि 'Prevention is better than cure' क्योर करने के बजाय प्रिवेन्शन लेना अच्छा है। लेकिन हमारी सरकार कहती है कि 'Cure is better than Prevention' वह कहती है कि बीमारी हो जाने दो हम उसका इलाज करेंगे। जब कि कहावत यह है कि बीमारी को रोकने के लिए पहले उसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिये। सरकार वह प्रयत्न भी नहीं करती है और जब बीमारी हो जाये तो उसके इलाज करने के लिए लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए तैयार है।

अन्त में मैं इसके साथ साथ यह भी कहूँगा कि आपके यहां चिकित्सा की दो प्रणालियां हैं, एक है एलोपैथिक चिकित्सा की और दूसरी है आयुर्वेद की। अब आयुर्वेदिक चिकित्सा के बजट और एलोपैथिक चिकित्सा के बजट का मुकाबला करें तो ऐसा मालूम होता है कि यह हाथी और चींटी का मुकाबला है। एलोपैथिक का लाखों और करोड़ों रुपयों का बजट है और आयुर्वेदिक का इस साल का बजट केवल ८ लाख रुपयों का है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक औषधालयों से हमारे देश की ज्यादातर गरीब जनता की

(श्री रामचन्द्र)

चिकित्सा होती है और उनको इससे फायदा पहुंचता है उसके लिये तो आप बहुत कम पैसा खर्च करते हैं और बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अस्पताल खोल कर शहरों के व कस्बों के रहने वालों को फायदा पहुंचाते हैं। आपको चाहिये कि गरीब जनता जो गांवों में रहती है उनको अधिक सहायता और सहयोग पहुंचावें तब तो जन स्वास्थ्य के ऊपर अधिक पैसा खर्च करना उचित है वरना मैं यह कहूँगा कि जैसा हरिजनों के लिये कल्याणकारी बजट बनाया और ५० लाख आदमियों को वंचित किया उसी तरह से, यह कहूंगा कि मेडिकल पोइन्ट ऑफ व्यू से खाली शहरों और कस्बों में रहने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं बाकी गांवों की जनता को जो फायदा पहुंचा रहे हैं वह नाकाफी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ राय मैंने दी है वह बिलकुल ओपन हार्ट और ओपन माइन्ड से दी है। मैं चाहता हूं कि इस पर आप बहुत गम्भीरता से विचार करें और जो कुछ विचार मैंने रखें हैं वे वास्तव में कहां तक ठीक है इस पर विचार करें।

श्री कालूराम (मान्डल) : सभापति महोदय, हमारी तहसील में जो रुपया गरीबों को मिलना चाहिये वो गरीबों को न मिले। गरीबों को रुपया बराबर मिलना चाहिये।

श्री लक्ष्मणहीरात (गोगुन्डा) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने अब से ठीक २४ घंटे पहले जो भाषण यहां पर दिया था उस विषय में कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार यहां पर व्यक्त किये हैं। मैं भी, माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनने के बाद मेरे विचार में आया है, अपने एरिया के बारे में या अपनी तरफ से कभी कुछ बातें कहूँ।

एक तो सबसे पहले कृषि के बारे में बताया गया कि कृषि का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाय और इसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाय जिससे हमारे यहां जो अन्न की समस्या है वह सुलझ जाय। दूसरी तरफ वित्त मंत्रीजी ने थोड़ासा इशारा किया हैं कि इस पर थोड़ासा कर भी लगाया जायगा। यह जो कर लगनेवाला है उसका असर अधिकतर राजस्थान के किसानों पर पड़ेगा। यहां पर अधिकतर लोग किसान हैं, राजस्थान कृषि प्रधान प्रान्त है इस वजह से इसका वजन किसानों पर ही पड़ने वाला है। इस विषय में वित्त मंत्रीजी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिये था कि डाइरेक्ट किसानों पर भार न पड़े और इसके लिये दूसरे जरिये ढूंढने चाहिये थे। इसी तरह से माननीय वित्त मंत्रीजी ने निर्माण विभाग के बारे में भी कहा है कि इस साल ८०० मील लम्बी सड़कें बनाई जायेंगी। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा हाउस से निवेदन करूंगा कि हमारे उदयपुर जिले में जो आदिवासी एरिया है उसमें पहली योजना में, दूसरी पंच वर्षीय योजना में और अब तीसरी योजना भी शुरू होने वाली है लेकिन अब तक वहां पर सड़कें नहीं बनी हैं हालांकि कुछ सड़कें ऐसी हैं जो योजना में रखी गई हैं लेकिन उनका कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है इससे मैं क्या आशा लगाऊं कि इस ओर भी सरकार ध्यान देगी ?

इसी तरह इस इलाके में सिंचाई के लिये तालाब वगैरह बनाये जाने की जरूरत

(श्री लक्ष्मणहीरात)

है। यह पहाड़ी इलाका है इस तरफ भी मंत्रीजी ने इशारा किया है कि इस ओर ज्यादा से ज्यादा रकम खर्च की जायगी। साथ ही सिंचाई मंत्रीजी भी ध्यान देकर ज्यादा से ज्यादा रकम दिलाने की कृपा करें और इस इलाके को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें।

साथ ही मैंने बजट के आंकड़े देखे तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बजट शहरों को आगे बढ़ाता है और गांवों को पीछे रखता है। गांवों की स्थिति है वहीं रहेगी ऐसा बजट से मालूम होता है। शहरों में कई कॉलेजेज़ और मकानात बनाये जा रहे हैं जैसे जयपुर में बनी पार्क में कलेक्टर का दफ्तर बनाया जा रहा है लेकिन हमारे यहां कई तहसीलें ऐसी हैं जहां पर तहसीलदार के बैठने के लिये भी मकान नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार को इस इलाके को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा है कि हम अपने राज्य में हर व्यक्ति को समानता के स्तर पर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि आप शहरों को आगे बढ़ायेंगे और गांवों को वहीं रखेंगे तो यह समानता का बजट नहीं कहा जायगा।

आगे सभापति महोदय एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है—शिक्षा के विषय में। शिक्षा के बारे में इस साल के बजट भाषण में यह इशारा किया गया है कि लड़कियों के लिये कुछ स्कूलें खोली जायेंगी और प्रारम्भिक पाठशालाएं खोली जायेंगी जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने कहा है ८०० स्कूलें गांवों में नयी खोली जायेंगी और रकम भी इसके लिये ज्यादा रखी गई है तो मैं वित्त मंत्रीजी से आशा करूं कि वे एज्यूकेशन विभाग से कहें कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे इलाकों में स्कूलें खोली जावें जहां ऐसे गांव पड़े हैं जहां पर स्कूलें नहीं हैं। ८-१० गांवों के बीच में एक स्कूल खोली जाती है तो भी जनता सरकार को आशीर्वाद देगी और पिछड़े हुए लोग आगे बढ़ सकेंगे। शहरों की कॉलेजों और गांवों की स्कूलों की बराबरी तो नहीं है लेकिन कुछ तो आगे बढ़ सकेंगे।

इसी तरह सभापति महोदय, स्वास्थ्य के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। स्वास्थ्य के लिये इस साल पहले से ज्यादा रकम रखी गई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि गांवों में जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलाज की सुविधा पहुंचाई जा सके। मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर यह कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुँच सके।

उद्योग के बारे में माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह कहा है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि हमारे इलाके में जहां जंगल ही जंगल है वहां पर कोई लकड़ी का भी उद्योग खोलें जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने खनिज के बारे में इशारा किया है इसमें ज्यादा से ज्यादा तरक्की होगी, जावरा माइन्स जैसी खानें हमारे उदयपुर में हैं इससे जो कच्चा माल निकलता है वह बाहर जाकर तैयार होता है। इसके लिये यहां पर ही अगर कारखाने खोले जांय तो यहां पर ही पक्का माल बनने लगे

(श्री लक्ष्मणहीरात)

चिकित्सा होती है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके और बजट में भी तरक्की हो सके। इसी तरह, माननीय सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेकर एक बात खास तौर पर कह देना चाहता हूँ और वह यह है कि हमारे यहां जो शिड्यूल्ड एरिया है, उसको शिड्यूल्ड एरिया घोषित नहीं किया है। उसकी शीट्स रिजर्व कर दी हैं लेकिन उसे शिड्यूल्ड एरिया घोषित नहीं किया है। माननीय मंत्रीजी हमारे मंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं। उन्हें इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश करनी चाहिए कि वह एरिया शिड्यूल्ड एरिया हो जाय। कम से कम ६ लाख आदिवासी उदयपुर जिले में रहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार कोशिश करके उस एरिया को शिड्यूल्ड एरिया घोषित करवाये। जब कि १० वां साल चल रहा है, यह शिड्यूल्ड एरिया घोषित नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ हमारी सरकार इस ओर बिल्कुल मौन है। माननीय सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेकर केवल इतना कह देना चाहता हूं कि जो विकास खंडों के बारे में कहा गया है वह ठीक है लेकिन उदयपुर जिले में जो ६ तहसीलें आदिवासियों की हैं, उनमें एक भी विकास खंड नहीं खोला गया है। जैसा कि इस साल माननीय वित्त मंत्रीजी ने भी अपने भाषण में बताया है, राज्यपाल महोदय ने भी बताया है कि आठ विकास खंड खोलेंगे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस इलाके में जो ६ तहसीलें हैं, उनमें एक-आध विकास खंड खोलना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर माननीय वित्त मंत्री और हमारी सरकार विशेष ध्यान देगी।

श्री सभापति : No other member to speak ?

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् ४ बज कर ३२ मिनट पर बृहस्पतिवार, दिनांक ४ मार्च, १९५९ के मध्यान्ह पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई]

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, ३ मार्च, ५६)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम जाखल, जिला झुंझनू में चराई-दर

सीकर में ऊन फैक्ट्री

तहसील ब्यावर के ग्रामों की चरागाह भूमि

ग्राम मोरडा (टोडाभीम) में गलत नहरी रेट वसूल किया जाना

उद्योगों को ऋण

तहसील रूपनगढ़ ग्राम पींगलौद की गोचर भूमि में से जमीन का अलॉटमेन्ट

राजनैतिक पीड़ितों को सरकार द्वारा सहायता

महाराजा कॉलेज जयपुर में एम. एस. सी (प्रीवियस) में विद्यार्थियों के प्रवेश में अनियमितता विषयक

खादी उत्पादन एवं विक्रय के लिये सरकारी ऋण

रतनगढ़ सब-डिविज़न जिला चूरू में तहसीलवार खातेदार

नेशनल एक्सटेन्शन सर्विसेज़ एवं कम्यूनिटी डवेलपमेन्ट ब्लाक्स का खोला जाना

नवम्बर १६५८ की बरसात से

१६२१ राजस्थान के कुछ जिलों के किसानों को नुकसान

ग्राम लावा और लाम्बा हरिसिंह में सेकेन्ड्री स्कूल

जयपुर शहर में बोन फेक्ट्री

समाज कल्याण विभाग द्वारा बैकवर्ड और शिड्यूल्ड कास्ट के छात्रों को स्कॉलरशिप

एक्सटेन्शन ऑफिसर्स एवं इन्सपेक्टर्स (कोआपरेटिव) की ड्यूटी एवं हार्ड ड्यूटी अलॉउन्स सम्बंधी

श्री हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर

डिग्गी स्थित श्रीजी के मन्दिर के बोर्ड आफ ट्रस्ट द्वारा आक्शन

जोधपुर में महाजनी तौल एवं मैट्रिक सिस्टम सम्बन्धी गड़बड़

ग्राम पनियारवास तहसील श्री माधोपुर में सिवाय चक की भूमि के लगान की वसूली

नेशनल एक्सटेन्शन व कम्युनिटी डवेलपमेन्ट ब्लाक, नीमा

जयपुर शहर के निकट कृषि के हेतु भूमि का अलॉटमेन्ट Postponed.

फलौदी गोलरिया में नमक के प्लाटों का वितरण

जयपुर शहर में थड़ियों के हटाने का मसला

तहसील फलासिया में अवाप्त भूमि के लगान की वसूली

छोटे जागीरदारों के मुआवजे का तहसील हैड क्वार्टर्स से भुगतान

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के टी० ए० व डी० ए० की दरों में वृद्धि

गंगानगर जिले में गृह-निर्माण के लिये धन राशि

ग्राम पींगलोद के पटवारखाने में लोगों को रखा जाना

अनुपस्थिति के लिये अनुमति १६८०

श्री रामप्रसाद लड्ढा, सदस्य, विधान सभा, को १६–२–५६ से १०–३–५६ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

विधायी कार्य-पुरस्थापित किये गये विधेयक १६८०

निम्नांकित विधेयक सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये :—

(१) राजस्थान वित्त (कृषि आय कर) विधेयक, १६५६।

(२) राजस्थान वेट्स एण्ड मेजर्स (एनफोर्समेन्ट) संशोधन विधेयक,

१६५६ आयव्ययक, १६५६-६०

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद १६८१

आयव्ययक, १६५६–६०, पर आज सामान्य वाद-विवाद आरम्भ हुआ। निम्नांकित सदस्यों ने बहस में भाग लिया :—

(१) श्री दयाकृष्ण विजय
(२) श्री नारायणसिंह मसूदा
(३) श्री पी० के० चौधरी
(४) श्री बरकतुल्ला खां
(५) श्री लक्ष्मीचन्द
(६) श्री रामेश्वरदयाल
(७) श्री नाथूलाल करोल
(८) श्री गिरधारीलाल
(९) रावल श्री नरेन्द्रसिंह
(१०) श्री बृजमोहनलाल शर्मा
(११) श्री रामनारायण
(१२) श्री सोहनलाल भटनागर
(१३) श्री रामचन्द्र
(१४) श्री कालूराम
(१५) श्री लक्ष्मण हीरात

सदन की बैठक ४ बजकर ३२ मिनिट पर बुधवार, दिनांक ४ मार्च, १६५६ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

स्कम्भ

बुधवार दिनांक ४ मार्च, १६५६ की कार्य सूची

(१) स्थगन प्रस्ताव

(अ) सैपउ तहसील से धोलपुर में डाके पड़ने के सम्बन्ध में

स्कम्भ

(ब) नेशनल प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों को चार माह से वेतन न मिलने के सम्बन्ध में।

(२) आयव्ययक, १६५६,६० (अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर देखिये)

संख्या	नाम राजनैतिक पीड़ित	विवरण
१.	श्रीमती हीरा देवी बेवा श्री सागरमल गोपा, जैसलमेर।	२५ रुपये मासिक।
२.	श्रीमती जमना देवी पुत्र वधु श्री मीटालाल व्यास।	३० रुपये मासिक।
३.	श्री जैनारायण व्यास पौत्र श्री मीटालाल व्यास।	बालिग होने तक २० रुपये मासिक।
४.	श्री शिवदयाल दबे की माता श्रीमती गुलाब बाई।	२५ रुपये मासिक।
५.	श्रीमती कमला बाई पुत्री श्री शिवदयाल दबे।	२५ रुपये मासिक।
६.	श्री शिवदयाल दुबे की धर्मपत्नि श्रीमती नारायणी देवी।	२५ रुपये मासिक।
७,	श्री कैलाश बिहारी माथुर निवासी अलवर।	१०० मासिक अथवा उसके १२ वर्ष वाले सबसे बड़े लड़के के कमाने योग्य न होने तक अगर कैलाश बिहारी जब तक जीवित रहे तो उन्हें जीवन निर्वाह के लिये २५ रु. मासिक।
८.	श्री अम्बालाल पुत्र स्वर्गीय श्री सागरमल गोपा।	बालिग होने तक २० रुपये मासिक या प्रथम डिग्री परीक्षा पास होने पर जो भी पहले हो?
९.	बेवा श्री रमेश स्वामी निवासी भरतपुर।	३० रुपये मासिक।
१०.	श्रीमती घीसी बाई बेवा श्री प्रेमचन्द निवासी बेगू जिला चित्तोड़गढ़।	२० रुपये मासिक जीवन पर्यन्त या पुनः विवाह होने तक।
११.	श्री कान्तिचन्द पुरोहित, किशनगढ़।	२००० रुपये की एक मुश्त सहायता व ५० रुपये मासिक।

Page No 103

१	२	३
१२.	श्री हकीकत उल्लांखा निवासी जोधपुर।	३० रुपये मासिक।
१३.	कैपटिन मथुरा प्रसाद निवासी भरतपुर।	५० रुपये मासिक।
१४.	श्री ओंकारसिंह निवासी करौली।	४० रुपये मासिक।
१५.	श्री जेठाराम रांकावत, जोधपुर।	२० रुपये मासिक।
१६.	श्री हरि भाई किंकर निवासी सोजत, जिला पाली।	५० रुपये मासिक पेंशन।
१७.	श्री मूलचन्द असावा निवासी अजमेर।	५० रुपये मासिक।
१८.	श्री साधू सीतारामदास निवासी भीलवाड़ा।	५० रुपये मासिक।
१९.	श्री गुलाबचन्द चौधरी, जयपुर।	४० रुपये मासिक।
२०.	श्री सीताराम पुत्र श्री गोपालदास दर्जी निवासी जोधपुर।	५० रुपये मासिक।
२१.	श्री बुद्धीलाल गुप्ता निवासी डीग, जिला भरतपुर।	३० रुपये मासिक।
२२.	श्री गंगासहाय आर्य निवासी किशनगढ़।	२५ रुपये मासिक।
२३.	श्री मथुरानाथ वैद्य निवासी भीलवाड़ा।	४० रुपये मासिक।
२४.	श्री मांगीलाल त्रिवेदी निवासी चंडावल जिला पाली।	२५ रुपये मासिक।
२५.	श्री गोपाललाल कोटिया, कोटा।	५० रुपये मासिक तथा ५०० रुपये इलाज के लिये।
२६.	श्री कन्हैयालाल बोहरा, भीलवाड़ा।	५० रुपये मासिक।
२७.	श्री मथुरालाल भट्ट, भीलवाड़ा।	४० रुपये मासिक।
२८.	श्रीमती कृष्णा देवी स्त्री श्री हीरासिंह निवासी हिमाचल प्रदेश।	५० रुपये मासिक।
२९.	श्री बैजन्ती देवी बेवा श्री छतरसिंह निवासी जिला भरतपुर।	१० रुपये मासिक अलावा २० रुपये मासिक के जो कि देवस्थान विभाग से मिल रहा है। १० मासिक अलावा।

१	२	३
३०.	श्रीमती जानकी देवी बेवा श्री पंचमसिंह निवासी जिला भरतपुर।	२० रुपये मासिक के जो कि देवस्थान विभाग से मिल रहा है।
३१.	श्री कन्हैयालाल आजाद निवासी अजमेर।	३० रुपये मासिक।
३२.	श्री हरिशचन्द्र शास्त्री, जयपुर।	५,००० रुपये।
३३.	श्री शिवदयाल दवे की विधवा।	३,००० रुपये।
३४.	श्रीमती नारायणी देवी की पुत्री कमला देवी।	२,००० रुपये शादी के लिये।
३५.	श्रीमती जानकी देवी विधवा श्री विजयसिंह पथिक निवासी उदयपुर।	२,००० रुपये।
३६.	श्री हरदयाल जैन, किशनगढ़।	५०० रुपये,
३७.	श्री मदन मोहनलाल पोद्दार, भरतपुर।	५०० रुपये।
३८.	श्री रामचन्द्र माथुर, भरतपुर।	५०० रुपये।
३९.	श्री हरनाथ निवासी डिस्ट्रिक्ट गंगानगर।	१५ बीघा जमीन।
४०.	मा. सन्तसिंह वल्द हीरासिंह ,,	५० बीघा जमीन।
४१.	गजनसिंह वल्द भिंडासिंह ,,	२५ बीघा जमीन।
४२.	श्री मन्नाराम वल्द चुन्नीलाल ,,	२१।। बीघा जमीन।
४३.	श्री सरजाराम वल्द लछमनराम कुम्हार गंगानगर।	३७।। बीघा जमीन।
४४.	श्री मु. मूला बाई बेवा बीरबल ,,	२५ बीघा जमीन।
४५.	श्री शिवकरणसिंह वल्द चैनसिंह ,,	५० बीघा जमीन।
४६.	श्री बालूचन्द शिवकरण ,,	२५ बीघा जमीन।
४७.	श्रीमती केवल कंवर बेवा श्री अभयमल जैन, जोधपुर।	बोनस व ब्याज के २१८ रु०. ४ आने जप्त किये हुये वापिस लौटाये गये।

१	२	३
४८.	श्री हरचरणलाल, भरतपुर।	राजकीय सेवा में पुनः नियुक्ति।
४९.	धर्मपत्नि स्वर्गीय श्री हरिश्चन्द्र शास्त्री, जयपुर।	५०० रुपये की स्वविवेक निधि द्वारा सहायता।
५०.	श्री सज्जनलाल डूंगरपुर।	सरकारी सेवा में नियुक्ति।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२ का उत्तर देखिए)

विधान सभा प्रश्न संख्या ११ आर० एम० श्री किशनाराम

न० शु०	नाम तेहसील	तादाद सख्या खातेदार
१	रतनगढ़	२२०६
२	सुजानगढ़	६२३५
३	डूगरगढ़	६११८

भाऊवाल

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर देखिये)

वर्ष १९५६ (अप्रेल एवं अक्टूबर)

क्रमांक	जिला	विकास खंड	तहसील का नाम	विकास खंड की श्रेणी
१.	चुरू	सरदारशहर	सरदारशहर	एन० ई० एस०
२.	गंगानागर	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	,,
३.	अलवर	तिजारा	तिजारा	,,
४.	भरतपुर	राजाखेड़ा	राजाखेड़ा	,,
५.	जयपुर	बांदीकुई	बसवा	,,
६.	झुंझुंनू	उदयपुरवाटी	उदयपुरवाटी पार्ट	,,
७.	सवाईमाधोपुर	गंगापुर	गंगापुर	,,
८.	अलवर	लछमणगढ़ (गोविन्दगढ़)	लछमणगढ़	सी० डी० ब्लाक
९.	टौंक	टौंक	टौंक	एम० ई० एस०
१०.	अजमेर	श्रीनगर	अजमेर	,,

१	२	३	४	५
११.	अजमेर	किशनगढ़ (सिलोरा)	किशनगढ़ (रुपनगर)	,,
१२.	बाड़मेर	शिय	शिव	,,
१३.	जालौर	सांचौर	सांचौर	,,
१४.	जोधपुर	ओसियां	ओसियां	,,
१५.	नागौर	लाडनू	लाडनू	,,
१६.	पाली	खारची	खारची	,,
१७.	सिरोही	आबू रोड	आबू	,,
१८.	बून्दी	हिन्डौली	बून्दी	,,
१९.	झालावाड़	खानपुर	खानपुर	,,
२०.	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	कुशलगढ़	सी० डी० ब्लाक
२१.	बांसवाड़ा	बागीडोरा	बागीडोरा	एन० ई० एस०
२२.	भीलवाड़ा	मांडलगढ़	मांडलगढ़	सी० डी० ब्लाक
२३.	चित्तौड़गढ	कपासन	कपासन	एम० ई० एस०

१	२	३	४	५
२४.	डूंगरपुर	आसपुर	आसपुर	,,
२५.	उदयपुर	खमनोर (नाथद्वारा)	नाथद्वारा पार्ट	,,
२६.	उदयपुर	दरियाबाद	लसाड़िया	,,

वर्ष १९५७ (अप्रेल एवं अक्टूबर)

१	२	३	४	५
१.	गंगानगर	सूरतगढ	सूरतगढ़	एन० ई० एस०
२.	गंगानगर	पद्मपुर	पद्मपुर	,,
३.	अलवर	मंडावर	मंडावर	,,
४.	अलवर	कोटकासिम	कोटकासिम सब तहसील पार्ट किशनगढ़बास	,,
५.	भरतपुर	नदबाई	नदबाई	,,
६.	भरतपुर	रूपवास	रूपवास	,,
७.	जयपुर	फागी	फागी	,,
८.	झुंझुनू	सूरजगढ़	चिड़ावा	,,
९.	झुंझुनू	नवलगढ़	उदयपुरवाटी	,,
१०.	सीकर	दांतारामगढ़	दांतारामगढ़ पार्ट	,,
११.	टौंक	टोडारायसिंह	टोडारायसिंह	,,
१२.	अजमेर	भिनाय	केकड़ी	,,

१	२	३	४	५
१३.	जोधपुर	भोपालगढ	बिलारा पार्ट	एन० ई० एस०
१४.	नागौर	कुचामन	माया	,,
१५.	,,	मकराना	पर्वतसर पार्ट	,,
१६.	पाली	सोजत	सोजत	,,
१७.	कोटा	अटरु	अटरु	सेकिन्ड स्टेज (पी० आई) वाईफरकेटड ब्लाक
१८.	कोटा	इटावा	इटावा	एन० ई० एस०
१९.	बांसवाड़ा	घाटोल	घाटोल पार्ट	,,
२०.	भीलवाड़ा	शाहपुरा	शाहपुरा	,,
२१.	,,	जहाजपुर	जहाजपुर	,,
२२.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	,,
२३.	,,	राशमी	राशमी	,,
२४.	डूंगरपुर	डूंगरपुर वेस्ट (बिच्छीवाड़ा)	डूंगरपुर पार्ट	पी० आई० बाईफरकेटड
२५.	उदयपुर	बड़ागांव (उदयपुर)	गिरवा एवं नाथद्वारा पार्ट	एन० ई० एस०
२६.	,,	रेलमगरा	रेलमगरा	पी० आई० बाईफरकेटड

वर्ष १९५७-५८ (अप्रैल एवं अक्टूबर)

१	२	३	४	५
१.	बीकानेर	कोलायत	मगरा कोलायत	प्री एक्सटेन्शन
२.	चुरू	राजगढ़	राजगढ़	फर्स्ट स्टेज
३.	,,	डूंगरगढ़	डूंगरगढ़	प्री एक्सटेन्शन
४.	अलवर	थानागाजी	थानागाजी	फर्स्ट स्टेज
५.	,,	बान्सुर	बान्सुर	,,
६.	भरतपुर	कुम्हेर	कुम्हेर सब तहसील भरतपुर	,,
७.	जयपुर	बैराठ	बैराठ	,,
८.	,,	सिकराय	सिकराय	प्री एक्सटेन्शन
९.	सवाईमाधोपुर	नादोती	नादोती	,,
१०.	सीकर	श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर पार्ट	फर्स्ट स्टेज
११.	बाड़मेर	पचभद्रा (बालोर)	पचभद्रा	प्री एक्सटेन्शन
१२.	जालोर	भिनामल	जशवन्तपुरा	,,

१	२	३	४	५
१३.	जोधपुर	जोधपुर (मन्डोर)	जोधपुर पार्ट	फर्स्ट स्टेज़
१४.	नागौर	डेगाना	डेगाना पार्ट	प्री एक्सटेन्शन
१५.	पाली	रामपुर	रामपुर	,,
१६.	सिरोही	सिरोही	सिरोही	,,
१७.	झालावाड़	मनोहरथाना	मनोहरथाना पार्ट अकलेरा	फर्स्ट स्टेज़
१८.	भीलवाड़ा	कोटड़ी	कोटड़ी	प्री एक्सटेन्शन
१९.	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	,,
२०.	उदयपुर	मावली	मावली	फर्स्ट स्टेज़

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२३ का उत्तर देखिये)

सूची नम्बर १ लावा व लाम्बा हरीसिंह स्कूलों की छात्र संख्या कक्षावार

नाम स्कूल	छात्र संख्या कक्षावार										
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	१९	योग
१ हायर सैकिन्डरी स्कूल लाम्बा हरीसिंह	.	.	.	.	.	२८	१७	१६	१६	१६	१२	१०५
२ हायर सैकिन्डरी स्कूल लावा	३७	३५	२१	१८	२३	२४	१६	१०	१८	.	.	१९२

सूची नं० २ ग्रेड वाइज़ अध्यापकों की

नाम स्कूल	ग्रेड वाइज़ अध्यापकों का विवरण										
	३००. ६००	२००. ४००	११०. २२५	६०.१४०	७०. ४।५।.	१००	६०. १३०	४०. ५०	७०. १४०	५०. ७५	५०. ८०	योग
१ हायर सैकिन्डरी स्कूल लाम्बा हरीसिंह	१	६	.	१	१	१	१	.	.	.	—	११
२ हायर सैकिन्डरी स्कूल लावा	१	२	२	.	१	२	२	२	३	२	—	१७

लावा स्कूल का योग १७ और लाम्बा हरीसिंह का योग ११ है।

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकि प्रश्न संख्या १७ का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् १९५६-५७ और १९५७-५८ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को जिलेवार दी गई छात्रवृत्ति की सूची

		१९५६-५७			१९५७-५८		
क्रमांक	जिले का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ी जाति
१.	जयपुर	३७,७९७ रु०	१५,०३२ रु०	४,९८८ रु०	३७,३७२ रु०	२१९५७ रु०	१५,४५३ रु०
२.	अलवर	३४,९०७ रु०	११,०९५ रु०	१,९५२ रु०	२२,४१२ रु०	१५,२३७ रु०	११,५९२ रु०
३.	सीकर	११,०५७ रु०	२,१७९ रु०	१,४६० रु०	९,७८९ रु०	३,९४३ रु०	५,६११ रु०
४.	झुंझुनू	११,६२५ रु०	१,६५२ रु०	४५० रु०	१०,०२८ रु०	२,४१४ रु०	७,६९६ रु०
५.	टौंक	७,९८८ रु०	१,४५६ रु०	५२८ रु०	५,८७४ रु०	१,४७४ रु०	२,३५५ रु०
६.	झालावाड़	२,४७० रु०	१,२९६ रु०	३९४ रु०	३,८३४ रु०	१,६०६ रु०	——
७.	भरतपुर	४४,६४३ रु०	९,०७९ रु०	१,७८९ रु०	१७,०७८ रु०	८,७९६ रु०	६,००० रु०
८.	बूंदी	४,१४९ रु०	१,०४९ रु०	१० रु०	३,९३४ रु०	९०२ रु०	

१	२	३	४	५	६	७	८
९.	सवाई माधोपुर	१०,५५२ रु०	१२,६५४ रु०	४११ रु०	८,३९० रु०	१८,४४२ रु०	—
१०.	कोटा	१०,६२८ रु०	२,३९५ रु०	३९८ रु०	११,४१४ रु०	२,१२० रु०	—
११.	अजमेर	१८,००० रु०	१२,६५५ रु०	४,९०८ रु०	१६,३४३ रु०	२,१९९ रु०	१०,८८४ रु०
१२.	बीकानेर	४,९८७ रु०	—	६१४ रु०	५,८४५ रु०	—	१,४७६ रु०
१३.	चूरू	४,४५० रु०	—	१,४५२ रु०	४,६७४ रु०	—	१,०८४ रु०
१४.	गंगानगर	१०,४९१ रु०	—	८५० रु०	८,५६१ रु०	—	२,२५३ रु०
१५.	जोधपुर	१२,४६५ रु०	३४ रु०	३,६४० रु०	१२,३८३ रु०	११० रु०	६,९१८ रु०
१६.	जोलौर	७७३ रु०	१७५ रु०	२९२ रु०	१,३३० रु०	२१६ रु०	१,४०२ रु०
१७.	जैसलमेर	५१ रु०	३ रु०	३९ रु०	६८ रु०	—	३८ रु०
१८.	नागौर	३,१६८ रु०	४० रु०	३८६ रु०	५,४६६ रु०	७४ रु०	३,६८२ रु०
१९.	बाड़मेर	३६५ रु०	—	७० रु०	२,८१४ रु०	३६ रु०	८२० रु०
२०.	सिरोही	१,८५४ रु०	२३१ रु०	११० रु०	६,१८६ रु०	८२० रु०	६५२ रु०
२१.	पाली	१०,२२४ रु०	६८० रु०	१,८३६ रु०	१०,०४२ रु०	७१८ रु०	३,९६८ रु०

१	२	३	४	५	६	७	८
२२.	उदयपुर	१०,०४७ रु०	८,८३८ रु०	३,५०६ रु०	१०,६७२ रु०	—	२३,७५९ रु०
२३.	बांसवाड़ा	१,१३० रु०	६,६३९ रु०	१,५६६ रु०	७२९ रु०	११,०३१ रु०	४,४४६ रु०
२४.	डूंगरपुर	१,४४१ रु०	१७,७२६ रु०	२,३०५ रु०	१,१९८ रु०	१९,७३३ रु०	५,७५८ रु०
२५.	चित्तौड़गढ़	४,७६० रु०	१,७१९ रु०	२,१०९ रु०	५,४०१ रु०	१,००४ रु०	५,४४९ रु०
२६.	भीलवाड़ा	३,४७२ रु०	४२८ रु०	१,०४९ रु०	४,४५० रु०	—	५,५१७ रु०

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर देखिये)

प्रश्न संख्या २८ सी० एम प्रसार अधिकारियों की मुख्य २ ड्यूटीज़

पंचायत प्रसार अधिकारी

(१) पंचायतों के संगठन में व उनके कार्य विशेषतया विकास सम्बन्धी कार्य क्रम को सुचारु रुप से चलाने में मदद करना व परामर्श देना, तथा उन्हें नये विचारों व प्रणाली से अवगत कराना।

(२) पंचायतों को विकास कार्य करने के लिए तत्पर करना।

(३) समय समय पर पंचायतों की बैठकों में भाग लेना।

(४) पंचायतों के चुनावो के लिए क्षेत्रों को निर्दिष्ट करना एवं चुनाव करवाना।

(५) निर्दिष्ट दिनों के लिए दौरा करना एवं रात में गांवों में ठहरना तथा ग्रामीणों की समस्याओं को हल करने हेतु उचित परामर्श देना।

(६) अपने क्षेत्र की पंचायतों के कार्य की प्रगति का समय २ पर निरीक्षण करना।

समाज शिक्षा अधिकारी

(१) सामुदायिक योजना एवं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसे कार्यक्रमों, जैसे कृषि सुधार ग्राम विकास, शिक्षा प्रसार एवं स्वास्थ्य सुधार इत्यादि की व्यवस्था करना जिसके कारण ग्रामीण लोग विकास के कार्यों में अधिक भाग लें।

(२) साक्षरता प्रसार के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

(३) साक्षरता प्रसार के अन्तर्गत किये गए कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए साक्षरता परीक्षा इत्यादि की व्यवस्था करना। चलित ग्रामीण पुस्तकालयों की व्यवस्था करना।

(४) ग्रामीण लोगों के लिए यूथ वेलफेअर के कार्यक्रमों की एवं ग्रामीण औरतों के हित के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

(५) सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे लोक नृत्य, लोक गीत, नाटक तथा चलचित्र, तथा कीर्तन, भजन एवं प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना।

(६) समाज शिक्षा सम्बन्धी कार्यों को चलाये रखने के लिए अवैतनिक संगठनों की व्यवस्था करना।

(७) समाज शिक्षा से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में ग्राम सेवकों के कार्यों का निरीक्षण करना।

(८) समाज शिक्षा के प्रसार हेतु भरसक प्रयत्न करना।

(९) निर्दिष्ट दिनों के लिए दौरा करना एवं रात में गांवों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा समाज शिक्षा का प्रसार करना।

कोआपोरेटिव प्रसार अधिकारी

(१) सहकारिता के आधार पर कार्य करने की भावना लोगों में फैलाना।

(२) सहकारी समितियों का संगठन एवं उनकी समय २ पर जांच करना।

(३) सहकारी समतियों द्वारा कृषि, एवं कुटीर उद्योग के लिए ऋण दिलवाना व उनकी वसूली करना।

(४) सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिनों के लिए अपने क्षेत्र में दौरा करना एवं रात में गांवों में ठहरकर ग्रामीणों में सहकारिता की भावना पैदा करना।

कृषि प्रसार अधिकारी

(१) सर्व प्रथम अपने क्षेत्र में कृषि उत्पादन के लिए उपलब्ध साधनों से परिचित होने के लिए निम्न प्रकार आंकडे एकत्रित करना :—

(क) सिंचाई योग्य भूमि

(ख) बन्जर भूमि

(ग) औसतन वर्षा

(घ) फसलों की किस्में

(ङ) कृषि के लिए प्रयोग किये जाने वाले औजार

(च) जलवायु

(२) ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को समझना और उन्हें ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु अपने क्षेत्र के लिए कार्यक्रम बनाना।

(३) कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित साधनों की व्यवस्था करना :—

(क) रसायनिक खाद्य का वितरण

(ख) आधुनिक कृषि औजारों का उपलब्ध करवाना

(ग) अच्छी किस्म के बीजों का वितरण

(घ) भूमि सुधार के तरीकों को अपना कर बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना।

(४) कृषि उत्पादन के आधुनिक तरीकों को क्रियात्मक रूप से ग्रामीण लोगों को समझाना व उन्हें अपनाने के लिए उनसे अनुरोध करना।

(५) कृषि उत्पादन में बाधक कृषि रोगों का निवारण करवाना व ग्रामीण लोगों को ऐसे रोगों के फैलने के कारणों से परिचित कराना।

(६) कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए की गई प्रगति के आंकड़ों की जांच करना व उनके आधार पर आगे का कार्यक्रम बनाना।

(७) विकास खण्डों में काम करने वाले ग्राम सेवकों को कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों से भलीभांति परिचित कराना ताकि वे अपने क्षेत्रों में ग्रामीणों को बता सकें।

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर देखिये)

प्रश्न सं० २० । आर. एम. के उत्तर में वर्णित सूची

अधिकारी जिनके पास शिकायतें आई	दिनांक प्राप्ति	दिनांक कार्यवाही	कार्यवाही का विवरण
१ कलक्टर	१५—७—५८ (ग्राम पंचायत द्वारा)	२३—७—५८	तहसील श्री माधोपुर में मौके की जांच के लिये भेजी गई।
२ कलक्टर	१०—९—५८	१२—९—५८	,, ,,
३ अतिरिक्त कलक्टर	८—१०—५८	९—१०—५८	,, ,,
४ कलक्टर	२८—११—५८	२९—११—५८	एस. डी. ओ. नीम का थाना को जांच व उचित कार्यवाही के लिये।
५ एस. डी. ओ. नीम का थाना	५—९—५८	८—९—५८	तहसीलदार श्री माधोपुर को जांच व रिपोर्ट के लिये
६ ,,	(ग्राम पंचायत द्वारा) तारीख का पता नहीं लगता	२—८—५८	तहसीलदार श्री माधोपुर को जांच व रिपोर्ट के लिये।
७ तहसीलदार श्री माधोपुर	१२—७—५८ (ग्राम पंचायत द्वारा)	१६—७—५८	एस. डी. ओ. के पास भेजा तथा एस. डी. ओ. ने जांच के लिये दिनांक १५—१०—५८ को कागज़ात लौटा दिये।

[२१४३

१	२	३	४	५
८	,,	४—८—५८	८—८—५८	नायब तहसीलदार की जांच के लिये इन्स्पेक्टर द्वारा जांच शुरू की गई तथा २७–७–५८ को रिपोर्ट तहसील में प्रस्तुत करदी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट एस. डी. ओ. को भेजी जहां से कागज़ात मय रिपोर्ट के १२–२–५६ को कलक्टरी में प्राप्त हुए। पटवारी मौत्तिल कर दिया गया है तथा विभागीय कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
९	इन्स्पेक्टर लैं. रे.	१३—७—५८ पंचायत द्वारा	१४—७—५८	
१०	,,	१२—७—५८ काश्तकारों द्वारा		

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर देखिये)

विकास खंड नोखा में किये गये व्यय की सूची :–

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड काल २–१०–५५ से ३०–६–५७ तक

१ डिस्ट्रीक्ट प्रोजेक्ट हैड क्वार्टर (कार्यालय पर)	७८,४६७)
२ कृषि (बीज वितरण पौधां और कीटाणु नाशक दवाइयां)	२,३२६)
३ पशुपालन औषधियां और औजार ।	३,८६१)
४ स्वास्थ्य सफाई के लिए औषधियां	३,६१२)
५ जल सप्लाई के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों पर :—	
(क) ग्राम देसलसर का स्कूल भवन	३,०००)
(ख) ग्राम भोजास के कुए की मरम्मत	४,०००)
(ग) पक्का नाडी–माडिया	१०,०००)
(घ) ग्राम ज० मागरा का ग्रालोग्रान	२,०००)
(ङ) ग्राम ज० मागरा में सामुदायिक केन्द्र भवन	१,०००)
(च) ग्राम ज० मागरा में पम्पिंग सेट	६,४७८)
(छ) ग्राम मेघासर में कुण्ड	३,०००)
(ज) पिथरासर में स्कूल भवन	१,५००)
(झ) भामातसर में पक्की नडी	५,०००)
(ञ) भामातसर का पंचायत भवन	५००)
(ट) साद्यासर का स्कूल भवन	२,०००)
(ठ) काकू में कुंआ	७,५००)
(ड) सिन्जगुरु में पक्की नाडी	१०,०००)
(ढ) सेखासर में पक्की नाडी	३,०००)
(ण) गज सुखदेसर स्कूल पर	१,५००)
(त) रासीसर की डिस्पैन्सरी पर.	२,८३१)
(थ) झारेली स्कूल पर	१,५००)
योग	६५,००६)

शिक्षा

६ शिक्षकों का वेतन व अन्य सामान	५७०)
७ समाज शिक्षा	१३,३६८)
८ भवन निर्माण	३,२०५)
९ भेड़ सहकारिता समिति को लोन	२७,५००)
कुल योग	२००,६३६)

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर देखिये)

खादी कार्य के लिए ऋण दिया गया संख्याओं की सूची

क्र. सं.	नाम संख्या	कार्यकारी पूंजी ऋण	साधन सामग्री ऋण
१	हिन्डौन खादी उत्पादक सहकारी समिति लि०	१५,०००)	४७,७००)
२	हाड़ौती खादी ग्रामोद्योग संघ, बारां	५,०००)	१८,७००)
३	मारवाड़ खादी संघ जोधपुर	२५,६००)	३८,०७०)
४	खादी मंदिर, बीकानेर	२१,७००)	३३,७४०)
५	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्टान, बीकानेर	२०,०००)	३०,७००)
६	बांसवाड़ा ज़िला सेवा संघ, परतापुर	५,०००)	१८,७००)
७	अजमेर राज्य खादी ग्रामोद्योग समिति, अजमेर	१०,०००)	१८,८००)
८	राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर	१५,०००)	२५,७००)
९	सेवा सदन, भीलवाड़ा	२५,०००)	३७,७००)
१०	खारी तट सर्वोदय संघ, शाहपुरा	२०,०००)	३१,७००)
११	खैराड़ ग्रामोदय संघ, साँभर	२५,०००)	२५,०००)
१२	अजमेर मेरवाड़ा ग्राम सेवा मंडल, अजमेर	१०,०००)	१९,०००)
१३	समग्र ग्राम सेवा समिति, जोधपुर	१५,४००)	२४,०००)
१४	मरुधर विकास मंडल, खींचन	२५,०००)	३७,०००)
१५	खादी ग्रामोद्योग समिति, मुकुन्दगढ़	१५,०००)	२४,०००)
१६	ग्रामोद्योग समिति, बांसवाड़ा	५,०००)	१६,०००)
१७	ग्राम विकास मंडल, ब्राह्मणों की सरेरी	२५,०००)	१५,०००)
१८	ग्राम सेवा मंडल, किशोरपुरा	१०,०००)	१९,०००)
	योग	२,८२,३००)	४,८०,४१०)

———

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ३ मार्च, १६५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१६२६	४	leutincnt	lieutenant
१६६८	नीचे से सदूरी	लोगों को···	लोगों को नमक के ठेके
१६७६	१२	जच शीघ्र	जांच शीघ्र
२००६	४	seen worth while	seem worthwhile
२०१६	८	दौतड़ी है	दौड़ती है